खण्ड-255, अंक-7
मंगलवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1887
(23 मार्च, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 255 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६९१–६९५
प्रश्नोत्तर	६९५–७३०
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची	७३१
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	७३२
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	७३२
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	७३२
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	७३२
उत्तर प्रदेश रोड साइड लैण्ड कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	७३३
उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा	७३३
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति घोषणा)	७३३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	७३३
अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के संबंध में वक्तव्य की मांग	७३३–७३४
बाराबंकी जिले में गेहूं का गलत बीज बांटे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	७३४
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें	७३४–७३५
गृह मंत्री के कथन के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७३५–७४३
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजन	६४३–७८९
नत्थियां	७९०–८०१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर , श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, (श्रीमती)
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमालुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी, डाक्टर

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री

वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री

सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ मार्च, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री भुवनचन्द्र, अवैतनिक स्पेशल मैजिस्ट्रेट, बरेली के विरुद्ध जांच

**१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार बतायेगी कि श्री भुवनचन्द्र, अवैतनिक स्पेशल मैजिस्ट्रेट, बरेली के विरुद्ध स्थानीय विधायक श्री जगदीश शरण अग्रवाल एवं स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की गम्भीर शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको सदन की मेज पर रखकर यह बतायेगी कि इस संबंध में क्या कार्यवाही और किसके द्वारा की गई ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्री अग्रवाल ने श्री भुवनचन्द्र के खिलाफ शिकायतें सरकार को भेजी हैं, उनमें एक शिकायत जो १-३-६५ को भेजी गयी है उसके साथ एक प्रतिलिपि बरेली समाचार की भी संलग्न है । इन शिकायतों का सदन की मेज पर रखा जाना जनहित में न होगा। शिकायतों पर पूरी जांच अभी नहीं हो पायी है । जांच के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा ।

**२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त मैजिस्ट्रेट का कार्यकाल १५-२० दिन के अन्दर ही समाप्त होने वाला है तो उपरोक्त शिकायतों को देखते हुये उसका कार्यकाल न बढ़ाने के संबंध में निश्चित कार्यवाही करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

श्री भुवनचन्द्र, अवैतनिक मैजिस्ट्रेट का कार्यकाल ३१-३-६५ को समाप्त होने वाला है। कार्यकाल बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है और क्या वह ३१ मार्च से पहले प्राप्त हो जायगी ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

मुझे तो नहीं खयाल है कि पहले जांच का नतीजा मालूम हो जायगा और यह जांच जिलाधीश के द्वारा ही आम तौर से होती है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस संबंध में क्या जांच हो रही है और वह किस अधिकारी के द्वारा हो रही है और क्या जिलाधीश वास्तव में जांच कर रहे हैं, मैं स्पैसिफिक उत्तर चाहता हूं ?

श्री सैयद अली जहीर—

अभी तो उनके एक्सटेंशन का मामला है, उसके बाद जांच कराई जायगी ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब किसी मैजिस्ट्रेट की कार्य अवधि समाप्त हो जाती है तो कोई कमेटी होती है जो एक्सटेंशन की सिफारिश करती है ? यदि हां, तो उसने कुछ सिफारिश की है ?

श्री सैयद अली जहीर—

नियुक्ति के वक्त तो कमेटी से मश्विरा लिया जाता है लेकिन अवधि बढ़ाने के लिये जिलाधीश और जिला जज सिफारिश करते हैं कि एक्सटेंशन दिया जाय या नहीं ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट महोदय, हैं उनकी अवधि बढ़ाने के लिये कोई सिफारिश जिलाधीश ने की है ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी हां, जिलाधीश की सिफारिश आई है कि उनका काम बहुत अच्छा है और जज ने भी लिखा है कि उन को एक्सटेंशन देना चाहिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब जिलाधीश महोदय, ने उनके कार्यकाल की अवधि बढ़ाने के लिये सिफारिश कर ही दी है तो क्या यह जांच उनको न देकर वह किसी और को देंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, यह तो उन्होंने सिफारिश की है इन शिकायतों के न मिलने से पहले, लेकिन इससे यह नतीजा नहीं निकालना चाहिये कि और शिकायतें जांच के लिये भेजी जायंगी तो उसपर वह खवाहमखवाह गलत फैसला दे देंगे ।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह शिकायतें जो इन मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध आई हैं वे व्यक्तिगत आरोपों के संबंध में हैं या मैजिस्टीरियल वर्क के संबंध में ?

श्री सैयद अली जहीर—

मेरे खयाल में ज्यादातर व्यक्तिगत आरोप हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुये कि हमारे माननीय सदस्य श्री जगदीश शरण जी अग्रवाल एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन्होंने उनपर आरोप लगाये हैं क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जबतक जांच न हो जाय और कार्यवाही पूरी न हो जाय और उस पर सरकार का ऐक्शन न हो जाय तब तक उन मैजिस्ट्रेट का कार्यकाल न बढ़ाया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, यह तो दूसरे जवाब में कहा गया है कि इस मसले पर मैं विचार कर रहा हूं ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि उनके खिलाफ जो शिकायतें हैं, उनको मेज पर रखना जनहित में उचित नहीं है । तो जिनके कारनामें ही जनहित में नहीं है तो उनको रखने की क्या आवश्यकता है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह सिफारिश करते हैं कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाय । साथ ही उन्होंने यह बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज भी सिफारिश करते हैं । तो माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में उनकी क्या सिफारिश है ?

श्री सैयद अलीजहीर—

डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है कि इनके फैसले अच्छे होते हैं और बहुत कायदे से लिखे जाते हैं । यह उनकी सिफारिश है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री भुवनचन्द्र, अवैतनिक स्पेशल मैजिस्ट्रेट हमारे यहां के मंत्री, श्री राम मूर्ति के सगे साढ़ू हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न एलाऊ नहीं हो सकता है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, केवल सूचना देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, मैंने कई मर्तबा इस सदन में निवेदन किया है कि यह बात कि कोई व्यक्ति किसी विशेष मंत्री का रिश्तेदार है, कोई महत्व नहीं रखती । उस व्यक्ति विशेष का काम अच्छा है तो ठीक है और अगर बुरा है तो रिश्तेदार होने से उसको बचाया नहीं जाता है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि श्री भुवन चन्द्र के खिलाफ जो शिकायतें हैं, उनमें एक शिकायत १-३-६५ की है । इससे पहले भी शिकायतें भेजी गयी है । उनमें उनके फैसलों के खिलाफ भी आरोप हैं और रिश्वत लेने के लिये भी स्पष्ट आरोप लगाये गये हैं, क्या उनके संबंध में कोई जांच रिपोर्ट आ गयी है ?

श्री सैयद अली जहीर—

उसमें यह लिखा हुआ है कि इनमें से कोई शिकायत साबित नहीं हुयी है ।

रामनवमी की छुट्टी

*१—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चैत राम नवमी की छ्ट्टी सरकारी छ्ट्टी की लिस्ट से निकलवा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शाँतिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां, सन् १९६५ में उत्तर प्रदेश में होने वाली छुट्टियों की सूची में 'रामनवमी' की छुट्टी नहीं दिखलाई गयी है क्योंकि यह पर्व महीने के दूसरे शनिवार को पड़ेगा जबकि वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत अपने आप छुट्टी होगी।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि शनिवार न पड़ा होता तो राम नवमी की छ्ट्टी गजटेड मान ली गयी होती ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो पिछली दफा भी छ्ट्टी थी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी इस पर्व पर भविष्य में गजटेड छ्ट्टी घोषित करेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

भविष्य के बारे में कहना तो नामुनासिब है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या इसको आप गजटेड होलिडे मानते हैं ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

आशय यह है कि छ्ट्टी कम से कम की जांय। नियम के अनुसार १८ छ्ट्टियां इन्सन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट में हम करते हैं। २ छ्ट्टी बैंक होलिडे होती हैं। और अगर यह छ्ट्टी कर दी जाय तो १८ छ्ट्टियों में एक काटनी पड़ती है। चूंकि इस दिन आलरेडी छ्ट्टी थी इसलिये रामनवमी की छ्ट्टी नहीं दिखायी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

पारसल यह गजटेड हालिडे थी या नहीं थी और अगर थी तो आगे भी इसको गजटेड हालिडे की लिस्ट में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आगे के लिये जवाब दे दिया। पारसाल के लिये बतला दीजिये।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

पारसाल थी। उससे पहले भी थी।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

रामनवमी के महत्व को देखते हुए भी आपने और छुट्टियों को नहीं काटा और इसको काटा तो इसके क्या कारण उपस्थित हुये ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

छुट्टी को काटा नहीं गया । उस रोज सैंकिड सैटरडे था इसलिये छुट्टी नहीं रखी गयी है ।

स्वायत्त शासन संस्थाओं के कर्मचारियों की अवकाश ग्रहण आयु

**४—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण की उम्र को ५८ वर्ष से बढ़ाकर ६० वर्ष कर दी है ? यदि हां, तो क्या इसका आदेश जिले को भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

प्रथमभाग—

जी हां।

द्वितीयभाग—

जी हां ।

तृतीयभाग—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्णा—

उत्तर में कहा गया है कि सरकार ने जो तय किया है उस संबंध में आदेश भेज दिये हैं तो जो ६० वर्ष से पहले रिटायर हो गये थे उनको भी बुलाया जा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नहीं, उनको नहीं बुलाया जा रहा है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

५८ से ६० वर्ष उनकी अवधि कर दी गयी है तो ये आदेश जिला परिषदों को कब भेजे गये हैं ।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

२७ जुलाई, १९६४ को ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

आदेश ठीक समय से न पहुंचने के कारण ६० वर्ष के पहले जो लोग रिटायर हो गये उनके लिये क्या सरकार कोई विशेष व्यवस्था करेगी कि वे अपना काम फिर से सुचारुरूप से कर सकें ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

इस तरह का बहाना तो हर एक कर सकता है । अगर कोई विशेष ज्यादती हो गयी है किसी के साथ और वह रिप्रेजेंट करेगा तो उस केस को देखा जा सकता है ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

जिला परिषदों को २७ जुलाई, ६४ को आदेश भेजे गये हैं लेकिन मेरे जिले में जुलाई से एक, दो महीने पहले ११ कर्मचारियों को निकाला गया है और उसमें विशेष परिस्थिति यह है कि ८ मुसलमान हैं, सर्वश्री अली अकबर, मुहम्मद नसीर, बन्दे हसन, अलीअसगर, जमाल

अहमद, मेराज्जुद्दीन, अब्दुल हकीम, अली हसन इत्यादि, इत्यादि । ऐसी विशेष परिस्थिति में जब सवर्ग रखे जा रहे हैं तो माननीय मंत्रीजी इस तरह के विशेष निर्देश जिला परिषद् को देंगे कि कम से कम इन ८ मुसलमान कर्मचारियों को जो निकाला गया है उनको स्पेशल तरीके से जिला परिषद् के अध्यक्ष रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिला परिषद् के कर्मचारियों के बारे में प्रश्न किया है, उनके अधिकारी पंचायत राज विभाग के हैं, अतः इस कार्य को वही देखेंगे ।

श्री कृष्णा---

श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी कहा कि जो हटा दिये गये हैं उनको वापस नहीं बुलाया जायगा तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जब आदेश दिये गये हैं उस बीच में जो निकाले गये हैं उनको फिर से बुला लिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैंने यह अर्ज किया था कि जो नियम बने हैं और जो आदेश गये हैं, उनके अनुसार ही कार्य हुआ होगा और होना चाहिये । लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में किसी का हक मारा गया हो और वह रिप्रेजेंट करेगा तो उस पर विचार किया जायगा ?

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर के कर्मचारियों की मांगें

*१---श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर के कर्मचारियों की हड़ताल के क्या कारण थे ? हड़तालियों की मांगें क्या थीं ? सरकार ने उनमें से किन-किन मांगों को पूरा किया और शेष को पूरा न करने का क्या कारण है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

हड़ताल का मुख्य कारण यह था कि कर्मचारियों की पहली मांग, जो श्री वहाजुद्दीन को पुनः काम पर लेने के बारे में थी, सरकार ने अस्वीकार कर दी थी । मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

शेष मांगों में से सान्यता से संबंधित मांग नं० ३ अभी विचाराधीन है । बाकी ९ मांगों पर परमानेंट कन्सीलिएशन बोर्ड द्वारा विचार हो रहा है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९० पर)

*२---श्री गयाप्रसाद---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस हड़ताल से सरकार को उत्पादन आदि की कुल कितनी हानि हुई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

उस काल में उत्पादन में कमी होने के बावजूद रोडवेज संचालन में कभी नहीं हुई ।

श्री गया प्रसाद—

श्रीमन्, वहाजुद्दीन कर्मचारी जो निकाला गया है जिसके संबंध में लोगों की मांग थी कि उसको पुनः रखा जाय तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसको निकालने का क्या कारण था और फिर से उस को अपने पद पर रखने में क्या परेशानी थी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, उनके निकालने के कारण बताना जनहित में नहीं होगा. इसीलिये कारणों पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, ८८ दिन तक हड़ताल चली तो क्या मन्त्री जो बतायेंगे कि किस की मध्यस्थता के बाद वह समाप्त हुई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, मैं प्रश्न समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह हड़ताल समाप्त हुई तो किसने मध्यस्थता की ? यदि की तो वह कौन था और कौन आपस में सुलह कराने वाले थे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

इस सिलसिले में जिन लोगों ने हड़ताल की थी वह मुझसे मिले थे और उनकी मुझसे बातचीत होकर हड़ताल खत्म हुई।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिस यूनियन ने हड़ताल किया है, उसके नेता अर्जुन अरोड़ा, जो सरकारी पार्टी के सदस्य भी हैं, उनसे मिले थे ? तो हड़ताल खत्म कर दी गयी किन्तु उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो कौन-कौन से पदाधिकारी आपसे मिलने आये थे ? और जो एग्रीमेंट लिखा गया वह क्या मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वह भी पदाधिकारी थे जिनका आपने नाम लिया, और जो उनके साथ आये थे वह भी पदाधिकारी थे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

कर्मचारियों की जो मांगें थीं उनमें से एक मांग यह भी थी कि वर्क चार्ज्ड के जो १,३०० कर्मचारी हैं उन्हें स्थायी कर दिया जाये, तो माननीय मंत्री जी ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह मांग परमानेन्ट कंसिलिएशन बोर्ड के सुपुर्द कर दी गयी है।

श्री गयाप्रसाद—

मैं कर्मचारियों की मांग नं० ३ के बारे में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मजदूरों को एक अधिकार मिला है कि वह अपनी एक संस्था बना सकते हैं तो इस सिलसिले में उनकी संस्था को मान्यता देने में सरकार को क्या अड़चन हो रही है ? और इसमें क्यों देर हो रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह प्रश्न विचाराधीन है, यह तो हम पहले ही कह चुके हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मंत्री जी के पास कुछ अधिकारी आए, मिले और तत्पश्चात् हड़ताल समाप्त हो गयी तो क्या वह अधिकारी दरअसल वार्ता के अधिकारी थे या नहीं? क्या मंत्री जी उनके नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

माननीय उग्रसेन ने उनका नाम लिया था, उनके कहने के मुताबिक उनके मिलने पर हड़ताल खत्म हो गयी। इसलिये माना जाना चाहिये कि वह उनके नेता थे और वह इसके अधिकारी थे।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मजदूर वाजिदअली निकाला गया है, क्या उसका मामला भी कंसिलिएशन बोर्ड को भेजने की कृपा करेंगे?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उसका मामला तो बिलकुल रिजेक्ट कर दिया गया है और उसका कारण जनहित में हमने बताने से इन्कार कर दिया है।

श्री उग्रसेन—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हड़ताल से क्षति हुई किन्तु संचालन ठीक रहा तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने की क्षति हुई?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जहां तक क्षति का संबंध है, प्रोडक्शन जो पिछले साल हुआ उसकी तुलना की जाये तो सन् १९६३ में ४१ लाख रुपये का प्रोडक्शन हुआ था। चूंकि इस वर्ष में हड़ताल हुई, नये आदमियों की भर्ती हुयी इसलिये केवल ११ लाख का प्रोडक्शन हुआ। इस प्रकार ३० लाख रुपये कम का प्रोडक्शन हुआ। तो यह ३० लाख की क्षति प्रोडक्शन में हुई, रा-मैटेरियल और मशीनरी आदि को कोई क्षति नहीं हुई।

चकबन्दी के अन्तर्गत दोषपूर्ण नालियां

*३—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित), श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जो नहरी कुलाबे में नालियां पहले से सिंचाई के लिये बनी हुई थीं वह टेक्निकल प्वाइन्ट से वाटर शेष पर बनी हुई थीं और अब जो नालियां चकबन्दी द्वारा मिलती हैं वह बजाय वाटर शेड के आमतौर से निचाई में होती हैं, जिससे तोड़ रकड़ा डाल और डाल खाकी हो जाता है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, चकबन्दी से पहले कुलाबे व नालियां वाटर शेड पर थीं, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि चकबन्दी के बाद बनाई गई नालियां प्रायः निचाई में हैं। कहीं-कहीं ऐसा अवश्य हुआ है कि गूल निचाई में हो गई है और कुछ क्षेत्र तोड़ से डाल हो गये ह।

*४—श्री मुहम्मद रफी खां (अनुपस्थित), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी चकबन्दी विभाग की इन त्रुटियों को जिससे कि सिंचाई के साधनों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक कराने में चकबन्दी विभाग को पूर्ण सहायता क्यों नहीं देते ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जहां भी चकबन्दी विभाग द्वारा सहायता मांगी गई है, अवश्य दी गई।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कि, यह आम शिकायत है कि चकबन्दी के बाद जो नालियां बनी हैं वह वाटर शेड पर नहीं हैं और आपने भी इसको माना है, तो इसको ठीक कराने के लियें आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसके ऊपर मैंने यह बात कही है कि सब जगह यह बात नहीं है, आपके अलीगढ़ में यह शिकायत है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

बुलन्दशहर में भी यह आम शिकायत है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

हां, अलीगढ़ में है बुलन्दशहर में भी होगी। जब आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, मैं उसे मानता हूं। इसके बारे में मैंने लोगों से कहा है कि वह आपस में मिल जुल कर ऐसा रास्ता निकालें जिससे पानी जा सके। इसके अलावा जहां-जहां कुलाबे होंगे और सम्भव हुआ तो वहां पर एक करने के लिए भी है। कहीं जमीन एक्वायर करेंगे और उस को देने का इन्तजाम करेंगे।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या मंत्री जी सिंचाई विभाग के ओवरसियर को इस तरह का आदेश देंगे कि वह कोई व्यवस्था करे जिससे जहां चकबन्दी शुरू हो वहां के किसानों को पानी मिल सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ओवरसियर की कोई बात नहीं है, हमारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और दूसरे इंजीनियरों का यह आदेश है कि वे देखें कि जहां तक नहरें जाती थीं वहां तक पानी जाता रहे और अगर वहां न जाय तो ऐसी जगह रखा जाय जहां कि नहरें जा सकें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अलीगढ़ डिवीजन से यह शिकायत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह शिकायत पूरे प्रदेश से है कि जहां चकबन्दी हो रही है और क्या सरकार ऐसा कोई उपाय करेगी जिससे चकबन्दी अधिकारियों को यह आदेश हो जाय कि वाडरशेड को देख कर और नाली के बहाव को देख कर ही चक काटे जायं ? नलकूप विभाग के लोगों को चकबन्दी अधिकारियों की राय नहीं मिल पा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नलकूप की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। नालियों की बात थी, लेकिन उसके बारे में भी जवाब दिया जा चुका है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, बात दरअसल यह है कि न तो चकबन्दी विभाग और न इंजीनियर्स आपके आदेशों की परवाह करते हैं और इस वजह से यह त्रुटियां हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर चकबन्दी विभाग गफलत करे और सिंचाई विभाग से परामर्श न ले तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर गलती करेंगे तो पुल अप किये जायेंगे।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यह कब तक हो जायगा, क्योंकि इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

रोडवेज वर्कशाप, बेवर

*५—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जो बेवर में रोडवेज का वर्कशाप है उसे केन्द्रीय स्थान मैनपुरी में पहुंचा दिया जावे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

कार्य की सुविधा के विचार से यह संभव नहीं है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी कि मैनपुरी वालों को कठिनाइयां हैं और इस लिए वहां पर एक छोटा सा वर्कशाप अलग से बना दिया जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

बेवर में जो वर्कशाप है वही मैनपुरी के लिये भी काम को पूरा कर लेता है इसलिये वहां के लिये अलग से खोलने की जरूरत नहीं मालूम होती।

नलकूपों की कच्ची गूलें

*६—सर्वश्री मुमताज मुहम्मद खां तथा कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के नलकूपों की ऐसी कच्ची गूलें जिनके द्वारा वर्षों से सिंचाई की जाती रही है और जिनको चकबन्दी के पश्चात् कृषकों ने अपने खेतों में तोड़कर अपने चकों में मिला लिया है और इस प्रकार अन्य कृषकों के लिए सिंचाई का साधन खत्म कर दिया उनके पुनः निर्माण की सरकार क्या व्यवस्था करेगी जिससे कि उन कृषकों को जिनको कि इस प्रकार की सिंचाई की सुविधा खत्म हो गई है, दुबारा उन गूलों से पानी राज्य नलकूपों से पहुंचाया जा सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

राजकीय नलकूपों की कच्ची गूलों के, जो कि चकबन्दी के समय नष्ट हो गई हैं पुनः निर्माण की व्यवस्था की जा रही है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे किस तरह से इसके पुनर्निर्माण की व्यवस्था कर रहे हैं जब कि कानून में इस किस्म की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

व्यवस्था यह है कि जो गूल काश्तकार अपने आप बनाते हैं उसकी टेक्नीकल राय हमारे इंजीनियर देते हैं कि कैसे बनायें। इसके सिवाय पक्की और कच्ची गूल जो सरकार को बनानी है उसके लिये व्यवस्था यह है कि जो वे जमीन छोड़ते हैं उसमें बनाते हैं और नहीं छोड़ते हैं तो एक्वायर करके बनाते हैं।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, आप को याद होगा कि सन् १९६२ के पहले जब यह सवाल आया था तो यह कहा गया था कि जहां पर चकबन्दी हो रही है, अगर वहां पर पुराने ट्यूबवेल लगे हुये हैं, नालियां बनी हुई हैं तो सिंचाई विभाग चकबन्दी विभाग से कोआपरेट करके देखेगा और मौके पर जायगा तब आगे काम होगा। तो सरकार की तरफ से यह जब आश्वासन है कि पुरानी नालियां नहीं टूटेंगी और टूटेंगीं तो बनाई जायंगी तो आज यह क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पुरानी नालियां जो पक्की या कच्ची हैं वे सब सरकारी जमीन पर हैं।

श्री अध्यक्ष—

सवाल उनका यह है कि सिंचाई विभाग और चकबन्दी विभाग दोनों आपस में कोआपरेट करके उस मौके पर जायं और देखें कि वह नालियां ठीक तरह से बनी हुई हैं और अगर टूटी हैं तो उनको बनवाने की व्यवस्था करें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह जरूर होगा। सरकार तो एक ही है चाहे वह नहर विभाग हो या चकबन्दी विभाग हो।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मन्त्री जी ने जो यह नुस्खा बतलाया है यह बहुत लम्बा चौड़ा है। इस दौरान में काश्तकारों का बहुत नुक्सान होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो नालियां हैं वे किसानों की जमीन पर हैं। उसके लिये सरकार ने जमीन नहीं ली है। काश्तकारों को जो इस समय दिक्कत है उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आप वहां के एम० एल० ए० हैं। अगर काश्तकारों को दिक्कत है तो उनसे जमीन दिलवा दें, हम नालियां बनवाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि अगर नालियां बनवाने के लिये जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी तो उसमें बहुत समय लगेगा। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि बगैर इतना लम्बा चौड़ा पीरियड लगे हुये जल्दी से उसकी व्यवस्था हो जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

समय की जरूरत तो जरूर होगी। हम जमीन लेने की कोशिश करेंगे।

मथुरा जिले में एलेक्शन इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायतें

*७—श्री लखीसिंह—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन सम्बन्धी गलतियों की जनता द्वारा १९६४ में कितने शिकायती-पत्र मिले और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जयराम वर्मा—

मथुरा निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन सम्बन्धी गलतियों के बारे में सन् १९६४ में कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुये। अलबत्ता कुछ शिकायतें भूतपूर्व एलेक्शन इंस्पेक्टर के विरुद्ध प्राप्त हुई थीं जिनका तबादला हो गया है।

लखनऊ सिटी बस सर्विस में घाटा

*८—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सिटी बस में करीब १५ हजार रुपये का घाटा दो वर्षों से हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां, सिटी सर्विस घाटे में चल रही है घाटे का मुख्य कारण संचालन व्यय में वृद्धि तथा यात्रियों की संख्या में कमी है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि घाटे का मुख्य कारण यह है कि एक्सपेरिमेंट के नाम पर रोडवेज की बसें रोडवेज के अधिकारियों के मोहल्ले और घरों के सामने चलाई जाती हैं और उससे घाटा होता है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं, यह तो कारण नहीं है। वह मैंने अर्ज कर दिया कि संचालन व्यय में वृद्धि हुई है और यात्रियों की संख्या भी कम हुई है १९५९-६० के मुकाबले में।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि एक्सपेरिमेंट के नाम पर पेपर मिल कालोनी से जो बस चलाई जा रही है उसकी क्या इन्कम है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुये कि एक समस्या सभी जगह सिटी बसों में है और बनारस में भी है, पहले यह था कि स्टैंडिंग सीट पर सवारियों को ले जाने की व्यवस्था थी, अब उसको कम कर दिया, मुश्किल से ५-६ है और अगर उससे ज्यादा ले जाते हैं तो विभाग कंडक्टर और ड्राइवर को सजा देता है, इसकी वजह से इन्कम कम हो रही है। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि सिटी बसों में ज्यादा सवारियां चलें ताकि इन्कम न गिरे?

श्री मुजफ्फर हसन—

सिटी बस में स्टैंडिग की कमी हो गयी या नहीं, यही इसका कारण नहीं है, सिटी बस में बिलउमूम घाटा होता है। दो तीन रूट्स ऐसे हैं जिनमें नफा हुआ, बाकी सब घाटे के हैं और वह लोगों की सहूलियत के लिए चलाये जाते हैं और खाली यू० पी० में ही नहीं, मेरे पास आंकड़े हैं कि कलकत्ता, बम्बई, मैसूर, हर जगह घाटे के ऊपर चल रहा है और दस्तूर यह है कि लोगों को सहूलियत दी जाय। अभी इसी लखनऊ रीजन में जहां १२ लाख का हमें नफा हुआ है वहां सिटी में नुक्सान हुआ है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि आमदनी के कम होने का कारण यह भी है कि जो कंडक्टर रखे गये हैं उनका व्यवहार जनता के साथ बहुत खराब है ? मैं विश्वविद्यालय जाता हूं बसों पर रोजाना। बाज दफा तो वह गाली से भी पेश आते हैं। ऐसे व्यवहार के कारण पैसेंजर सफर करना पसन्द नहीं करते इसलिए आमदनी गिर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जनरल बात तो कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी की शिकायत होगी तो जरूर देखा जायगा।

लखनऊ सिटी बस सर्विस में बिना टिकट के मामले

*९--श्री रामसुन्दर शास्त्री--

क्या यह सही है कि एक साल पहले लखनऊ के एक सिटी बस में एक कण्डक्टर को करप्शन के केस में तीन २ इंस्पेक्टरों ने पकड़ा था, लेकिन चूंकि इंस्पेक्टर, कण्डेक्टर तथा उच्च अधिकारी एक ही जाति विशेष के होने के कारण कण्डेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, ऐसा क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जनवरी, १९६४ में तीन तीन चेकिंग अधिकारियों ने बिना टिकट के यात्री ले जाने के चार मामले पकड़े। परन्तु प्रश्न का शेष भाग सही नहीं है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि चेकिंग अधिकारियों ने बिना टिकट यात्री ले जाने वाले जो ४ मामले पकड़े, क्या उनमें रामनाथ नाम का कोई कंडक्टर पकड़ा गया ? यदि हां, तो उनको किन इंसपेक्टर ने पकड़ा या उन लोगों की क्या जाति है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्री रामनाथ लखनपाल नाम के एक कंडक्टर थे जिनको १५-५-१९६४ को सजा दी गयी और सजा के रूप में चेतावनी दी गई। और दूसरे कंडक्टरों को सजा दी गयीं। और यह जो उनका मतलब है कि एक ही जाति के थे तो जो पड़कने वाले हैं उनमें श्री आर० एन० चड्ढा खत्री हैं, श्री हरीसिंह सच्चर सिक्ख हैं और श्री तीरथराम ब्राह्मण हैं। तो सब अलग-अलग जाति के हैं, एक ही जाति के हैं यह कहना गलत है ?

सिटी मैजिस्ट्रेट, मथुरा के विचाराधीन मुकदमें

*१०--श्री लखीसिंह--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगराधीश की अदालत में सन् १९६४ में कितने केस आये, उनमें कितने केस खारिज हुये और कितना रुपया सरकार को जुर्मानों से मिला ?

श्री जयराम वर्मा--

जी हां, इस न्यायालय में सन् १९६४ में ८१८ मुकदमें आये। उनमें से ११५ खारिज हुए। ३०,६७२ रुपया जुर्मानों से मिला।

श्री लखीसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनमें कितने पुलिस केस थे और वे कितने-कितने दिन में खारिज हुये ?

श्री सैयद अली जहीर---

इतनी तफसील से सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लखीसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी कितने ऐसे केस हैं जो साल भर से ज्यादा अर्से से चल रहे हैं ? और कितने बाकी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---

३३ मुकदमे सन् १९६४ के बाकी हैं।

श्री कमला सिंह यादव---

जो जुर्माना वसूल हुआ है उसमें क्या वह जुर्माना भी शामिल है जो ऐसे सत्याग्रहियों से वसूल किया गया है जो खाद्य आन्दोलन के सम्बन्ध में जेल गये थे, जेल भी काट चुके थे और उनसे जुर्माना भी वसूल हुआ था ?

श्री सैयद अली जहीर---

कानून तो यह है कि अगर कोई जेल भी चला जाय फिर भी जुर्माना अदा करने की जिम्मेदारी उसकी बाकी रहती है।

रोडवेज क्षेत्र, इलाहाबाद में कण्डक्टरों की ड्यूटी

*११---श्री ऊदल---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग के इलाहाबाद रीजन में क्लर्क जो कि कन्डक्टर में पदच्युत किये गये हैं उनमें सभी एक साथ क्यों नहीं किये गये और क्या यह सही है कि जो सीनियर थे उनसे रूट पर ड्यूटी कराई जा रही है और जो जूनियर हैं उन्हें प्रमोशन दे दिया गया है ? क्या यह वाराणसी रोडवेज विभाग में भी हुआ है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

राजकीय रोडवेज, इलाहाबाद क्षेत्र में, जिसमें वाराणसी भी शामिल है, क्लर्क पदच्युत नहीं किये गये थे बल्कि कुछ कन्डक्टरों को, जो कि अस्थाई रूप से क्लर्क का कार्य कर रहे थे, उनकी ही प्रार्थना पर कन्डक्टर के पद पर वापस कर दिया गया था। इसके बाद ऐसे ही कुछ अन्य स्थायी कन्डक्टरों ने भी कन्डक्टर के पद पर वापिस जाने की इच्छा प्रगट की थी अतः उनको भी कन्डक्टरों के पदों पर वापस कर दिया गया था। अतः पदच्युत करने का प्रश्न नहीं उठता।

यह सही नहीं है कि जूनियर कन्डक्टरों को पदोन्नत कर दिया गया है और जो सीनियर हैं उनसे रूट पर ड्यूटी ली जा रही है।

*१२---श्री ऊदल---

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि ए० टी० आई० की नियुक्ति के लिये ४० परसेंट आउट साइडर, २० परसेंट क्लर्क तथा ४० परसेंट कन्डक्टरों में से प्रमोशन का कोटा बनाया गया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश के निकलने के समय से अब तक, जो ए० टी० आई० की नियुक्त या प्रमोशन उक्त रीजनों में हुई हैं उनमें कन्डक्टरों म से कोटे के मुताबिक प्रमोशन हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच कर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जी हां, ए० टी० आई० की नियुक्ति या कन्डक्टरों में से प्रमोशन निर्धारित कोटे के अनुसार ही हुई है।

श्री ऊदल---

मेरी सूचना यह है कि ए० टी० आई० और कन्डक्टरों की नियुक्ति आदि जो हुई है उसमें काफी घपला हुआ है । तो क्या इस सूचना को सही मान कर वे इसकी पुनः जांच करायेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

कोई खास बात माननीय सदस्य अगर बतायेंगे तो जांच करा ली जायेगी ।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, मैं लिखकर दे दूंगा ।

उसरी ग्राम से सिंचाई कर विषयक प्रार्थना-पत्र

*१३---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उसुरी, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों का आवेदन-पत्र दिनांक ३० सितम्बर, १९६४ का लिखित अधीक्षक, अभियंता सिंचाई विभाग, वाराणसी को प्राप्त हुआ है जिसमें पतरौल द्वारा सिंचाई का गलत परताल करने और लगान वसूल करने की शिकायत लिखी गई है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और प्रार्थियों के बयान साक्ष्य लिये गये कि नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जी नहीं, कुछ किसानों को तो नहीं वरन् केवल एक व्यक्ति श्री राम निहोर मल, ग्राम उसरी तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ का दिनांक ३०-९-६४ का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ । इसकी जांच नहीं कराई गई क्योंकि उपर्युक्त प्रार्थी से इसी विषय पर एक पत्र दिनांक २१-४-६४ को सीधे सहायक अभियन्ता को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच जिलेदार द्वारा पहले ही कराई जा चुकी थी । जांच के समय श्री राम निहोर मल की अनुपस्थिति में उनके खेतिहर श्री राम जस तथा अन्य ग्रामीणों के बयान ले लिये गये थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामजस तथा ग्रामीणों के क्या बयान हुये और उनकी दरख्वास्त का क्या परिणाम निकला ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

रामजस जी ने यह बयान दिया कि यह जो पानी था इसको तालाब बन्द करके नहर के रास्ते से हम ले गये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैंने पूछा कि परिणाम क्या हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई और सिंचाई ली गई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच करने वाले कर्मचारी थे, उन्होंने जांच के दिन रामनिहोर मल को उसकी सूचना क्यों नहीं भेजी ? इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि दरख्वास्त देने वाले व्यक्ति से भी जांच के समय पूछताछ की जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

पहली बात तो यह है कि रामनिहोर जी ने अपने आप एक पत्र लिखा कि मैं अपना मकान बना रहा था, मैंने नहर का पानी नहीं लिया बल्कि पम्प करके पानी ले आया। उनका नौकर भी यही कहता है और कोई भी आदमी यह नहीं कहता कि पानी नहीं गया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने एक तालाब से पानी पम्प करके लिया और नहर का पानी नहीं लिया तो जब नहर का पानी नहीं लिया गया तो उसका किराया क्यों उनसे लिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह तो कानून की बात है। कानून में यह है कि जब नहर चलती हो सीजन में तो उस समय कोई, पानी चाहे नहर का हो या बाहर का हो, लेता है और नहर के द्वारा पानी जाता है तो पूरी सिंचाई देनी पड़ेगी। यह कानून है और उस कानून के अनुसार लिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सिंचाई मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि पानी नहर का नहीं लिया गया बल्कि किसी तालाब से लिया गया फिर भी उसको सिंचाई देनी पड़ी तो अब तक तो जो हुआ वह हुआ, आगे के लिए सारे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करेंगे क्योंकि सारे प्रदेश में यह शिकायत है कि किसान नहर का पानी नहीं भी लेता है लेकिन नहर के रास्ते से पानी और कहीं का भी लाता है तो भी उसे सिंचाई देनी पड़ती है, तो इस प्रकार का कोई रद्दोबदल उस व्यवस्था में उस नियम में करेंगे कि जो पानी नहर का ले उसी की सिंचाई देनी पड़े ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी नालियां वगैरह जो नहर की हैं उनके रास्ते से जो भी पानी जायगा तो उसका पूरा रेट देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना यह है कि अगर यह नियम है तो इसके ऊपर सरकार पुनर्विचार करे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष---

अब कानून तो हमीं लोगों ने बनाये हैं।

एक सदस्य---

नहीं, श्रीमन्, यह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कानून कब का बना हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---

देखिए, ठीक है चाहे अंग्रेजों का बनाया हो चाहे अब का बना हो, लेकिन बनाया तो इसी सदन से गया।

कंवर श्रीपालसिंह--

नहीं श्रीमन्, उसमें अन्तर है। अंग्रेजी जमान में जो कानून बनाये गये थे वह रोब रखने के लिए बनाये गये थे और आज प्रजातंत्र के आधार पर सब चल रहा है। तो क्या सरकार उसे परिवर्तित करने जा रही है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

रोडवेज बसों से दुर्घटनायें

*१५--श्री लखीसिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १९६४ में रोडवेज बसों के द्वारा कितनी दुर्घटनायें घटीं, उनसे कितना नुकसान हुआ और कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

१,२०९ दुर्घटनायें हुईं जिनमें ३,३०,५६९ रु० का अनुमानित नुकसान हुआ। १२५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और ७८१ व्यक्ति घायल हुये।

*१५--श्री लखीसिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या थे और क्या सरकार इसके बचाव के लिये कोई उपाय कर रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

दुर्घटनाओं के मुख्य कारण बस चालकों की असावधानी तथा जन साधारण द्वारा सड़क पर चलने के नियमों का उल्लंघन है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये चालकों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा उनको सावधानी से चलाने के कड़े आदेश दिये गये हैं। मार्ग पर गाड़ियों के भेजने से पहिले उनकी जांच की जाती है। गाड़ियों की बराबर चेकिंग की जाती है और तेज चलाने पर अथवा दुर्घटना में दोषी पाये जाने पर चालकों को दंड दिया जाता है। गाड़ियों में टेकोग्राफ भी लगाये जाते हैं। जो चालक बगैर दुर्घटना किये गाड़ी चलाते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है।

श्री लखीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो १२५ व्यक्तियों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है इनमें कितने ड्राइवर्स थे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि रोडवेज के ड्राइवर्स अपनी बसेज अड्डे से देर से चलाते हैं चाय वगैरह पीने के कारण, और जब देर हो जाती है तो गाड़ी को तेज चलाते हैं, इसी कारण से दुर्घटनायें हुई हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

मुमकिन है कभी ऐसी बात हुई हो, लेकिन जब नोटिस में आता है, तो उनके खिलाफ फौरन ऐक्शन लिया जाता है।

श्री मैनेजरसिंह---

मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि १२०० से अधिक दुर्घटनायें हुई, और १२५ आदमी मरे तथा लाखों का नुकसान हुआ। इसके दो कारण मंत्री जी ने बतायें हैं। पहला तो चालक की असावधानी और दूसरा यात्रियों का ट्रैफिक नियम पालन न करना। तो मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी हमारे गृह मंत्री से मदद लेकर, जिन्होंने स्वयं कई बार जौनपुर में बसेज चेक की हैं, ताकि इसकी रोकथाम हो ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री लखीसिंह---

श्रीमन्, मंत्री जी ने ऐसा उत्तर दिया है जो कुछ फिट नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि बसों से टक्करें तेज रफ्तार चलने वाली ट्रकों से होती हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल रोडवेज के सम्बन्ध में था। जहां तक ट्रकों का ताल्लुक है, पहाड़ी इलाके में हम ट्रकें चलाते हैं, लेकिन प्लेन्स में नहीं चलाते।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे, कि जो मोटर दुर्घटनायें गवर्नमेंट रोडवेज से हुई हैं, उनमें से कितनी ऐसी हैं, जो रोडवेज की गाड़ियों के खराब होने के कारण और ड्राइवरों को उन गाड़ियों को चलाने के लिये मजबूर करने के कारण हुई हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

इस प्रकार की सूचना मेरे पास कोई नहीं है कि किसी ड्राइवर को मजबूर किया गया हो और कोई खराब गाड़ी सड़क पर भेजी गई हो, क्योंकि इसकी सख्त मुमानियत है और उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि इस प्रकार होता होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, ऐसा मालूम हुआ कि बहुत सी दुर्घटनायें, चाहे ट्रक से हों या बसेज से, शराब की वजह से होती हैं, तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे या नियम बनायेंगे कि जो ड्राइवर शराब पीते हों, उनका लाइसेंस छीन लिया जाय या मनाही की जाय कि इस प्रकार के ड्राइवर गाड़ियां न चलायें ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

शराब पीकर चलाने की मनाही है और अगर कोई पकड़ा जाय, तो उसका लाइसेंस जब्त हो जायगा।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो दुर्घटनायें हुई हैं, उनमें से कितनी ऐसी हैं, जो ट्रकों और रोडवेज की बसों की टक्कर से हुई हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

दुर्घटनाओं का इस प्रकार का ब्योरा तो है नहीं। १२०९ दुर्घटनायें हैं, हर एक का ब्योरा मेरे पास नहीं है कि कौन दुर्घटना किस प्रकार से हुई थी ?

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

जैसा कि मूल प्रश्न में इन दुर्घटनाओं के कारण भी पूछे गये थे, और उसकी जांच पड़ताल भी मंत्री जी ने की होगी, तो जब माननीय चन्द्रसिंह रावत ने पूछा कि क्या बसेज की खराबी और

ड्राइवरों को चलाने के लिये मजबूर किये जाने के कारण ये दुर्घटनायें हुई हैं, तो मंत्री जी ने कहा कि इसकी सूचना नहीं है। तो या तो यह कह दें कि ऐसा कोई कारण नहीं है। यह सूचना न होने का क्या वास्तविक रहस्य है। मैं जानना चाहता हूं।

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कि मैंने माननीय चन्द्रसिंह रावत के प्रश्न में यह नहीं कहा था। यह तो मुमकिन नहीं हो सकता कि खराब गाड़ियां सड़क पर भेजी जायं और ड्राइवरों को मजबूर किया जाय उनको चलाने के लिये।

श्री लखीसिंह---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी दिसम्बर के महीने में मेरे क्षेत्र में दिल्ली-आगरा रोड पर जो दुर्घटना हुई है उसमें एक ट्रक में १७ बोतलें शराब की पाई गई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

दुर्घटना विशेष के सम्बन्ध में अगर आप डिटेल्स चाहेंगे, तो सवाल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितनी बस दुर्घटनायें होती हैं, आमतौर पर ड्राइवर व कंडक्टर में एका न होने के कारण होती हैं ? कंडक्टर सीटी बजाता है, लेकिन ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता है तो मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें से कौन प्रमुख है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जनरल रूप से सब दुर्घटनाओं का सवाल पूछा गया था, हर दुर्घटना का अलग-अलग कारण हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न संख्या १५ में पूछा गया है कि मुख्य कारण क्या है ? तो क्या यह भी कारण है कि नहीं। यही माननीय राधेश्याम की मंशा है।

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

हमारी नालेज में ऐसा कारण नहीं है।

श्री ऊदल---

ट्रकों और बसों की संख्या देश में बढ़ गयी है, तो जो रोडवेज से दुर्घटनायें हुई हैं, और ट्रकों से जो दुर्घटनायें होती हैं, इसको ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने मोटर व्हिकिल्स ऐक्ट में १९५६ में संशोधन किया और प्रदेशीय सरकार को लिखा कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जजेज की नियुक्ति की जाय और लोगों को क्लेम दाखिल करने के लिए कहा जाय, जिससे उनको पैसा भी मिले और दुर्घटनायें भी काफी हद तक रुकें। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जो कुछ भी बचाव के लिए कार्य किये जा सकते थे, वह किये गये हैं और सब किये जा रहे हैं।

राप्ती नदी पर कोठा रकहट व अ्रसवनपारपुर बांध का टूटना

*१६–श्री कल्पनार्थसिह् (जिला गोरखपुर)––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोठा रकहट और अ्रसवनपारपुर बांध जो जिला गोरखपुर में राप्ती के किनारे है, कई स्थानों पर टूट गया है ? यदि हां, तो उसे बनाने का क्या प्रयत्न हो रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

यह बांध सिंचाई विभाग का नहीं है अतः इसकी मरम्मत इस विभाग द्वारा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या सरकार को जानकारी है कि इस बांध से कई हजार एकड़ जमीन की रक्षा होती है, अतः इसको देखते हुए सरकार अविलम्ब इस बांध की मरम्मत कराने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

यह बांध टेस्ट वर्क द्वारा बनाया गया था। जिलाधीश से भी हमने पूछा और मुख्य अभियंता से भी रिपोर्ट मांगी, उनका कहना है कि चूंकि यह बांध राप्ती के कटाव क्षेत्र के अन्दर है, तथा इसका रख-रखाव भी, इकोनामिकली फिजिबिल नहीं है ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, इस बांध की विशेष परिस्थिति है, क्योंकि यह राप्ती के दाहिने किनारे पर है, जबकि बांयें किनारे पर इसके समानान्तर एक बड़ा ऊंचा बांध बनाया जा रहा है । जिसका असर यह पड़ेगा कि दाहिने किनारे पर सारा पानी चला जायगा । अतः इस विशेष परिस्थिति को देखते हुए क्या सरकार इस बांध के तुरन्त निर्माण की व्यवस्था करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा––

पुर्ननिर्माण की बात नहीं है लेकिन यह बात जरूर दिखवा लेंगे कि उधर का बांध बनाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा ।

श्री उग्रसेन––

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि एक कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि यह नदी के एरिया में आता है लेकिन इस बांध की एक बार मरम्मत हो चुकी है और यह मरम्मत उसके महत्व को देखकर कर के गयी तो अब उसको फिर से बनवाने में क्या कठिनाई है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा––

एक दफा उसकी कोई मरम्मत हुई थी, इसकी सूचना मुझे नहीं है लेकिन अब मैं यह जरूर कहता हूं कि यह हम जरूर देख लेंगे कि दूसरे बांध का तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता ।

आजमगढ़ जिले में औरा नाला एवं ताल पताछ योजना

*१७––श्री रामसुन्दर पांडेय––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत खुदने वाले तालपताछ एवं औरा नाले की पूरी खुदाई विभाग द्वारा पूरी हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट:––तारांकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--

औरा नाला सन् १९५५-५६ में ही खोदा जा चुका था और यह नाला सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। ठेकेदार के कार्य करने की गति धीमी होने के कारण पताक्ष ताल ड्रेन की खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है ।

*१८--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताल पताक्ष योजना पर अनुमानित व्यय कुल कितने रुपये का था और अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है और ठेकेदारों को कितना-कितना रुपया दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

ताल पताक्ष योजना का अनुमानित व्यय ५९,४०० रुपये हैं और अब तक लगभग ११,४०० रुपया व्यय हो चुका है। जिस ठेकेदार से एग्रीमेंट हुआ था उसको कुछ नहीं दिया जा सका क्योंकि वह ठेकेदार भुगतान के लिये नहीं आया। एक दूसरे ठेकेदार से थोड़ा काम कराया गया था जिसके लिये उसको १८२७ रुपये का भुगतान किया गया है।

पकड़ी ताल ड्रेन

*१९--श्री झारखण्डेराय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पकड़ी ताल से निकलने वाली "पकड़ीताल" ड्रेन के थोड़ा ज्यादा गहरा किये जाने और ज्यादा चौड़ा किये जाने के विषय में प्रश्नकर्ता की सिफारिश से पीवाताल तथा आसपास के एक दर्जन गांवों के नागरिकों की दरख्वास्त कई बार विभाग को भेजी जा चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां ।

*२०--श्री झारखण्डे राय--

क्या सरकार को पता है कि इस ड्रेन के खुद जाने के बाद भी इसके पतला होने तथा उथला होने के कारण ७०-८० हजार मन धान प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं। अतिवृष्टि के समय अनुमानतः ३० हजार मन धान की फसल नष्ट होती है।

*२१--श्री झारखण्डेराय--

सरकार इस "ड्रेन" को थोड़ा चौड़ा और गहरा करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री गिरधारीलाल--

ड्रेन को चौड़ा तथा गहरा करने की योजना कोई नहीं है ।

तरीद, गुलरियापुर में धान को कथित क्षति

*२२--श्री होरीलाल यादव--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला फर्रुखाबाद के मौजा तरीद, गुलरियापुर के किसानों को धान की फसल नवीन इलाहाबाद, नहर जो लोअर गंगा कैनाल कानपुर के मझपुरवा ग्राम के पास निकल रही है, के बन जाने से गत दो तीन वर्षों से पानी रुकने के कारण बर्बाद हो रही ह ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध से पानी निकालने हेतु क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं ।

*२३--श्री होरीलाल यादव--

[हटा दिया गया ।]

जामनी बांध में कथित भ्रष्टाचार की जांच

*२४--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा तथा जामनी बांध, झांसी से सम्बन्धित भ्रष्टाचार इत्यादि के गंभीर मामले किन-किन तारीखों में सन् १९६४ में मुख्य मंत्री को सूचित किये गये ? आरोप किस प्रकार के थे और सन् १९६४ व फरवरी, सन् १९६५ में दिये गये आरोप-पत्रों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल--

सन् १९६४ में जामनी बांध में कथित भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता द्वारा मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक १९ दिसम्बर, १९६४ ई० का एक पत्र प्राप्त हुआ । आरोप इस डिवीजन के अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने, अनियमित रूप से धन कमाने इत्यादि से सम्बन्धित थे । सन् ६४ तथा फरवरी, ६५ में दिये गये आरोप-पत्रों पर मुख्य अभियन्ता द्वारा जांच कराई गई है । रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है जो विचाराधीन है ।

*२५--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त आरोप-पत्रों पर दिये गये आदेशों के कितने समय पश्चात् पुलिस द्वारा जांच प्रारम्भ की गई और क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा बार-बार यह लिखित सूचना दी गयी कि अपराध से बचने के लिये फर्जी रजिस्टर बनाये जा रहे हैं, प्रमाण नष्ट किये जा रहे हैं व बहुत-सा सामान जो आसानी से पकड़ा जा सकता था उसे हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो विशेष पुलिस जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं जिसके कारण अपराधियों तथा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला ?

श्री गिरधारीलाल--

इस मामले में विशेष पुलिस द्वारा जांच का कोई आदेश नहीं दिया गया अतएव आदेश होने के बाद पुलिस जांच से विलम्ब किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रश्नकर्त्ता द्वारा दी गई सूचनाओं पर मुख्य अभियन्ता द्वारा जांच कराई गई है ।

रोडवेज ड्राइवरों को वर्दी एवं पुरस्कार

*२६--श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में कोई ऐसा प्राविधान है कि यदि किसी ड्राइवर से एक पूर्ण वर्ष के अन्तर्गत कोई बस दुर्घटना न हो, बैटरी, टायर और इंजन सुरक्षित रखे तो उनको दूसरे वर्ष में दुर्घटना से सुरक्षित ५० रुपये टायर, बैटरी और इंजन की सुरक्षता का १०, १० रुपये पुरस्कार दिया जाता है ? यदि हां, तो गोरखपुर रीजन में १९६० से अब तक कितने ड्राइवर इस प्रकार के पुरस्कार से लाभान्वित हुये हैं उनकी एक सूची सदन की पीठिका पर रखने की कृपा करेंगे ?

*२७--क्या परिवहन मंत्री बताने क़ी कृपा करेंगे कि ड्राइवरों और कन्डक्टरों को ऊनी वर्दी देने का कोई प्राविधान है । यदि हां, तो कितने समय क लिये ऊनी वर्दी दी जाती है, और गोरखपुर रीजन में १९६० से अब तक कितनी बार दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*२८--क्या मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि ऊनी वर्दी के एक सेट में कौन-कौन-सा सामान होता है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बुलन्दशहर जिले से जल-निकासी

*२९--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र बेवर, जिला बुलन्दशहर क तिलथिरी, परोरी, नगलिदा, जलालाबाद, उसमापुर, मंगरौली, श्यारौला, खाजपुर, नीमका कानपुर, मुड़रह, कलुपुरा, रोहन्दा, दस्तूरा, सनैता, चांचली, जावल और इनके आस-पास गांवों में जहां बहुत ही उपजाऊ भूमि है अधिक वर्षा होने के कारण कई हजार एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो जाती है ? उपरोक्त गांव सभा के अध्यक्षों तथा जनता द्वारा पानी की निकासी की योजना लागू करने की मांग की गई है उस पर कौन-सी कार्यवाही हुई और क्या परिणाम हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां । पानी निकासी की अल्पकालीन योजनाएं कार्यान्वित की गई जिनसे रबी की बुआई से पहले लगभग ५,२६७ एकड़ क्षेत्र को बचाया गया । दीर्घकालीन योजनाओं में से कुछ की जांच-पड़ताल की जा रही है और कुछ योजनाओं के प्रोजेक्ट वगैरह तैयार कर लिए गये हैं ।

*३०--श्री जसराम सिंह--

उपरोक्त गांवों में पानी से फसल खराब होती है, तो बरसात से पहल क्या नाले खुदवाने की व्यवस्था हो जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बाढ़ सेक्टर के अन्तर्गत अब पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है जिससे कि बनाई गई योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके ।

*३१--श्री जसरामसिंह--

क्या सरकार यह बताने क़ी कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में वर्षा क पानी से जो गांव भर गये जिससे जनता और जानवरों को एक संकट पैदा हो गया और फसल नष्ट हो गई ? किन-किन गांवों के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश महोदय को मिले इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

[२३ मार्च, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]]

वाराणसी जिले में बिजली

*१--श्री ऊदल--

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बरहनी, जौरी अमड़ा, मदखरी, रेवसा, मरुई, ब्लाक बरहनी, तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी को बरहनी से २ फर्लांग से होते हुये जो लाइन दिलदार नगर गई है उससे ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युतीकरण करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या रिहण्ड की सेवापुरी सब-स्टेशन से जो लाइन सैयद राजा गई है उससे करगी ?

श्री गिरधारीलाल--

इन गांवों का विद्युतीकरण इस वित्तीय वर्ष के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। संबंधित अधीक्षण अभियन्ताओं को आदेश दिये जा चुके हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष में गांवों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम बनाते समय इन गांवों को ध्यान में रक्खें।

*२--श्री ऊदल--

क्या सिचाई मन्त्री ने, गांव थाना, तहसील व जिला वाराणसी का विद्युतीकरण करने का फैसला कर लिया है ?

श्री गिरधारीलाल--

इस गांव का विद्युतीकरण इस वित्तीय वर्ष के कार्य क्रम में सम्मिलित नहीं है। संबंधित अधीक्षण, अभियन्ता को आदेश दिये जा चुके हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष में गांवों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम बनाते समय इस गांव को ध्यान में रक्खें।

रोडवेज कार्यालय, गोरखपुर में श्री अवधबिहारी तिवारी की मुअत्तली

*३--श्री उग्रसेन--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रधान प्रबन्धक, रोडवेज, गोरखपुर में श्री अवधबिहारी तिवारी ने श्री सूर्यनाथ तिवारी को दिनांक २६ अगस्त, १९६४ को ढाई बजे कार्यालय में उन्हीं की कुर्सी पर मारा था और क्या उसी कारण श्री अवध बिहारी तिवारी को गवाहों का बयान लेने के बाद ए० जी० एम० (एच) ने तुरन्त मुअत्तल कर दिया था ?

श्री मुजफ्फर हसन--

श्री अवधबिहारी तिवारी व श्री सूर्यनाथ तिवारी में २६-८-६४ को कार्यालय में झगड़ा हो गया था। इसकी तुरन्त जांच करने के पश्चात् श्री अवध बिहारी तिवारी को मुअत्तल कर दिया गया था।

*४--श्री उग्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि श्री अवध बिहारी तिवारी को लगभग डेढ़ माह बाद पुनः रिइंस्टेट कर दिया गया, जबकि जांच अब तक समाप्त नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां। ऐसा इसलिये किया गया था कि लेखा अधिकारी, जिनके अधीन ये दोनों व्यक्ति कार्य करते थे, ने यह रिपोर्ट दी थी कि झगड़ा शुरू करने में केवल श्री अवधबिहारी तिवारी ही दोषी नहीं थे। अतः यह उचित समझा गया कि इनको रिइंस्टेट कर के आगे की कार्यवाही की जाय।

*५--श्री उग्रसन--

क्या परिवहन मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में कितने मामलों में आज तक कर्मचारियों की अनुलम्बन के कुछ समय बाद उनका रीइन्स्टेटमेंट तो हो गया, परन्तु जांच अभी तक समाप्त नहीं हो पाई है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

ऐसे केवल दो मामले हैं ।

पिंडरा सब-पावर स्टेशन के लिये भूमि अर्जन

*६--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्ड डैम का सब-पावर स्टेशन, पिन्डरा, तहसील व जिला वाराणसी में जो बनने वाला था उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उक्त सब-पावर स्टेशन कब तक बन जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--

पिंडरा में बनाये जाने वाले सब-पावर स्टेशन के लिये भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है । भूमि प्राप्त हो जाने पर सब-स्टेशन का निर्माण-कार्य चार मास में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

बाढ़ नियंत्रण योजनायें

*७--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चालू वर्ष में बाढ़ नियन्त्रण योजनाय कहां-कहां और क्या-क्या चालू हैं और उन पर कितना कितना रुपया व्यय करने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल--

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर १,७५,८१,००० रु० व्यय होने का अनुमान है । इन योजनाओं के नाम और इनको कहां-कहां कार्यान्वित किया जा रहा है इनका विवरण यदि सदस्य महोदय चाहें । तो मेरे कमरे में देख सकते हैं ।

घोसी तहसील में पानी निकासी

*८--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के ग्राम माउर बोझ से करमा, महरूमपुर, सुल्तानीपुर, मखमेलपुर, जगनपुर मिलिटां, भूगमास से बसन्ती नाला आदि की पानी को निकासी न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि खेती योग्य पानी में डब जाया करती है ? यदि हां, तो उक्त नालों तथा तालों में पानी की निकासी की क्या रूप-रेखा है ?

श्री गिरधारीलाल--

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के माउर बोझ, करमा, महरूमपुर सुल्तानीपुर, मखमेलपुर, जगनपुर, मिटिया, भूगमास ग्रामों तथा बसनई नाले गत वर्षों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कुछ कृषिमय क्षेत्र को हानि हुआ करती है जिसके लिये निम्नलिखित जल निकासी योजनायें कार्यान्वित की जा रही है:--

मउरबोझ ताल ड्रेन,
मखमेलपुर ताल ड्रेन,
भिटिया जगनपुर ड्रेन ।

इसके अतिरिक्त बसनई नाला ड्रेन का सर्वेक्षण हो रहा है ।

देहली--मथुरा सड़क पर मोटर दुर्घटनायें

*९--श्री लक्खीसिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहली रोड, मथुरा से कोसी कलां के बीच १९६४ में तथा १८ जनवरी, १९६५ तक कितने एक्सीडेन्ट्स हुये और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा इनमें कितनी घटनायें रोडवेज बसों से तथा कितनी घटनायें ट्रकों से घटीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१०--श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा)--

[आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

नरदौली बांध की मरम्मत के लिये प्रार्थना

*११--श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में गंगा नदी से नरदौली बांध की मरम्मत के लिये आवश्यक धनराशि स्वीकृत करके जून, १९६५ तक काम सम्पन्न कराने की कृपा करेंगे कि जिससे इस क्षेत्र की आगामी वर्षाकाल में सैलाब से रक्षा हो सके ?

श्री गिरधारीलाल--

इस बांध का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया गया अतः उक्त विभाग द्वारा इसकी मरम्मत कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१२--श्री चन्द्रवतीसिंह--

[हटा दिया गया ।]

अरनियां ब्लाक में सिंचाई साधनों की कमी तथा सैंडानाला का सायफन

*१३--श्री जसरामसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव अरनियां, ब्लाक अरनियां, जिला बुलन्दशहर जहां बहुत ही उपजाऊ भूमि है, राजकीय सिंचाई सुविधाओं से वंचित है ? रुकनपुरा रजबहा, दशहरा, खेरली डाबर रजबहे में से एक गूल (मायनर) निकालने के लिये रुकनपुरा से कहरौला अरनियां के बीच से सर्वे हो चुका है, यह गूल (माइनर) खोद कर किसानों को पानी की सुविधा कब तक मिल जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री गिरधारीलाल---

इस क्षेत्र में माइनर का कोई प्रस्ताव नहीं है । नलकूप निर्माण हेतु ग्राम अरनियां, रुकनपुरा, करौला और कोयली खुर्द का सर्वे किया था जिसके फलस्वरूप ग्राम अरनियां में नलकूप का स्थान निर्धारित किया गया है और इसका निर्माण आरम्भ हो गया है ।

*१४--श्री जसरामसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैंडा, फरीदपुर, जिला बुलन्दशहर में गंगा नहर के पुल से नाला उत्तर दिशा को शुरू होता है, जो काली नदी में बरसाती पानी को डालता है उसमें रजबहा बुलन्दशहर के नीचे से एक नाले की सेपन है, उसी के पास एक पुल है यह सेपन और पुल कम चौड़ा है पहले जब कम वर्षा होती थी तो ठीक थे अब १० वर्ष से वर्षा अधिक होने से बरसात का कई गांव का पानी यह नहीं फेंक पाते जब यह पानी

रुक जाता है, तो बाढ़ा-कलाखुली-नयामताबाद-दौराला आदि गांवों की फसल नष्ट हो जाती है ? उपरोक्त पुल और सेपन चौड़ी कराई जाय जिससे गाँवों की फसल नष्ट होने से बच सके ? चौड़ा कराया जायगा अथवा नहीं ?

श्री गिरधारी लाल--

सैंडा नाले पर बुलन्दशहर रजबहा के नीचे बने हुये साईफन को चौड़ा करने की व्यवस्था की जा रही है। इस साईफन के पास बुलन्दशहर रजबहा पर बने पुल को चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

बांसगांव तहसील को बिजली

*१५--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८ दिनांक ६ फरवरी, १९६५ के सन्दर्भ में बतायेगी कि बाढ़ क्षेत्र के अन्य १००० की आबादी वाले गांव में लघु उद्योग और गांवों के विद्युतीकरण की योजना के अन्दर अन्य गांव का विद्युतीकरण कब तक हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित माप दन्ड के अनुसार जिन स्थानों के लिए १००० जन संख्या पर केवल १ १/२ मील ११ के० वी० लाइन निर्माण करने की आवश्यकता है उनके सर्वेक्षण तथा विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है । तहसील बांसगांव जिला गोरखपुर में १९ स्थानों को विद्युतीकरण के लिए चुन लिया गया है जिनके नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं और आशा की जाती है कि इनका विद्युतीकरण १९६५-६६ तक हो जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९१ पर)

*१६--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार उपरोक्त सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि ग्राम नरहरपुर, खंडेसरी, विडहनी, मुजौना, डेरवा, नेतवार, पटना, पोहरिया, मीठया-छपरा, रिजांव, सहुवा, कोल खुटमार, सेमरा का विद्युतीकरण कब हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--

खुटमार ग्राम का विद्युतीकरण हो चुका है। अन्य ग्रामों के सर्वेक्षण का कार्य जारी है जो ग्राम राज्य विद्युत परिषद के माप दन्ड के अनुसार उपयुक्त पाये जायेंगे उनका विद्युतीकरण १९६५-६६ तक पूर्ण होने की आशा है ।

ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

*१७--श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, १९६४ तक प्रदेश के कितने गांव में ग्रामीण बिजलीकरण योजना के अन्तर्गत बिजली की लाइनें खींच दी गई ? उपरोक्त गांवों में से कितनों में बिजली चालू कर दी गई है ?

श्री गिरधारीलाल--

दिसम्बर, १९६४ तक कुल प्रदेश में ३१०७ स्थानों में बिजली की लाइने खींची जा चुकी है और उन सब में बिजली पहुंचा दी गई है ।

उमर्दा ब्लाक में सिंचाई साधन की कमी

*१८--श्री होरीलाल यादव--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र उमर्दा, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत मौजा उमरन तथा मौजा ओसर का पांडों नदी के उत्तरी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु टयूबवेल लगाने पर सरकार विचार कर रही ह ?

श्री गिरधारीलाल---

जी नहीं ।

वाराणसी जिले में रोडवेज कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था

*१९--श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकिया एवं (वाराणसी) मुगलसराय, जिला वाराणसी में रोडवेज के बस स्टेशन तथा ड्राइवर तथा कण्डक्टरों के आंवास गृहों के निर्माण करने में अलग-अलग वे कितना रुपया व्यय करने जा रहे हैं तथा उक्त निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री मुजफ्फर हसन---

भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद ही निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा ।

*२०--श्री रामलखन वकील--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्थानों पर बस स्टेशन बनाने के लिये जमीन का बन्दोबस्त सरकार ने कर लिया है ? यदि नहीं, तो उसमें क्या देर है तथा जमीनों के खरीदने में अलग-अलग कितना रुपया सरकार का व्यय हो रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

चकिया में बस स्टेशन भूमि के लिये संबंधित कागजात जिलाधीश, वाराणसी को विज्ञप्ति एवं उचित कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं । भूमि के प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही निर्माण की योजना बनाई जा सकेगी । भूमि के मूल्य का अनुमान लगभग १६ हजार रुपया है । मुगलसराय में भूमि चुनने का प्रयास किया जा रहा है अतः अभी भूमि का मूल्य बताना संभव नहीं है ।

चकिया तथा चन्दौली तहसील को बिजली

*२१--श्री राम लखन वकील--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चकिया तथा चन्दौली तहसील, जिला वाराणसी के किन-किन ग्रामों में रेहण्ड बांध की बिजली देने की योजना है तथा उन ग्रामों में बिजली कब तक पहुंच जायगी ?

श्री गिरधारीलाल---

वाराणसी जिले की चकिया तथा चंदौली तहसीलों के जिन ग्रामों तथा कस्बों को रिहन्द से बिजली देने की योजना है उनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं । इन स्थानों में से चंदौली, चंदौली पोलीटेकनिक सैयदराजा । (दोनों भाग) सकलडिहा बबुरी और चकिया का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है । अलीनगर, डिगवट, नियामताबाद और सिकन्दरपुर का विद्युतीकरण शीघ्र ही हो जाने की आशा है । शेष स्थानों का भी विद्युतीकरण १९६५-६६ में हो जाने की आशा है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७९२ पर)

*२२--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़), श्री ऊदल तथा श्री सुरजन राम विशारद (जिला आजमगढ़)--

[आठवें मंलगवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३--श्री सुरजनराम विशारद तथा श्री ऊदल--

[आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

फतेहगढ़ में सिंचाई कार्यालय के लिये भूमि

*२४—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहगढ़ में सिंचाई विभाग का नया कार्यालय बनाने के लिये कृषि भूमि को अधिगृहीत किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार यह बतायेगी कि अनुपयोगी भूमि पास में ही उपलब्ध होने पर भी कृषि योग्य भूमि को क्यों अधिगृहीत किया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। अन्य बातों का प्रश्न नहीं उठता।

हमीरपुर जिले में अर्जुन बांध से सिंचाई

*२५—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के सिंचाई विभाग ने अर्जुन बांध के जल को किसानों की खेती को सींचने के लिये अधिक से अधिक व्यवहार में लाने के लिये सन् १९६२-६३ में कितने एकड़ भूमि का सिंचन किया तथा १९६३-६४ में कितना सिंचन क्षेत्रफल बढ़ाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

१९६२-६३ में १५०२३ एकड़ भूमि रबी में तथा १६७ एकड़ खरीफ में सिंचाई हुई।
जनवरी, १९६४ में वर्षा हो जाने के कारण १९६३-६४ में १४,८३९ एकड़ रबी में तथा १४० एकड़ खरीफ में सिंचाई हुई।

*२६—श्री मदनपालसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्जुन बांध से १९६३-६४ में कितनी लम्बी नई नहरें व गूलें सरकार ने निर्माण की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

१९६३-६४ में ७ मील ६ फर्लांग नई नहरें बनी। जहां तक गूलों का प्रश्न है सरकारी खर्च से उस वर्ष कोई गूलें नहीं बनी। इसका कारण मुख्यतः यही रहा कि कृषकगण गूलें बनाने की ओर अधिक ध्यान नहीं देते।

*२७—श्री मदनपालसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अर्जुन बांध में जल की इतनी अधिकता है कि जल का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता जिसका मूल कारण जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की अकर्मण्यता है जब कि वहां की जनता पानी के लिये मांग करती रहती है और ऐसे अन्न संकट के समय पानी किसान को नहीं मिलता ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी अधिकारियों को उचित दंड देगी ?

श्री गिरधारीलाल—

यह सही है कि अर्जुन बांध की पूर्ण क्षमता अभी प्रयोग नहीं हुई किन्तु ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई कि किसानों को पानी मांगने पर न दिया गया हो। क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने के कारण मुख्यतः अपर्याप्त गूलों का निर्माण तथा अविकसित क्षेत्रों में नई शाखाओं की आवश्यकता तथा रबी के आरम्भ में वर्षा का होना है गूलों तथा शाखाओं के निर्माण पर कार्य किया जा रहा है जिसके पूर्ण होने पर उसका समुचित उपयोग होने लगेगा।

गोरखपुर जिले में गांव पटाई के संबंध में जांच रिपोर्ट

*२८--श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३-६४ वर्ष में गोरखपुर जनपद के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की गांव पटाई के संबंध में जो शिकायतें हुयी थीं उनकी जांच के लिये कोई कमेटी नियुक्त की गई थी ? यदि हां, तो उस कमेटी में कौन-कौन सदस्य रहे और जांच की रिपोर्ट सरकार के पास क्या आई ?

श्री गिरधारीलाल--

सरकार ने ऐसी कोई कमेटी नियुक्त नहीं की ।

अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर ने इस मामले की जांच श्री मदन गोपाल, अधिशासी अभियन्ता के सुपुर्द की थी और बाद में श्री राम चन्द्र गुप्त, अधिशासी अभियन्ता के सुपुर्द की । जांच रिपोर्ट सरकार के पास आई है जो विचाराधीन है । रिपोर्ट का विवरण इस समय बताना जनहित में न होगा ।

सुमेरपुर, भगवन्तनगर तथा बीघापुर क्षेत्र का विद्युतीकरण

*२९--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिलान्तर्गत सुमेरपुर और बीघापुर विकास क्षेत्रों का विद्युतीकरण कब आरम्भ होने जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल--

सुमेरपुर और बीघापुर क्षेत्रों को १९६५-६६ में विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ।

*३०--श्री देवदत्त मिश्र--

क्या सिंचाई मंत्री भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र, जिला उन्नाव के अन्तर्गत आने वाले उन्नाव तहसील के भाग को भी विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित करने पर विचार करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां । इसका विद्युतीकरण १९६५-६६ में करने का प्रस्ताव है ।

सुल्तान नगरी में बाढ़ योजना

*३१--श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तान नगरी, जिला नैनीताल में बाढ़ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत कितना कार्य सरकार द्वारा किया गया है और क्या यह कार्य वर्षा आ जाने के पूर्व पूर्ण कर दिया जायेगा ताकि क्षतिग्रस्त ग्रामों को बाढ़ से बचाया जा सके ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--इस योजना पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है ।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता ।

धूताही ग्राम से नलकूप संबंधी शिकायतें

*३२--श्री नवरंगसिंह (जला गोंडा)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९ अक्तूबर, १९६४ लगायत दिनांक २६ अक्तूबर, १९६४ तक ग्राम धूताही गनेशपुर ट्यूबवेल नम्बर ३६ की कितनी शिकायतें एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई, गोंडा को अधिक सिंचाई परताल के बारे में प्राप्त हुईं और इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

इस प्रकार का केवल एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २० अक्तूबर, १९६४ का लिखा हुआ अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, बहराइच के कार्यालय में २९ अक्तूबर, १९६४ को प्राप्त हुआ जिसकी विस्तारपूर्वक जांच कराई गई और कृषकों की शिकायत सही पाई गई और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई और सावधान भी कर दिया गया ।

*३३—श्री नवरंगसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामलों में मियाद के अन्दर उजुरदारी करने के बावजूद भी जांच नहीं की गई और जमाबन्दी बन्ध गई ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

उक्त प्रार्थना पत्र जमा बन्दी बनने के २३ दिन बाद प्राप्त हुआ अतएव निष्कर्ष का अमल दरामद खरीफ १३७२ फसली की जमाबन्दी में न हो सका ।

चन्द्रप्रभा तथा नौगढ़ बांध से सिंचाई

*३४—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी, गाजीपुर इत्यादि की चन्द्र प्रभा नहर से कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गयी है और कितनी एकड़ भूमि असिंचित है ?

श्री गिरधारीलाल—

चन्द्रप्रभा व नौगढ़ बांधों से तथा पुराने रियासत के लतीफ शाह तथा मुजफ्फरपुर व मैसौरा बांधों से जिला वाराणसी, मिर्जापुर व गाजीपुर जिलों की सिंचाई कर्मनाशा, दाई व वाई नहर सिस्टम व निकोइया नहर सिस्टम व पथरवा नहरों द्वारा होती है—इन नहरों के कमाण्ड में २,६६,४९६ एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और प्रस्तावित सींच १,४४ ३२८ एकड़ है । वास्तविक सींच १,६०,००० एकड़ इस साल होने की आशा है । इस प्रकार प्रस्तावित से अधिक सींच हो रही है । परन्तु दोनों जिलों में इन्हीं नहरों के कमाण्ड से मिला हुआ क्षेत्र के २३,११८ एकड़ भूमि में नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

*३५—श्री झिलमिटराम—

क्या यह बात सही है कि पूर्वी जिलों की पूर्णतः सिंचाई नहीं हो पाती है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

चन्द्र प्रभा तथा कर्मनाशा नदी के बांधों से सींच चन्द्रप्रभा खंड में पूर्वीय जिले वाराणसी । गाजीपुर व मिर्जापुर की होती है । अच्छी वर्षा होने पर सींच पूरी हो जाती है । जब पानी ठीक से नहीं बरसता है तो बाधों में कम पानी जाता है । ऐसे साल में कमी पड़ जाती है ।

*३६—श्री झिलमिटराम—

पूर्वी जिलों की सिंचाई हेतु क्या मूसाखंड बांध को तैयार किया गया है ? क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि मूसाखांड का पानी बिहार को किन कारणों से दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । लतीफशाह बांध तक कर्मनाशा नदी का जलप्लावित क्षेत्र (catchment area) ५९७ वर्गमील है । जिसमें से ४३३ वर्गमील उत्तर प्रदेश में है और शेष १६४ वर्गमील बिहार में

पड़ता है। इस कारण अब नव-निर्मित मूसाखंड जलाशय से एक तिहाई पानी उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार को देने का निश्चय किया है।

बुलन्दशहर जिले में सिंचाई तथा पानी-निकासी

*३७—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र सयाना, जिला बुलन्दशहर, एवं विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जिला गाजीपुर, में वर्षा के पानी के निकास के लिये कौन-कौन से नालों के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है और उन पर निर्माण-कार्य कब शुरू होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

इसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७९३ पर।)

*३८—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह गाजीपुर जिले के सैदपुर क्षेत्र की सिंचाई के लिये जहां नलकूप नहीं हैं, क्या-क्या उपाय किस-किस स्थान पर कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

इस क्षेत्र में उपयुक्त स्थानों पर नलकूप बनाये जा रहे हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

कांतौर के तालाब से पानी निकासी

*३९—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मौजा कांतौर, तहसील कासगंज, जिला एटा, का जो तालाब सैकड़ों बीघा जमीन बरबाद करता है और जिससे नाली निकालने के लिये वहां के बी० डी० ओ० को आदेश एक वर्ष पूर्व दिये गये हैं उनसे अभी तक नाली नहीं खुदवा पाई है इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

नाला खोदा जा चुका है।

*४०—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार इस तालाब से नाले को शीघ्र निकलवाने का आदेश जारी करेगी ताकि बरसात में उस तालाब से किसानों का नुकसान न हो सके ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता।

बिन्दकी तहसील में लोअर गंगा नहर कटने से क्षति

*४१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वर्ष १९६४ में रबी की बुवाई के समाप्त होने के बाद ही, फतेहपुर लोअर गंगा नहर फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत मील ४४ फर्लांग ७ के समीप बांई पटरी बुरी तरह कट गई थी जिससे मंडरांव, कोरवां, जोतिहां, अमेना, जाफराबाद आदि ग्रामों की हजारों बीघा खरीफ की खड़ी फसल बुरी तरह क्षतिग्रस्त

हो गई, और रबी के बोये गये खेत पानी भर जाने के कारण बर्बाद हो गये और बीज का नुकसान हुआ और असें से बोये न जा सकने के कारण अनुपयोगी हो गये ? यदि हां, तो पटरी कट जाने का मुख्य कारण क्या था ? पटरी कितनी चौड़ाई से कटी और कुल कितनी देर तक बही तथा प्रत्येक ग्राम में किस प्रकार का कुल कितना नुकसान हुआ ?

श्री गिरधारीलाल---

जी हां । पटरी कटने का मुख्य कारण किसानों द्वारा नाजायज तरीके से चलती नहर में कुलाबा लगाना है । चूंकि पटरी रेह मिट्टी की बनी है और जहां पटरी कटी वहां ऊंचे भराव में है और सूराख जो किसानों ने कुलाबा लगाने के लिये किया, वह ठीक प्रकार से बन्द नहीं किया, जिसके कारण खांदी हो गई । खांदी की चौड़ाई ५० फुट थी और पानी खांदी से केवल चार घंटे तक बहा । ग्रामवार नुकसान का विवरण तालिका १ में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७९४ पर ।)

*४२---श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त ग्रामों के जब हजारों कृषक नुकसान होने से बुरी तरह प्रभावित हुये, तो आश्वासन के पश्चात भी उसका अब तक मुआवजा कृषकों को विभाग द्वारा न देने का मुख्य क्या कारण है और वह कब तक अदा किया जा सकेगा ?

श्री गिरधारीलाल---

चूंकि खांदी बीज बोने के तुरन्त बाद ही हो गई थी इसलिये काश्तकारों ने खेतों को नये सिरे से जोताई करके नया बीज लाकर अपने खेत बो दिये । माह फरवरी, १९६५ में ही नुकसान का पूरा अन्दाजा हो सका । मुआवजा के कागजात बन चुके हैं और यथाशीघ्र बांट दिये जाने की आशा है ।

*४३---श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में फतेहपुर लोअर गंगा नहर वर्ष १९६४ में कुल कितनी बार कहां और कब कटी, और कटने के कारण क्या रहे तथा घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये ?

श्री गिरधारीलाल---

विवरण संलग्न तालिका २ में दिया गया है । दुबारा खांदी न हो इसको बचाने के लिये उन स्थानों को अधिक मजबूत कर दिया गया है और पटरी की निगरानी की जाती है ।

(देखिये नत्थी ङ आगे पृष्ठ ७९४ पर ।)

हैदरगढ़ तहसील में गोमती से पम्प कैनाल निकालने के लिये सर्वेक्षण

*४४---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या यह बात सही है कि विगत वर्ष सन् १९६४ में मुख्य मंत्री के पास कोई ऐसा सुझाव सामने आया है कि गोमती नदी के पानी का सदुपयोग करने के लिये तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में एक पंप कैनाल बनाने की व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुझाव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

माननीय सदस्य ने स्वयं ऐसा सुझाव अपने पत्र दिनांक ३-१०-६४ (जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है) द्वारा दिया था ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७९५ पर ।)

*४५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त सुझाव के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा पंप कैनाल बनवाने के लिये गोमती नदी का कोई सर्वेक्षण कराया गया है जिसके द्वारा एक अनुमानित लागत का स्टीमेट स्थान की रिपोर्ट ओवरसियर, हैदरगढ़, द्वारा विभाग को भेजी गई है ? यदि हां, वह स्थान कौन-सा है और इस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल—

सिंचाई विभाग द्वारा पम्प कैनाल बनाने के लिये गोमती नदी का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। चूंकि सर्वेक्षण कार्य अभी जारी है अतः अभी यह बताना संभव नहीं है कि प्रस्तावित नहर किस स्थान से निकाली जायगी तथा उस पर कितना धन व्यय होगा।

*४६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि जिला बाराबंकी में विद्युत सुविधा मौजूद है और इस पम्प कैनाल के बन जाने से बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली आदि जिलों की हजारों बीघा भूमि सरसब्ज हो सकती है, इस योजना को लागू करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

सर्वेक्षण कार्य के समाप्त होने से पूर्व इस संबंध में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

बुन्देलखंड के लिये बांध

*४७—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड में कितने और कहां-कहां बांध बनाने की योजना है ? इन पर अलग-अलग कितना धन व्यय होने का अनुमान है तथा उन पर कब से कार्य शुरू होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७९६ पर)

*४८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[प्रश्नकर्ता के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

पटियाली ब्लाक को बिजली

*४९—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या विद्युत् मंत्री, बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मझौला एवं ग्राम नरथर विकास क्षेत्र पटियाली, जिला एटा के विद्युतीकरण हेतु क्या योजना है तथा दोनों ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

मझोला ग्राम को १९६५-६६ में विद्युतीकरण के लिये चुन लिया गया है। ग्राम नरथर के विद्युतीकरण के सर्वेक्षण के लिये आदेश दे दिये गये हैं और उपयुक्त पाये जाने पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसका भी विद्युतीकरण किया जायेगा।

रिहन्द बांध बिजली की दर

*५०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि रिहन्द बांध से निकलने वाली बिजली चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, बिड़ला जी के अलम्यूनियम फैक्ट्री तथा कनौडिया केमिकल फैक्ट्री को किस रेट से दी जाती है तथा जनता के उपयोग में किस रेट से दी जा रही है ? क्या सरकार को पता है कि रिहन्द बांध में सिल्ट इकट्ठा हो जाने से रिहन्द बांध के "स्लूस गेट" में दरार पड़ गई है ?

श्री गिरधारी लाल—

बिजली की दर के बारे में मांगी गई सूचना नत्थी किये गये ब्योरे में दी हुई है ।

रिहन्द बांध के "स्लूस गेट" में कोई दरार नहीं पड़ी है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७९७–७९८ पर)

*५१–५२—श्री हरिगैन राम (जिला वाराणसी)—

[आठवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

उन्नाव डिवीजन में ड्रेनेज योजना

*५३—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले की ड्रेनेज योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जिनके कार्यान्वयन से प्रचुर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध होगी, एक निश्चित धनराशि निर्धारित करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

उन्नाव डिवीजन में ड्रेनेज योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये बाढ़ सेक्टर से २.०५९ लाख रुपये की तथा लघु सिंचाई सेक्टर से १.२५८ लाख रुपये की धनराशि निर्धारित है ।

अतारांकित प्रश्न

माताटीला से ग्रामीण क्षेत्र को बिजली

१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने तथा प्रदेशीय विद्युत् परिषद् ने यह निश्चय किया है कि एक हजार जनसंख्या वाले गांवों को बिजली दी जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सरकार उन्हीं गांवों व कस्बों का विद्युतीकरण करती है जो सरकार को लाभप्रद हों अथवा जो रिहन्द योजना भाग २ के अन्तर्गत आते हैं ।

राज्य विद्युत् परिषद् नें उन सभी स्थानों के विद्युतीकरण के लिये आदेश दे दिये हैं जिन के विद्युतीकरण के लिये १,००० जनसंख्या पर १ १/२ मील लम्बी ११ के० वी० लाइन का निर्माण करना पड़े ।

२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जिले के तालबेहट ब्लाक के ग्राम पूराकलां (३५००), विरधा (२५००), बिजरौंठा (३०००) तथा (ब्लाक बार के) बार (४०००), बानपुर (३५००) ब्लाक व तहसील महरौनी में, महरौनी टाउन एरिया, गुढ़ा, सोजना और मडावारा ब्लाक के मडावारा, नारहट (ब्लाक बिरधा के) बिरधा, यालौ, धौरा, जाखलौन तथा झारकौरा ब्लाक के ग्राम झारकौरा, दैलवारा आदि गांव जिनकी जनसंख्या २ से ४ हजार तक है बिजली कब तक मिल जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

ग्राम बिजरौठा और झरकौरा का विद्युतीकरण १९६५-६६ तक हो जाने की सम्भावना है ।

माताटीला पार्ट २ प्रोजेक्ट में जिला झांसी के अन्तर्गत जिन स्थानों के विद्युतीकरण की व्यवस्था है उनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं और आशा है कि इनका विद्युतीकरण १९६५-६६ में हो जायेगा । अतः प्रश्न में पूछे गये अन्य स्थानों का विद्युतीकरण संलग्न सूची में दिये हुये स्थानों के विद्युतीकरण के पश्चात्, राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पाये गये तो यथोचित समय में विद्युतीकरण कर दिया जायगा ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७९९ पर।)

३---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बुन्देलखंड उद्योगों में पिछड़ा क्षेत्र है, इस बात की स्पष्ट घोषणा करेगी कि बुन्देलखंड में जो भी भारी उद्योग लगायेंगे, उन्हें माताटीला से आवश्यकतानुसार बिजली मिलेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

जी हां । उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार बिजली प्राप्त हो जायेगी ।

रोडवेज डिपो, मथुरा में बसें

४---श्री लखीसिंह---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा रोडवेज वर्कशाप में कितनी बसें हैं और वे १५ नवम्बर, १९६४ से ७ जनवरी, १९६५ तक कितनी प्रति दिन अपनी रूटों को गईं, कितनी खराब पड़ी हैं और उनमें क्या-क्या खराबी है तथा क्या यह सही है कि कुछ बसें सिर्फ बैटरी न होने से बेकार पड़ी हुई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---

अन्तिम सूचना के अनुसार २५-२-६५ को मथुरा डिपो में ९८ बसें थीं जिनमें से ४ सामयिक रखरखाव, २ मामूली मरम्मत तथा ९ गियर बाक्स इंजन, फुयेल पम्प तथा विसयल्पेट आदि की खराबी की वजह से वर्कशाप में थीं ।

१५ नवम्बर, ६४ से ७ जनवरी, ६५ तक कितनी बस प्रति दिन रूटों पर गईं उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया है ।

यह सही नहीं है कि केवल बैटरी न होने के कारण कुछ बसें बेकार पड़ी रहीं ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८०० पर ।)

वाराणसी में मेकैनिकल सामान की सप्लाई का ठेका

५---श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेकैनिकल पार्ट, जैसे पाइप, शाफ्ट बेयरिंग मशीन सम्बन्धी वाराणसी में सप्लाई (भोरा तथा कजहिया) द्वारा किया जा रहा है जबकि इनका सामान खराब होने की वजह से कन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया गया था और दिसम्बर, १९६४ से तथा जनवरी, १९६५ से फिर शुरू कर दिया गया है ? ऐसा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, इस संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १६२ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें यह है कि जब असेम्बली के द्वारा विधेयक पास हो तो सचिव को नियम १४९ के अन्तर्गत अमेंडमेंट करने का मौका है, लेकिन उस समय कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया । सचिव जब अमेंडमेंट करेंगे, तो उसकी तीन प्रतियां कौंसिल में भेजेंगे, लेकिन कौंसिल के पास भी कोई प्रति नहीं भेजी गयी, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ ।

दूसरी स्टेज यह है कि जब कौंसिल से यह पास हो जाय तो नियम १६१ के अन्तर्गत सचिव को यह अधिकार दिया गया है कि वह संशोधन करें और उन संशोधनों के साथ वह गवर्नर के पास भेंजे, उनकी स्वीकृति के लिये । गवर्नर के पास जो भेजा गया उसमें भी वह संशोधन नत्थी नहीं थे जिनको कि सचिव इस समय सदन के सामने रखने जा रहें हैं । ऐसी सूरत में मेरा कहना यह है कि ये इस सदन में नहीं रखे जा सकते क्योंकि गवर्नर इस पर १२ मार्च, ६५ को अपनी एसेन्ट प्रदान कर चुके हैं । इसलिये विधानतः अब ऐसा कोई अमेंडमेंट इनमें नहीं किया जा सकता, और न सचिव सदन की मेज पर रख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

सचिव इस समय जो सदन की मेज पर रखने जा रहे हैं वह नियम १६१ और १६२ के अन्तर्गत है । नियम १६२ इस प्रकार से है—

"१६२—शाब्दिक संशोधनों का विवरण—नियम १६१ के अधीन हस्ताक्षरित प्रति के साथ राज्यपाल को एक विवरण भी प्रस्तुत किया जायगा जिसमें विधेयक में किये गये ऐसे शाब्दिक और आनुषंगिक संशोधन या त्रुटियों का शोधन दर्शाया जायगा जो नियम १४९ और १६१ के अन्तर्गत किये गये हैं । विधेयक में किये गये इन परिवर्तनों की प्रतिलिपि राज्यपाल की अनुमति की घोषणा से पूर्व सभा की मेज पर रखी जायगी ।"

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जिस वक्त गवर्नर के पास यह एसेन्ट के लिये भेजा गया था उसी वक्त उसके साथ ही इनको अटैच होना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—

५ मार्च, १९६५ को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था । जो संशोधन किये गये थे उनकी सूची उसके साथ थी ।

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८, के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५, में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८०१ पर ।)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्वयस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १६ फरवरी, १९६५, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ५ मार्च, १९६५, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १२ मार्च, १९६५, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६५, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १९ फरवरी, १९६५, की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ४ मार्च, १९६५, को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १२ मार्च, १९६५, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १५ फरवरी, १९६५, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ५ मार्च, १९६५, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १२ मार्च, १९६५, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १७ फरवरी, १९६५, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३ मार्च, १९६५, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १२ मार्च, १९६५ को प्राप्त हो गयी हैं और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश रोड साइड लैण्ड कण्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश रोड साइड लैन्ड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १५ फरवरी, १९६५, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३ मार्च, १९६५, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १८ मार्च, १९६५, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १८ फरवरी, १९६५, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३ मार्च, १९६५, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १८ मार्च, १९६५, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का ७ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १६ फरवरी, १९६५, की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ५ मार्च, १९६५, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १८ मार्च, १९६५, को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का ८ वां अधिनियम बन गया ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में निवेदन है कि एक सूचना माननीय काशीनाथ मिश्र की आई है मैं समझता हूं कि जो इसमें तथ्य लिखे गये हैं उनसे विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं उठता है । माननीय काशीनाथ जी हैं नहीं । वह इसे देख लेंगे ।

अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना था । कल जब कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आया था, मैंने प्रार्थना की थी कि उस पर विचार किया जाय, पर माननीया मुख्य मंत्री ने कहा था कि चूंकि शिक्षा

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

मंत्री नहीं है, इसलिये इसे आज नहीं लिया जा सकता है। तो क्या उस विषय पर आज वक्तव्य दिला देंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

आज भी तो नहीं हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मुझे ज्ञात नहीं। विरोधी दल की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया था आज उस पर वक्तव्य करा दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

श्रीमन्, चूंकि शिक्षा मंत्री कल नहीं थे इस वजह से माननीय मुख्य मंत्री ने मजबूरी जाहिर की थी। वे आज भी नहीं हैं, तो हमारी मजबूरी उनसे ज्यादा है।

बाराबंकी जिले में गेहूं का गलत बीज बांटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

इस समय नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रामकिशोर त्रिपाठी की सूचना को मैंने स्वीकार किया है। "बाराबंकी जिले में गेहूं की फसल में गेहूं के बजाय अजीब काले रंग का एक विशेष प्रकार का विषैला पदार्थ दिखाई पड़ा। यह स्थिति उनके खेतों में है जिन लोगों ने राजकीय कृषि बीज भंडारों से बीज सवाई या तकावी पर लाकर बुवाई की थी....."

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, कल इसी प्रकार की सूचना सरकार को भेजी जा चुकी है। आप उसमें इसे भी शामिल कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

इसे भी माननीय मंत्री जी के पास भेज दूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा, ओले पत्थर तथा हवा से नुकसान हुआ है। लखनऊ, देवरिया, बरेली में ओला पड़ा है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

इसे भी भिजवा रहा हूं मंत्री जी के पास।

मेरे पास एक सूचना श्री बिपिन बिहारी तिवारी जी की है, दूसरी श्री उग्रसेन की है और तीसरी सुरेन्द्र विक्रम एवं भगवान सहाय जी आदि की है। इनको मैं मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही हेतु भेजे दे रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आपने जो स्वीकार किया है उसमें सप्लीमेन्टरी करने की इजाजत नहीं देंगे, हालांकि यह बड़ा महत्वपूण प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

जहां तक सप्लीमेन्टरी का सवाल है, वह महत्वपूर्ण चीज है । इस पर मैं सप्लीमेन्टरी करने की इजाजत दे दूंगा ।

गृह मन्त्री के कथन के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत प्रश्न उठाने की सूचना

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक बार हम लोग आपके सम्मुख अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और हमको ऐसी आशा है कि आप हमारी मर्यादा रखेंगे । हम ऐसा समझते हैं कि हम लाखों के प्रतिनिधि हैं और हमारी मर्यादा सदन के अन्दर व बाहर रखी जाती है । लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने जो उस दिन कहा उसे सुन कर कोई भी अधिकारी किंचितमात्र में हमारा आदर नहीं कर सकता और न हम अपने प्रतिनिधित्व के कार्य को संतोषपूर्वक ढंग से सम्पादित कर सकते हैं । माननीय गृह मंत्री का यह कथन कि सदन के बाहर माननीय सदस्य जो बात कहेंगे, उसे वह नहीं मानेंगे, तो फिर कौन सी परिस्थिति पैदा होगी जिसमें सभी बातें वह सदन में कहें, बाहर अधिकारियों से न कहें ? ऐसी परिस्थिति में, मैं समझता हूं कि एक अवसर हमको अपने विचार व्यक्त करने का अवश्य दिया जाय और जो भी व्यवस्था आप देंगे वह शिरोधार्य होगी । जिस दिन से माननीय गृह मंत्री ने उक्त विचार व्यक्त किये हैं उस दिन से हम अधिकारियों के सामने जाने में अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगे हैं और सोचने लगे हैं कि उनके सामने हमारी क्या मर्यादा रह गयी है । जब एस० पी० के सामने जायंगे तो वह कहेगा कि हम आपको भंगी बना देंगे, यह स्थिति हमारी हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप भावावेश में न बहिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं चाहता हूं कि इस पर आप विचार करें और हमारी ही नहीं, जो कांग्रेसी सदस्य हैं उनकी भी मर्यादा का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको पढ़ दूं ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, पहले मैं नियम ३०१ पढ़ कर सुनाये देता हूं.....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो सूचना आपके पास है उसमें क्या है, उसे पहले आप पढ़ दें । उसके बाद बहस हो ।

श्री अध्यक्ष—

मैं सुन लूं, वह क्या कहते हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम ३०१ की वाक्य रचना की ओर दिलाना चाहता हूं । इसमें लिखा है—"जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों

[श्री कल्पनाथसिंह]

उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।"

मेरा निवेदन है कि अभी माननीय उपनेता विरोधी दल ने यह कहा कि आप इसके बाद जो भी व्यवस्था दें, यह तो केवल अगर आप अपनी इजाजत दें भी दें तो यह महज सदन में चर्चा के लिये ही लाया जा सकता है। दूसरे, अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी व्यवस्था के लिये यह नहीं जायगा। माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी ने यह कहा कि व्यवस्था के लिये है, तो न तो यह व्यवस्था का सवाल है दूसरे इस सम्बन्ध में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यह आना आवश्यक ही है जब तक कि आप इस पर अपनी राय न दे दें। आप अपनी राय दे दें, तब पढ़ने का सवाल पैदा होता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, नियम ३०१ को नियम ३०३ के संदर्भ में व्यवस्थित किया गया है। उसकी व्यवस्था करते समय नियम बनाने वालों के सामने यह समस्या थी कि जब कोई प्रश्न नियम ३०३ के अधीन औचित्य प्रश्न की परिधि के अन्दर न आ सके तो उसे ३०१ में लिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

३०३ से कोई मतलब नहीं है, ३०० कहिये।

श्री रामायणराय—

३०० में जब न आ सके तो उसे ३०१ में लिया जायगा। ३०१ नियम की भाषा की ओर अभी माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने आपका ध्यान आकृष्ट किया। उसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि "जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे,"...। मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया वह सदन की जानकारी में वक्तव्य दिया गया, वह कोई ऐसा विषय नहीं है जो सदन की जानकारी में नहीं हुआ; सदन की जानकारी में जब कोई माननीय सदस्य नियमों के विरुद्ध आचरण करता है तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न होता है। दूसरे जो वक्तव्य दिया गया उसकी जानकारी सदन को पूर्णतः हो गई। इसलिये कोई ऐसी बात नहीं है जो सदन की जानकारी में न हो।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आखिर कोई सीमा होगी किसी प्रश्न को उठाने की या नहीं। इसके संबंध में भी हमारे नियमों में व्यवस्था है। मान्यवर जहां पर प्रश्नों के संबंध में नियमों की व्यवस्था की गई है वहां इस बात को साफ लिखा गया है कि एक ही सत्र में एक प्रश्न विभिन्न अवसरों पर नहीं उठाया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते नहीं हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप बहस कर रहें हैं।

श्री रामायणराय—

मान्यवर, जो भी माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा है.....

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न उठाया गया है, तो जैसा कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि ३०१ की परिधि में नहीं है, उसी पर आप बोलिये। लेकिन आप न जाने क्या कह रहें हैं।

श्री रामायणराय—

माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी ने.....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, पहले इसे पढ़ तो दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ दिया जायगा जब जरूरत समझेंगे ।

श्री रामायणराय—

माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी ने संकेत किया, जो गृह मंत्री जी का वक्तव्य हुआ था उसके बारे में। मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनका कोई वक्तव्य हुआ था, वह सदन की जानकारी में है और उसके कारण ३०१ नियम के अधीन इस प्रश्न पर पुनः सदन को सूचना देने का अधिकार आप माननीय सदस्य को न दें तो आपकी कृपा होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके अतिरिक्त और माननीय अध्यक्षों ने यह आदेश प्रदान किया है, और माननीय सदस्यों को अधिकार दिया है, कि जो घटना माननीय सदस्यों के सम्मुख घटी हो, प्रत्यक्ष रूप से मंत्री के मुकाबले में, क्योंकि वह किसी अफसर की रिपोर्ट पर कहते हैं, सदस्यों की बात पर वरीयता मानी जायगी। उसके खिलाफ माननीय हरगोविन्द सिंह जी ने कहा है, इसमें बहस की बात नहीं है । वह हाउस की एक कार्यवाही में है । आपके आदेश के विपरीत कोई मंत्री कार्य करें तो हमें माननीय रामायणराय जी बतायें कि कौन सा तरीका होगा कि हम सदन की जानकारी करायें कि मंत्री जी गलती कर रहें हैं और हमें जो अधिकार नियमों के जरिये स्वतंत्रतापूर्वक बोलने का और बाहर बात कहने के मिले हुये हैं, कोई मंत्री उनका हनन करता है.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं जानता हूं कि आप हमारे पक्ष की ओर हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने विभाग को टटोलें कि इस तरह से कार्यवाही होगी तो आपका अस्तित्व नहीं रहने वाला है ।

श्री अध्यक्ष—

नियम ३०१ में दिया हुआ है कि "ऐसा विषय उठाना जो औचित्य का प्रश्न न हो— जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मत्ति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायगी जो अध्यक्ष निश्चित करें ।"

अब माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न माननीय काशीनाथ मिश्र ने उठाया कि उन्होंने सदन के अन्दर यह कहा कि मैं माननीय रघुवीर राम जी की बात सही यहां मानने के लिये, परम्परा के अनुसार मानूंगा किन्तु बाहर में नहीं मान सकता । उनके शब्द यह थे कि जहां तक सदन का सम्बन्ध है, इस सदन के अन्दर जितनी बातें कही जाती हैं, आप ठीक कहते हैं, वह परम्परा है कि अगर कोई माननीय सदस्य कहता है, तो उसको ठीक मान लेते हैं, मैं भी ठीक मान लेता हूं । लेकिन इस सदन के बाहर, मेरे ऊपर यह कोई परम्परा भी नहीं है कि इसको ठीक ही माना जाय ।

इस वाक्य के ऊपर माननीय काशीनाथ मिश्र ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया, उसको मैंने अस्वीकार कर दिया कि इस बयान से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता । अब अगर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता तो दूसरे माननीय

[श्री अध्यक्ष]

सदस्य यह प्रश्न उठाना चाहते हैं कि अगर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता, तो हम आपके ध्यान में उस बात को लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्टीकरण हो जाय या हम लोगों की प्रतिक्रिया सुन ली जाय। नियम ३०१ के अन्दर जो, गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, उसको जानकारी में लाना नहीं चाहते हैं, बल्कि उस विषय सम्बन्धी परिस्थितियों को लाना चाहते हैं। औचित्य का प्रश्न नहीं उठ सकता है और विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भी नहीं उठ सकता है, तो किस प्रकार से इस बात को हम सदन के समक्ष लायें, यह प्रश्न है। उसके लिये मैं समझता हूं मैं इसको पढ़ दूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

पढ़ने के बाद दें।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे इजाजत दें तो सचिव पढ़ दें।

(कुछ सदस्य "जी हां")

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

आप पढ़िये, आप पढ़ियेगा तो जोर से पढ़ियेगा।

सचिव, विधान सभा--

"महोदय, आज जो वक्तव्य माननीय गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, ने नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्नों के उत्तर में दिया है जो श्री रघुवीर राम, सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी से सम्बन्धित है, उससे हमको ऐसा स्पष्ट है कि इस सदन के माननीय सदस्य स्वतंत्रतापूर्वक अपने उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य को नहीं निभा सकते हैं। सदस्य द्वारा अपनी जानकारी के आधार पर कोई सूचना सदन को दिया जाना उससे अधिक महत्वपूर्ण और उत्तरदायी है जो सूचना माननीय मंत्री दूसरे से प्राप्त होने पर सदन को देते हैं। माननीय गृह मंत्री जी का यह कहना कि सदस्य द्वारा दी गयी सूचना को वह केवल सदन में ही सच मान सकते हैं लेकिन सदन के बाहर नहीं, अत्यन्त खेद का विषय है। इसका तात्पर्य यह होता है कि माननीय मंत्री अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बात को सदस्य की बात से अधिक महत्व और बल देते हैं और इस प्रकार सदस्य को अपने अधिकारियों की निगाह में गिराते हैं। यह ऐसा विषय है जिसपर हम सदन में पूर्ण रूप से विचार करना चाहते हैं और आपसे आशा करते हैं कि इस विषय को उठाने की तथा उस पर विचार करने के लिये समय नियत करने का कष्ट करेंगे। यह प्रार्थना हम प्रक्रिया नियमावली के नियम ३०१ के अन्तर्गत करते हैं और आशा करते हैं कि माननीय अध्यक्ष २२ मार्च, १९६५ को प्रश्नों के बाद यह प्रश्न उठाने की अनुज्ञा प्रदान करेंगे।"

श्री उग्रसेन--

नाम पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

इसमें हैं माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी, माननीय प्रेमसिंह, माननीय ऊदल, माननीय भगवान सहाय, माननीय रामसुन्दर जी पांडेय और २ समाजवादी दल के हैं और निर्दलीय कोई नहीं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, इसको आप सोचें, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। यह किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यह सिद्धांत की बात है, इस पर आप सोचें।

श्री अध्यक्ष---

मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि किसी के ऊपर आलोचना करते समय....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, क्या आप निर्णय देने जा रहे हैं? पहले हमारी बात सुन लीजिये। माननीय मंत्री जी साधारण आदमी तो हैं नहीं, यह तो बहुत ऊंचे आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष---

नहीं नहीं, इस किस्म की व्यक्तिगत कोई बात नहीं होनी चाहिये, आक्षेप वाली। व्यक्तिगत मेरा मत यह है, हो सकता है लोग मुझसे सहमत न हों....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, 'व्यक्तिगत' नहीं, जो चीज दोनों पक्ष के हितों की रक्षा करती हो वह कहें।

श्री अध्यक्ष---

उसे स्पष्ट कर दूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, आपके आदेश और राय के बावजूद भी सदन में व्यक्तिगत कोई बात है ही नहीं। आपका जो आदेश होगा, वह सारे सदन की जिम्मेदारी है। अब अगर हम उसका पालन नहीं करते तो हम सदन से बाहर निकाल दिये जाते हैं। और यदि ठाकुर हरगोविन्दसिंह जी नित्य उसे नहीं मानते हैं तो उनके लिये कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें, पहले आप मेरी बात सुन लें। मैं निवेदन कर रहा हूं और यह बात मैंने इस आदरणीय सदन के समक्ष पहले भी कही है कि बहुमत से शासनारूढ़ दल की शोभा इसी में है कि वह सदन के गौरव का संरक्षण करे। हो सकता है कि अल्पमत किसी समय ऐसा व्यवहार केवल अपने, जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन या परेशानी भी कह दें, के समय कर दे, जो अनुचित है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसका अनुकरण इधर से हो, ऐसा मेरा निश्चित मत है। मैं यह भी चाहता हूं कि आदरणीय मंत्रिगण ध्यान रखें कि उन पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। मैंने स्वयं माननीय गृह मंत्री से निवेदन किया जब यह प्रश्न उठा और आपने, इस "आपने" से मेरा मतलब माननीय रामसुन्दर पांडेय जी से है, कहा कि इसकी विशेषाधिकारी द्वारा जांच करा ली जाय। उस पर मंत्री जी ने उत्तर दिया कि "जहां तक सदन का संबंध है" वगैरह की बात कहीं। तो मैंने प्रश्न किया था, वह इसी उद्देश्य से किया था, कि एक माननीय सदस्य का आग्रह है और कदाचित् सरकारी पक्ष यह उचित समझे कि माननीय सदस्य के आग्रह पर विशेष जांच करा ले। मेरा सिर्फ यह कहना है कि सत्तारूढ़ दल, बहुमत में होने के नाते, अपने ऊपर एक विशेष उत्तरदायित्व ओढ़े हुये है कि सदन की मर्यादाओं और परम्पराओं की सुरक्षा और संरक्षण करने में सहायक हो और उसको वह किसी भी हालत में न गिरने दे।

अब रहा एक प्रश्न आपकी तरफ से कि इस प्रकार के कहने से माननीय मंत्री जी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सदस्यों की बात से अधिक महत्व और बल देते हैं और इस प्रकार सदस्य को अपने अधिकारियों की निगाह में गिराते हैं, इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि इस सदन के पूर्वगामी अध्यक्षों और अन्यत्र भी यह निश्चित रूप से निर्णय दिये हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी सूचनाओं के अनुसार किसी बात को मान लेने और सही समझने का अधिकारी है। इसी आधार पर हम इस सदन में किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कह सकते कि तुम असत्य बोल रहे हो।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

यह बात नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष--

हम इसीलिये तो, जो बात कही जाय इधर से या उधर से, उसको कह नहीं सकते कि वह असत्य है । जब दो विरोधात्मक बातें कही जाती हैं तो दोनों तो सत्य हो नहीं सकतीं, यह तो निश्चित ही है, लेकिन यह किसी को अधिकार नहीं है कि वह कहे कि दूसरा असत्य बोल रहा है, यह तथ्य तो इस विषय में मान ही लिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

अगर किसी ने अपनी आंखों से देखा हो तो ?

श्री अध्यक्ष--

वह हो सकता है और रघुवीर राम जी तो स्वयं भुक्तभोगी हैं । तो इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि अगर माननीय रघुवीरराम भुक्तभोगी की हैसियत से कोई बयान दे रहे हैं तो वह बयान किसी अदालत में साक्ष्य या साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । उस बयान के आधार पर हम यद्यपि उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको चुनौती नहीं दे सकते, तो भी इस सदन के बाहर अदालत में उसको चुनौती दी जा सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है । तो माननीय गृह मंत्री ने मेरे सवाल को जरा इवेड किया और कह दिया है कि बाहर तो मैं इस बात को नहीं मान सकता । जहां तक इस सदन के बाहर का प्रश्न है, जब कभी अदालत के सामने यह प्रश्न उपस्थित होगा तो केवल इस सदन में कहा हुआ वहां साक्ष्य के रूप में नही प्रस्तुत होगा, न यह माना ही जायगा कि यह सत्य अथवा असत्य है । वहां पर चुनौती हो सकती है अगर यह बात उन्होंने बाहर कही, इस पर हम आक्षेप नहीं कर सकते ।

अब दूसरा सवाल है.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं विघ्न नहीं डालता, लेकिन यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है, इसको आप कृपया इनरलाइज न कीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं । माननीय गृह मंत्री के ऐसे वक्तव्यों से ऐसा खयाल होता है कि उनके अधीनस्थ अधिकारिवर्ग सदन के सदस्यों की मर्यादाओं का खयाल न रखेंगे, तो जहां तक सवालों के जवाब का प्रश्न है, प्रत्येक मंत्री रोज आपके द्वारा पूछे हुये प्रश्न या आपकी तरफ से दिये हुये तथ्यों का प्रतिवाद करते हैं अपनी सूचनाओं के आधार पर और अगर उस प्रतिवाद से यह परिणाम निकाल लिया गया कि आपका अपमान हो रहा है और अधीनस्थ अधिकारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो फिर आपकी बात का प्रतिवाद मंत्रिगण कर ही नहीं सकेंगे । बड़ी दिक्कत होगी । तो प्रतिवाद करना अपनी सूचना के आधार पर, यह तो उनका कर्त्तव्य और अधिकार है और उसके ऊपर कोई हम बन्धन या मर्यादा निश्चित करें, ऐसा तो हो नहीं सकता ।

अब सिर्फ एक बात जरूर रह जाती है कि चूंकि माननीय गृह मंत्री एक विशाल शक्ति के अधिकारी हैं इस वजह से उस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है । इसके लिये मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हम अपने मंत्री पर विश्वास करें कि वह ऐसा न करेंगे । अगर ऐसी बात हुई तो आपको अधिकार है कि आप उसको सदन के सामने प्रस्तुत करें । सत्तारूढ़ दल ने अपने में से एक महानुभाव को मंत्री नियुक्त किया है । वह स्वयं अकेले नहीं हैं । एक पूरी सरकार बनी हुई है, मन्त्रिमंडल है और हम विश्वास करते हैं कि मंत्रिमंडल के ऊपर जब तक उत्तर-दायित्व है इस राज्य के शासन को चलाने का, तब तक उस दायित्व को निभायेंगे, तब तक उसके

मंत्री के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा और दूसरे लोगों को भी विश्वास करना पड़ेगा कि वह जनहित में अधिकार बर्तेंगे और अगर इसमें कोई हम विकृति देखें तो उसको मन्त्रिमंडल के सामने रखें। इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि केवल इस घटना से यह अनुमान नहीं निकालना चाहिये कि माननीय सदस्य का अपमान करने के लिये या अपने अधीनस्थ अधिकारी को बढ़ावा देने के लिये यह बयान हुआ। ऐसी बात का मुझे अनुमान नहीं हो सकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, यह नहीं कहा गया कि बढ़ावा देने की नीयत से ऐसा किया। जो विचार आपने व्यक्त किये वह किसी बात के संदर्भ में आपने कहे और जो मैंने आपको लिखकर दिया उसका तात्पर्य दूसरा है। मैं ऐसा समझता हूं कि इन्होंने जो अपने स्टेटमेंट में जनरलाइज करके कहा उसका प्रभाव अधिकारियों पर क्या पड़ेगा? वह सदन में किसी बात को मानते हैं और सदन के बाहर नहीं मानते हैं तो इसका सन्दर्भ देखना चाहिये। कुछ बात होती रहती है और हम भी रोज उनका प्रतिवाद करते हैं? लेकिन अगर कोई जनरलाइज करके स्टेटमेंट देता है तो फिर बाहर हम लोगों को सुरक्षा नहीं हो सकती है और सचमुच हमारे हित की भी सुरक्षा नहीं हो सकती हैं.....

श्री अध्यक्ष--

तो इतनी बात कह दी कि मंत्री इस बात को देखेंगे कि कोई ऐसी बात न होने पाये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाटी--

वह मजबूरन विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी जगह पर अगर हमारे हित की रक्षा नहीं हुई तो श्रीमन् इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

माननीय गृह मंत्री के विषय में आप द्वारा अपने मन से व्याख्या की गई है। गृह मंत्री जी स्वयं यहां पर कुछ व्याख्या कर देते तो बात कुछ समझ में आ जाती। यह आपने अपनी ओर से व्याख्या की है। इस प्रकार की व्याख्या करने से हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिये हम भी ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

श्रीमन्, माधवप्रसाद जी ने एक विशेष विषय के संदर्भ में बात कही। हम उनकी बातों को बड़े गौर के साथ सुनते रहे। मगर उन्होंने जनरलाइज करके बात कही कि इतनी बात को बाहर सच मानिये। अगर उन्होंने कह दिया कि हमारा एक लाख रुपया इन पर चाहिये तो फिर सच कहने के लिय बाहर बड़ी दिक्कत हो जायगी। क्या उसको सही बाहर माना जायगा?

श्री अध्यक्ष--

वह ऐसा नहीं करेंगे।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

श्रीमन्,

श्री अध्यक्ष--

अब मुझको जो निर्णय देना था वह मैंने दे दिया।

श्री प्रेमसिंह--

श्रीमन्, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि उस दिन मैं यहां पर मौजूद था तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं यह चाहता हूं कि कम से कम वह शब्द निकाल दिया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--

अगर वह अशिष्ट है, अभद्र है तो मैं निकाल सकता हूं।

श्री प्रेमसिंह--

अगर आप उन शब्दों को लाइट समझते हैं तो जो चाहें आप कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गृह मंत्री यह बयान दे दें कि हम आपकी बात को नहीं मानते या उनके बयान से उनके अधिकारियों और कर्मचारियों का आदर बढ़े तो हम भी छुई-मुई नहीं हैं, हम भी लाखों के प्रतिनिधि हैं, हम यह नहीं मानते कि उनके बयान से कोई क्रान्ति हो जायगी, उपद्रव हो जायगा, लेकिन जो संसदीय मान्यताएं हैं, जब कभी ऐसे बयान उन्होंने इस सदन में दिये, आपने स्वयं कहा और एक प्रश्न उठा कि हम बाहर आपको देख लेंगे। दूसरी बार आपका यह बयान हुआ कि हम आपकी बात का यहां मानते हैं, लेकिन बाहर नहीं मानेंगे। (व्यवधान) नेगी जी, मैं इसको जनरलाइज नहीं करता। सवाल एक विशेष परिस्थिति में आपके विशेष बयानों का है। इसलिये हम चाहते थे कि अगर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है टेक्निकलिटीज की वजह से, लेकिन यह बातें बार बार दोहराई जाती हैं और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो पुलिस मंत्री हो, जिसके आचरण, व्यवहार और बात की बड़ी गहरी प्रतिक्रिया हो सकती है, हमें उस पर अवश्य विचार करना चाहिये था। आपने उस कोविशेष परिस्थिति में टाल दिया है। मैं समझता हूं कि अगर उस पर विचार हो जाता तो अच्छा होता, उसका प्रभाव अच्छा पड़ता। लेकिन विशेष परिस्थितियों में आपने अगर सुझाव दिया होता कि वह रिथिंकिंग करें और गौर करें कि इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये तो उचित होता। वह भी माननीय सदन के सदस्य हैं। उन्हें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे किसी माननीय सदस्य को या संसदीय व्यवस्था के किसी माने जाने नियमों का उल्लंघन हो। श्री रघुवीरराम ने सदन में एक बयान दिया। बाहर का कोई बयान होता तो चैलेंज किया जाता। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उचित हुआ होता यदि इस पर कोई विचार हो गया होता ताकि उनको रिथिंकिंग करने में सहायता होती। इस दृष्टिकोण से यहां पर विवाद करना जरूरी था। दुर्भाग्य है कि आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

हमारे विधान सभा की अवधि में आजतक नियम ३०१ के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव विरोधी दल की तरफ से नहीं लाया गया। ऐसी कुछ परिस्थितियां पैदा हुई जिनके कारण यह प्रस्ताव आया और आपने कृपा करके उसको पढ़ भी दिया। कुछ राय भी आपने ले ली। तो जैसा कि श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा कि अगर गृह मंत्री जी का ऐसा व्यवहार हुआ है तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं। या तो अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय या सेंश्योर मोशन लाया जाय, लेकिन वह नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अभी उस पर बहस हो चुकी है। अब चारा यही था कि ३०१ के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव यहां लायें। आपने भी उसकी महत्ता को समझा और आपकी जो व्यवस्था उस पक्ष में थी कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये फिर भी वह बात नहीं मानी गयी। अगर इस पर आप सदन को विचार करने के लिये आज्ञा दे देते तो बड़ी कृपा होती। अतः हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(निर्दलीय दल के सदस्यों द्वारा सदन का परित्याग करते समय।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय शर्मा जी, मैंने जरूरत नहीं समझी। एक बात मैंने कह दी। मैं समझता हूं सबकी भावनाएं हमने जान लीं और वह प्रश्न समाप्त किया जाता है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी और जैसा कहा वह आपने ठीक कहा, लेकिन जहां आप हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं और भावनाओं का आदर करते हैं, वहां माननीय मंत्री जी का जो यह बयान है उसके बाहर क्या असर हुआ है तथा हमारी व सभी माननीय सदस्यों की क्या प्रतिष्ठा रह गयी, इस पर वह और आप स्वयं विचार करते तो उसका अच्छा असर होता। आपने जो व्यवस्था दी उसको हम स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे सम्मान की रक्षा करें पर भिन्न दृष्टिकोण देख कर हम ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

जिस उद्देश्य से आपने वक्तव्य दिया है उसको हम सही समझते हैं। गृह मंत्री यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी बात का स्पष्टीकरण करना उचित नहीं समझा और जैसा कि रिथिंकिंग की बात कही गयी है, वह उनको करना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, यदि आपने इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर प्रदान किया होता और हमें भी अपने विचार रखने का मौका दिये होते तो अच्छा होता। हमारी पूरी बातें सुन लिये होते और उनकी भी सुन लिये होते और रिथिंकिंग का भी फल आपको मालूम हो जाता, लेकिन आपने मौका देना उचित नहीं समझा। उसके विरोध स्वरूप हम ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा-योजन

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६-श्रम और सेवा योजन के अन्तर्गत २,८४,२४,८०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन् इस अनुदान का संबंध एक तो इस प्रदेश में श्रमिक और सेवायोजकों के बीच औद्योगिक शान्ति कायम करने से है तथा दूसरे श्रमिकों के कल्याण के लिये इस प्रकार की व्यवस्था करना है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो उनकी कार्य-क्षमता बढ़े तथा उनका बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास भी हो। साथ ही उनके साथ अगर अन्याय हो तो उसका प्रतिकार किया जा सके।

श्रीमन् इस ग्रान्ट का संबंध प्रदेश के अन्दर औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा रोजगार की व्यवस्था करने से भी है। हमारी जो दूसरी प्रगतिशील योजना है वृद्धों के लिये पेन्शन देना जिसको कि हमारे प्रदेश में ही सबसे पहले अपनाया गया है उससे भी बड़ा लाभ है और वह बड़ी लाभप्रद सिद्ध हुई है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो एस० आई० योजना हमारे प्रदेश में चली है उससे भी श्रमिकों को बड़ा लाभ हुआ है। २ लाख से अधिक श्रमिकों ने इससे लाभ उठाया है। प्राविडेन्ट फंड की योजना से भी श्रमिकों को बड़ा लाभ हुआ है। २ लाख से अधिक मजदूरों ने इससे लाभ उठाया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसीदास]

श्रीमन् मैं इस सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। जो विशेष-विशेष घटनायें हुई हैं उनकी ओर भी इस सदन का कुछ ध्यान आकर्षित करूंगा। १९६२ में चीन के आक्रमण के बाद दिल्ली में श्रमिकों और सेवायोजकों तथा सरकार के प्रयत्नों से इस बात का एक संकल्प किया गया था कि इमरजेन्सी की विशेष स्थिति में कोई इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया जायेगा जिससे औद्योगिक अशान्ति हो या उद्योग को किसी भी प्रकार से ठेस लगे। दोनों ने इस प्रकार का मिल कर वचन दिया था कि वे औद्योगिक शान्ति को बनाये रखेंगे और जो भी विवाद होंगे उनको पारस्परिक बातचीत द्वारा हल किया जायेगा और कहीं फिर भी मतभेद रह जायेगा तो उसको आर्बिट्रेशन की मशीनरी द्वारा तय किया जायेगा। जब से श्रमिक क्षेत्र में एडजुडिकेशन, कन्सीलिएशन तथा आर्बिट्रेशन आदि के सिद्धान्त को माना है तब से श्रमिकों के अधिकारों को बहुत हद तक संरक्षण मिला है और उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। परन्तु १९६४ में शुरू साल में ही भाव एक साथ काफी तेज होने लगे। पहले जो प्राइस इन्डेक्स ५६५ था वह लगभग ७०० के पहुंच गया और फिर ७२५ तक पहुंच गया। इससे श्रमिकों की कठिनाइयां बढ़ गयीं। इससे मालूम यह होता है कि प्राइस इन्डेक्स करीब-करीब १६० प्वाइन्ट बढ़ गया। सरकार ने श्रमिकों की कठिनाइयों को कम करने के लिये भी प्रयत्न किया। गवर्नमेन्ट ने एलेक्ट्रिसिटी के वर्कर्स के लिये यहां के एक अवकाश प्राप्त जज श्री जे० के० टंडन जो कि आजकल हमारे इंडस्ट्रिअल ट्रिब्यूनल के भी जज हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी मुकर्रर की जो कि बिजली उद्योग के अन्दर लगे हुये श्रमिकों की स्थिति का पूरी तरह से अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। लेकिन इंटरिम रिलीफ के तौर पर यह तय किया गया कि महंगाई ५० प्वाइंट से ज्यादा बढ़े तो प्रति ५० प्वाइंट पर दो रुपया दिया जाय और जिसका फल यह है कि आज बिजली उद्योग के प्रत्येक कर्मचारी को छः रुपये मासिक की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार टेक्सटाइल उद्योग में बहुत से कर्मचारी लगे हुए हैं। टैक्सटाइल उद्योग के अन्दर एक फैसला हुआ था जिसके मुताबिक टेपरिंग बेसिस पर डी० एफ० ए० के अन्दर वृद्धि हुई थी और ७०० प्वाइंट तक वह तीन आने थी उसके बाद दो आने हो जाती थी और ७०० प्वाइंट के ऊपर वर्कर्स को किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। इससे वर्कर्स का संकट बढ़ता जा रहा था। सरकार ने प्रयास किया और एक अध्यादेश जारी करके नियम में परिवर्तन करके इस प्रकार की व्यवस्था की कि ६०० प्वाइंट तक भी ३ आने मिले और उसके बाद भी तीन आना मिले और ७०० प्वांइट के बाद में जिसकी कि पहले कोई व्यवस्था नहीं थी उस पर भी तीन आने के हिसाब से महंगाई में वृद्धि हो, जिसका फल यह हुआ कि टेक्सटाइल्स के प्रत्येक वर्कर को जो कानपुर में काम कर रहे हैं, लगभग साढ़े पन्द्रह रुपये प्रति मास की वृद्धि हुई है।

शुगर के उद्योग में वेज बोर्ड ने यह सिफारिश की थी कि उनके वेतन में दस रुपये की वृद्धि की जाय और वह वृद्धि अक्तूबर से अमल में आनी थी, लेकिन विभाग के प्रयत्नों के फलस्वरूप यह वृद्धि पहली जूलाई से लागू करने की बात उनको समझाने में कामयाबी हो सकी और शुगर इंडस्ट्री में दस रुपये की वृद्धि पहली जूलाई, सन् ६४ से शुरू की गई। इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम फैक्ट्री में और कुछ लेबर संस्थानों में व्यक्तिगत फैसलों के द्वारा वर्करों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया। एल्यूमिनियम फैक्ट्री में सन् ६४ में ही २० रुपये महीने की वृद्धि की गई। बाद में दस रुपये महंगाई की वृद्धि की गई जिसका नतीजा यह है कि आज प्रत्येक वर्कर के वेतन के अन्दर ३० रुपये मासिक की वृद्धि है। कानपुर के अलावा जो टेक्सटाइल उद्योग थे जैसे कि मोदीनगर, सहारनपुर आदि जगहों में वहां पर भी एक फैसला करके उन मजदूरों के वेतन के अन्दर ६ रुपये की वृद्धि की गई।

बीड़ी उद्योग के मजदूरों के अन्दर बहुत दिनों से असन्तोष चला आ रहा था। यह उद्योग मध्य प्रदेश का मुख्य उद्योग है, लेकिन हमारे प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या बीड़ी में काम करने वाले मजदूरों की है। मजदूरी उनको कहीं डेढ़ रुपया मिलती थी, कहीं इससे कुछ ज्यादा मिलती थी, कहीं कुछ कम मिलती थीं। कहीं इस रूप में चलता था कि एक हजार बीड़ी बनायें तो

डेढ़ रुपया मिलता था। इनसे बड़ा भारी उनके अन्दर असन्तोष था। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेज इन्क्वायरी कमेटी के सुपुर्द इस प्रश्न को किया। उसने अपनी सिफारिशें कीं। उनको सरकार ने मंजूर किया। मंजूर करके इस बात की विज्ञप्ति कर दी है कि जहां नोटीफाइड एरियाज, म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां पर डेढ़ रुपये से बढ़ाकर १ रु० १४ आना कर दिया जाय और जो कि इसके बाहर काम करने वाले हैं उनके लिये डेढ़ रुपये से बढ़ा कर १ रु० १२ आना कर दिया जाय। इससे हजारों की संख्या में बीड़ी के श्रमिकों की आमदनी में सुधार होगा। इस वक्त जो असन्तोष और कुछ रिट्स चल रहे हैं जिनकी वजह से कई साल तक श्रमिकों को किसी भी प्रकार की आमदनी होने की आशा नहीं थी, उसके अन्दर कुछ परिवर्तन हुआ है और दो महीने के अन्दर जबकि आपत्तियां समाप्त हो जायंगी तो इनको अन्तिम कर दिया जायगा जिससे कि हमारे प्रदेश के हजारों की तादाद में श्रमिकों के जीवन स्तर के अन्दर उनकी आमदनी के अन्दर एक बृद्धि होगी। सरकार ने जो भी वेज बोर्ड बनाये, उनको कार्यान्वित कराने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया। इसी तरह से शुगर वेज बोर्ड व जूट, वेज बोर्ड को भी कार्यान्वित किया। केवल एक फैक्टरी ने रिट फाइल कर दिया, जिस पर अमल नहीं हो पाया।

बोनस के बारेमें केन्द्रीय सरकार ने एक बोनस कमीशन मुकर्रर किया था, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन बोनस कमीशन की रिपोर्ट अभी तक मान्य नहीं हो सकी है। लेकिन उसके बाद भी शुगर इन्डस्ट्री से फैसला हुआ, जिसके अनुसार १९६२-६३ का जो बोनस था, उसको जल्द से जल्द १९६४ में दिलाया गया और पारसाल जितना भी बोनस उनको मिलना चाहिये, वह ४१ लाख मिला जिसमें पिछले साल की बनिस्बत काफी वृद्धि हुई। और जो गत साल गुजरा है, चूंकि उस वक्त महंगाई थी, कार्यकर्ता कठिनाई के अन्दर थे, इसलिये जल्दी की गई, वह बोनस भी फैसले से तय हो गया और उसमें भी २८ लाख रुपये की वृद्धि हुई है जबकि चीनी कारखानों की स्थिति गत दो सालों की बनिस्बत गिरी है। जो शुगर इन्डस्ट्रीज के अन्दर काम करने वाले वर्कर्स हैं, जैसा मैंने कहा १९६२ के मुकाबिले में ११ लाख अधिक दिया गया, उस पर भी १९६३ में जो हमने बोनस दिया है, वह २८ लाख रुपया अधिक है, जिससे श्रमिकों को बहुत कुछ हद तक राहत मिलेगी। इसी तरह से कानपुर के टेक्सटाइल कारखानों १९६२-६३ का जो बोनस एरियर आता था, सरकार ने प्रयत्न किया और १९६३ के एरियर्स को दिसम्बर तक बहुत कुछ दे दिया गया। १९६२ के लिये भी हमारा प्रयास है कि अप्रैल तक वह पूरी तरह से अदा हो जाय। इसी प्रकार कानपुर के दूसरे कारखानों में हमारी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया गया है कि बोनस समय पर मिले।

जर्नलिस्ट्स के लिये जो वेज बोर्ड की सिफारिश थी उसको भी सूबे के २६ संस्थानों में से २३ में अमल किया जा रहा है। अब जो दोबारा १९६५ में फैसला हुआ उसके मुताबिक जो इन्टेरिम रिलीफ दी गई कि जो साढ़े सात सौ रुपये तक वेतन पाते हैं, उनको कम से कम १५ रुपये और अधिक से अधिक २५ रुपये की वृद्धि उनके वेतन के अन्दर हो सकेगी। सरकार ने बराबर इस बात का प्रयत्न किया है कि औद्योगिक शांति को हम कायम रखें तथा मजदूरों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखें।

अभी हाल में हमने यह निश्चय किया है कि श्रमिकों पर जो जुर्माने की रकम मिलों में जमा होती है या जो मजदूर अपना वेतन लिये बगैर छोड़कर के चले जाते हैं, जो करीब १ लाख रुपया सालाना से ज्यादा होती है, उसके लिये एक लेबर वेलफेयर फंड बनाया जाय। इस तरह का एक कानून भी हम सदन में लाएंगे, ताकि वह वेलफेयर फंड बन सके और वह धनराशि मजदूरों के कल्याण के लिये काम में लायी जा सके। १९३७-३८ में जब कांग्रेस सरकार बनी, सबसे पहले, उसने लेबर वेलफेयर सेन्टर्स के सिद्धान्त को माना और यहां पर कुछ केन्द्र कायम किये गये। हमारे प्रदेश में ऐसे केन्द्रों की संख्या ७१ है। उन केन्द्रों के मातहत इस

[श्री बनारसीदास]

समय हमारे यहां ६८ डिस्पेंसरीज काम कर रही हैं, जिसमें ३१ एलोपैथिक हैं, १९ होमियोपैथिक, १७ आयुर्वेदिक और एक यूनानी है, जिनसे बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स लाभान्वित होते हैं। वर्कर्स पर उनके कल्याण के लिये जो रुपया खर्च होता है, वह २४ लाख २ हजार ३० है। इसमें मिडवाइफ सेन्टर्स भी हैं, उनके मनोविनोद का भी प्रबन्ध है, रेडियो सेन्टर्स हैं, औरतों के लिये एम्ब्राइडरी सेन्टर्स हैं, दर्जी का काम सिखाने का सेन्टर है तथा दूसरी हाबीज को भी केटर किया जाता है, ताकि उनके जीवन के अन्दर सुधार हो। इनडोर आउटडोर गेम्स का प्रबन्ध है, जिससे मजदूर स्वयं अपनी प्रतिभा को विकसित कर सके। इसी प्रकार ड्रामा और नाटक की भी व्यवस्था की जाती है। हमारे सूबे के अन्दर इ० एस० आई० स्कीम के अन्तर्गत ६७ मुस्तकिल अस्पताल और ९ चलती-फिरती डिस्पेंसरीज कायम की गई हैं, जिससे मजदूरों के जीवन के अन्दर काफी सुधार हुआ है।

लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश के अन्दर कुछ कारणों से जिसके पीछे मुख्यतः राजनीतिक कारण थे, कामों के घन्टों में काफी कमी हुई है। कानपुर में जहां प्रदेश का १/३ मजदूर काम करता है, हमारे यहां मजदूरों की संख्या जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं ३ लाख ३० हजार है, जिसमें से ८३ हजार मजदूर अकेले कानपुर के अन्दर काम करते हैं। वहां श्रम के घंटे जो नष्ट हुए उस कुल का २/३ कानपुर में नष्ट हुए और जहां मजदूरों की संख्या २/३ से भी अधिक है, वहां काम के घंटों का ह्रास १/३ से कम हुआ। उसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश में राजनीतिक कारणों से तमाम राजनीतिक पार्टीज ने एक दिन के लिये सांकेतिक हड़ताल सितम्बर में की थी, जिससे एक लाख २० हजार काम के घंटों का ह्रास हुआ। सेंट्रल वर्कशाप (रोडवेज) के अन्दर उत्तेजना में आकर लम्बी हड़ताल हुई, जिससे एक लाख काम के घंटो का ह्रास हुआ, जबकि सरकार चाहती थी कि जितनी भी सरकार की संस्थाएं हैं, उनके झगड़े परमानेन्ट कंसीलियेशन मशीनरी से तय किये जांय। इससे मजदूरों की तकलीफें बढ़ी और अन्त में उस प्रश्न को फैसले के लिये सुपुर्द किया गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि इन हड़तालों की वजह से करीब ढाई लाख मैन पावर्स का ह्रास अकेले कानपुर में हुआ है। तमाम प्रदेश में कानपुर के मुकाबिले १/३ काम के घंटों का ह्रास हुआ, जबकि मजदूरों की तादाद २/३ है और कानपुर में जहां उनकी संख्या १/३ है वहां, २/३ काम के घंटों का ह्रास हुआ, इससे राष्ट्र को क्षति पहुंची और मजदूरों को भी मजदूरी कम मिली इस दुःख और मुसीबत से उनको बचाया जा सकता था, अगर थोड़ा सा संयम से मजदूर काम करते।

मैं समझता हूं कि माननीय यूसुफ तथा अन्य सदस्य डाक्टर सम्पूर्णानन्द एवार्ड की चर्चा आज बहुत करेंगे। उस एवार्ड को हमने कार्यान्वित किया है। ग्रेच्युटी का खासतौर से इसके अन्दर जिक्र किया जायगा, लेकिन आप देखेंग कि ग्रेच्युटी के लिये ४ हजार ६०० दरख्वास्तें आईं, जिसमें से ३,५८१ का फैसला हो गया है और ४९,७२,२७७ रुपया अदा कर दिया गया। इसमें से ३२८ दरख्वास्तें पुरानी हैं। जिसमें १४३ दरख्वास्तें केवल ३ महीने की हैं। तो ग्रेच्युटी के बारे में अक्सर लोगों को शिकायत रहती थी। इसका प्रयत्न किया गया है। इसके अलावा रेशनलाइजेशन के बारे में जो फैसला किया गया था, मुझे खुशी है कि सब लोगों के सहयोग से उसके अन्दर काफी प्रगति हुई है। जो मजदूर टेम्पोरेरी थे, रेशनालाइजेशन स्कीम को कार्यान्वित करने की वजह से उनको स्थायी किया गया और वहां पर काम भी तेजी से चला। इससे आपको मालूम होगा कि हमने सम्पूर्णानन्द एवार्ड के मुताबिक कार्यवाही की है और हम बराबर प्रयत्नशील रहे कि जहां कहीं भी रेशनलाइजेशन के अन्दर कमी है, उसको दूर करने के लिए पूरी तरह से कोशिश की है।

श्रम विभाग का मुख्य काम यह है कि वह लेबर के हितों की रक्षा करे तथा उद्योगों के अन्दर शांति कायम रखी जाय। इसीलिये बराबर यह बल दिया जाता है कि जितने भी विभाग हैं वह संराधन मशीनरी के सामने आकर तय हों, और जो प्रश्न वहां न तय हो सकते हों, उनको

गवर्नमेंट रेफर करे एडजुडिकेशन के लिए। गवर्नमेंट का बराबर यह प्रयत्न रहता है कि जो भी अवार्ड्स हों उनको शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित कराया जाय। गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से कार्यान्वित कराया है और हम इसके लिये प्रयत्नशील हैं कि अवार्ड्स जल्दी तय हो जायं। लेकिन मैं देखता हूं कि अदालतों की प्रोसीडिंग्स में देरी हो जाती है इसका दोष सेवा योजन और श्रमिक दोनों पर है क्योंकि दोनों ही एजर्नमेन्ट सीक करते हैं, इसलिये देरी हो जाती है।

इस समय मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऐसा करना ज्यादती होगी। माननीय सदस्य जब अपने विचार व्यक्त करेंगे तब मैं और जो कुछ कहना होगा, कहूंगा। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल १५ आई० टी० आई० थे और ६ हजार से कम ट्रेनीज उसमें शिक्षा पाते थे। तीसरी योजना का लक्ष्य हमने ४४ का रखा था और शिक्षार्थियों की संख्या १६ हजार रखी थी, लेकिन बड़ी खुशी और संतोष के साथ मैं यह बता देना चाहता हूं कि ४४ के बजाय हम ४८ ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स कायम कर सके हैं। इसके लिये जो इस विभाग को संचालित करते हैं, उनको बधाई देता हूं। इस योजना में हम ऐसे जिलों को भी शामिल कर सके हैं जो कि पहले शामिल नहीं थे जैसे—बहराइच, गाजीपुर और सुल्तानपुर। लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से बांदा में हम एक खोलना चाहते थे। वह नहीं खोल पाये हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां भी खुल जाय। जहां तक बिल्डिंग्स का ताल्लुक है उनको भी जल्दी बनाने की कोशिश की जायगी। १६ हजार प्रशिक्षार्थियों की जो संख्या हमने निर्धारित की थी उसके बजाय १७ हजार से ज्यादा अब उनकी संख्या हो जायगी। यह एक ऐसी योजना है जिससे हमारे देश और प्रदेश में जो टैक्नीकल पर्सनल की कमी थी, वह बहुत हद तक पूरी होगी।

इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में एक एयर क्राफ्ट फैक्टरी है जिसमें लड़कों को बहुत काम मिल सकता है। हमने उनसे मिल कर एक ऐसी योजना चालू की है कि वे हमारे प्रदेश के साढ़े पांच सौ लड़कों को अपनी फैक्ट्री में दाखिल करें। इनको फैक्टरी की तरफ से छात्रवृत्ति दी जायगी। इन लड़कों को सेवा प्राप्त कराने की भी पूरी गारन्टी होगी। फरवरी में हमने २५० लड़कों को इसमें दाखिल कराया है, २५० दूसरे सेशन में दाखिल करायेंगे। इस फैक्टरी में हवाई जहाज बनाये जाते हैं, ये लड़के उसी काम में लगाये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त हमने अपने प्रदेश में एक एप्रेन्टिसशिप की योजना भी जारी की है। हमारे यहां जितने भी कारखाने हैं उनको मजबूर किया जायगा कि वे अपने यहां हमारे यहां के लोगों को एप्रेन्टिस रखें। ऐसे लोगों की संख्या लगभग १२०० होगी। इस प्रकार से हमारे यहां के लोगों में प्राविधिक ज्ञान की योग्यता बढ़ती है और प्रदेश में उद्योगों को लाने की क्षमता भी बढ़ती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कोई बहुत बड़े संतोष की बात नहीं है कि इतने लोग हमारी फैक्टरियों में काम करते हैं। यद्यपि यह सही है कि सन् १९६१ में २,९२७ फैक्टरी हमारे प्रदेश में थीं जबकि अब ३,५०९ फैक्टरीज हैं और जब इन फैक्टरियों में २,८७,७७२ लोग काम करते थे, अब ३,२० हजार लोग आर्गेनाइज्ड फैक्टरीज में काम करते है। यह कोई संतोष की बात नहीं है। क्योंकि हमारे प्रदेश में संगठित उद्योगों में एक लाख के पीछे ३०० व्यक्ति काम करते हैं जबकि हमारे सारे देश में उसका औसत ८०० है।

इन सब को और बढ़ावा देने के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने प्रदेश में औद्योगिक शांति कायम रखे, इंडस्ट्रियल की भावना पैदा करें, टेक्निकल नो हाउ (know how) पैदा कर, हमें इन चीजों के टैम्पो को अपने प्रदेश में बढ़ाना होगा जिससे यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो और मजदूरों को ज्यादा काम मिल सके तथा खेती पर भार कम हो सके। इस विभाग द्वारा कई श्रम कानून भी लागू किये गये हैं। जैसे मिनिमम वेजेज ऐक्ट है, फैक्टरीज ऐक्ट है, दूकान एवं वाणिज्य अधिनियम है। प्रदेश के मुख्य-मुख्य नगरों में कहीं आंशिक रूप में और कहीं पूरे रूप में दूकान एवं वाणिज्य अधिनियम को लागू कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत

[श्री बनारसीदास]

हफ्ते में एक दिन की छुट्टी रहती है, काम के घंटे भी जहां पहले मुकर्रर नहीं थे, मुकर्रर कर दिये गये हैं। पहले जहां दूकान पर काम करने वाले कर्मचारियों को कोई अवकाश नहीं मिलता था वहां अब उनको हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है और इस कानून के द्वारा बहुत काफी ह[illegible]तक उनको राहत मिली है। उस कानून का हम उत्तरोत्तर विस्तार कर रहे हैं।

इसी प्रकार से हमने कुछ समय हुआ चमड़े के उद्योग तथा दूसरे विविध उद्योगों म मजदूरों के लिये निम्नतम वेतन क्या हो, इसकी जांच करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल के महीने में आने वाली है। उस रिपोर्ट के आने के बाद हम चमड़े के उद्योग तथा दूसरे उद्योगों के अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में इस बात का फैसला करेंगे कि उनके निम्नतम वेतन में क्या वृद्धि की जाय। रिपोर्ट के आने के बाद ही हम उस निम्नतम वेतन वाली योजना को जारी करेंगे जिससे हम आशा करते हैं कि मजदूरों को बहुत कुछ हद तक सहायता मिल सकेगी। तो सेवा योजन जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट का है, वह उन कानूनों का इनफोर्समेंट कर रहा है।

अक्सर इस सदन के अन्दर खेतिहर मजदूरों की चर्चा होती है। खेतिहर मजदूरों के लिये भी मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है। पूर्वी जिलों के अन्दर साढ़े ३२ रु० और पश्चिमी जिलों के अन्दर ३९ रु० माह बढ़ा उनका मिनिमम वेज है। पूरी तरह से इनका इनफोर्समेंट करना सम्भव नहीं है और न हम उसे कर सकते हैं। २० एकड़ से ज्यादा के जो काश्तकार हैं उनको तो मजदूरों के लिये रजिस्टर आदि रखना पड़ता है। २० एकड़ से नीचे के जो काश्तकार हैं उनके ऊपर आर्थिक दृष्टि से इसको लागू करना कठिन भी होगा। कुछ लोगों में यह भ्रांति है कि गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज निश्चित किया है उससे मजदूरों का नुकसान होगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। सरकार ने तो कम से कम वेतन निश्चित किया है कि इससे कम कोई नहीं दे सकेगा। जो उसके ऊपर देना चाहते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, यद्यपि इस ग्रांट के अन्दर इसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस विभाग के द्वारा प्रदेश के करीब १२ हजार से अधिक वृद्ध व्यक्तियों को २० रु० महीना पेंशन देने की योजना है। पहले एक व्यक्ति को १५ रु० महीना ही पेंशन मिलती थी उसे हमने बढ़ा कर अब २० रु० महीना कर दिया है। पहले वृद्ध व्यक्ति की आयु ७० वर्ष मानी गयी थी जिसे घटा कर हमने ६५ वर्ष कर दिया है। वृद्धा औरतों के लिये उसे ६० वर्ष ही कर दिया है। पहले अगर किसी व्यक्ति का भाई जिन्दा होता था तो उसे पेंशन देने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब उस शर्त को हटा कर प्रत्येक वृद्ध और वृद्धा को जिसका कोई लड़का नहीं है, चाहे उसका भाई भले ही जिन्दा हो...

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, उस लाबी को तो घसियारी मंडी का बाजार बना दिया गया है। इतना हल्ला हो रहा है, उन लोगों को आप पुलिस के हवाले कीजिये।

श्री बनारसीदास—

तो उनको पेंशन मिलेगी। यह जो पेंशन की स्कीम है वह तो केवल एक सिद्धांत की शुरुआत है। हम तो उस दिन को देखते हैं जबकि हमारे लिये सम्भव होगा कि हम इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिये इस प्रकार की व्यवस्था कर सकेंगे। दुनिया के जो समृद्धशाली और प्रगतिशील मुल्क हैं वहां पर जिस सिद्धांत से लोगों को पेंशन मिलती है उसी लक्ष्य को सामने रखते हुये हम अपने फाइनेंस के मुताबिक इस बात का प्रयास करेंगे और इसको बराबर ही बढ़ाते चले जायेंगे ताकि इस प्रदेश के जितने भी वृद्ध व वृद्धा हैं उन सब को इसकी परिधि के अन्तर्गत ला सकें।

श्रीमन्, सन् १९६४ में श्रम विभाग व सेवा योजन विभाग की तरफ से तथा आई० टी० आई० की तरफ से जो कार्य हुए हैं और जो प्रगति हुई है उसका संक्षेप में सिंहावलोकन करने की मैंने कोशिश की। अन्त में मैं केवल इतना और कहूंगा कि हम इतना जरूर समझते हैं कि हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना आने वाली है वह इस प्रदेश को प्रगति की आधारशिला होगी। प्रदेश के औद्योगीकरण के सम्बन्ध में हम चाहते हैं कि २५००० ट्रेनीज सीट्स को बढ़ाया जाय और प्रदेश की जो मौजूदा आई० टी० आईज हैं उनमें सीटें बढ़ाकर नये आइटम्स खोले जायं और इस के लिये हमने अग्रिम रूप से ५० लाख रुपये की व्यवस्था पी० डब्लू० डी० के पूंजीगत व्यय में अपने बजट में की है, प्रशिक्षण के लिये, ट्रेनिंग के लिये, इक्विपमेंट के लिये प्रबन्ध होगा। हमने जिलाधीशों को अभी से आदेश दिये हैं कि वह अभी से भूमि हस्तगत कर लें ताकि चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण का कार्य प्रदेश में जल्द ही आरम्भ हो जाय। हम चाहते हैं कि हमारे यहां ट्रेनिंग की कैपेसिटी १७,००० से बढ़कर २५,००० हो जाय और इस तरह से कुल ४२,००० सीट्स का प्रबंध ट्रेनीज के लिये हो जाय ताकि उद्योगों में जो टेक्निकल लोगों की कमी है वह पूरी हो जाय। इससे औद्योगीकरण की प्रगति तेज हो जायगी और बेरोजगारी का जो डेडलाक है वह दूर हो जाय। चौथी योजना में जो नया वर्क फोर्स पैदा होगा उसको काम देना हमारी जिम्मेदारी होगी और उनको काम देने के लिये हमारा यह प्रयास है कि आज भूमि पर जो अधिक भार है उसको उद्योग की ओर मोड़ें और इस तरह से लोगों की औसत आय भी बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २६ के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---सरकार की पूंजीपरस्त श्रम नीति की आलोचना करना तथा सूती वस्त्र उद्योग में डा० सम्पूर्णानन्द एवार्ड लागू कर मजदूर हित विरोधी कार्य-कलाप की चर्चा करना, चीनी उद्योग एवं राजकीय कर्मचारियों के लिये बोनस कमीशन के निर्णय पर चर्चा करना।

अधिष्ठाता जी, माननीय श्रम मंत्री को मैंने बहुत गौर से सुना और आज सुबह जब मैं यह किताब पढ़ रहा था "श्रम विभाग का वार्षिक विवरण, १९६४" जिसकी समीक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में की और उसके अलावा और भी बातें उन्होंने सदन के सम्मुख रखीं, अगर सदस्य उसको कुछ समझ पाये होंगे तो वह अपने भाषण में बतायेंगे, लेकिन मैं तो कुछ जान नहीं पाया। बजट के अवसर पर जब कोई मंत्री अनुदान मांगता है तो उसको अपनी नीतियों की चर्चा करना चाहिये। जयपुर से अवाडी तक और अवाडी से भुवनेश्वर तक समाजवादी समाज की रचना करने वाले श्री बनारसीदास जी क्या आज यह अनुभूति रखते हैं कि देश में आपने असमानता को दूर किया है आप समाजवादी समाज की स्थापना की ओर अग्रसर हुये हैं, जनतांत्रिक समाजवादी किसी प्रणाली और समाजवादी समाज की रचना के लिये कोई दिशा आपने अपने भाषण में दी है जिससे सूबे के लाखों मजदूर जो कानपुर की कपड़े की मिल के मजदूरों से लेकर देवरिया की चीनी मिल के मजदूरों और अनेक कारखानों, चमड़े के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों छोटे बड़े उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों का भला हो सकता। उनकी कुछ हौसलाअफजाई होती और प्रोत्साहन मिलता। आपने उनके बारे में क्या कहा ?

मंत्री जी के पास कोई समाजवादी समाज की रचना के लिये कार्यक्रम है ? अगर मंत्री जी अंधेरे में इसी तरह से टटोलते रहेंगे तो फिर नक्कारखाने में तूती की आवाज की तरह ही उनके सारे प्रयास विफल हो जायेंगे। किसी जनतांत्रिक देश में जहां की सरकार ने समाजवादी समाज स्थापित करने की नीति अपनाई हो वहां आपका फर्ज क्या होना चाहिये था ? आपकी दृष्टि मौलिक होनी चाहिये, मजदूरों की आज २ पार्टियां हैं उनकी इस कमजोरी में आपको मदद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

करनी चाहिये ताकि गोलमेज परिषद् में बैठकर उनके साथ एक सामूहिक सौदेबाजी की जाय। मंत्री जी ने कभी सही दिशा में उनकी सहायता नहीं की उनके हितों को सामने नहीं रखा है। मंत्री जी विचार करें कि क्या उन्होंने इस दिशा में कुछ किया है? आई० टी० आई०, आई० एल० ओ० ने सामूहिक सौदेबाजी की मांग की है। आप सरकार के श्रम विभाग की नीतियों का बड़ा ढिढोरा पीट रहे हैं और औद्योगिक शान्ति के बारे में कह रहें हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी ये नीतियां ऐसी हैं जिनसे मजदूरों की बारगेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे औद्योगिक शान्ति हो सकती है। वह शांति नहीं होगी, वह तो अशांति होगी। अगर होगी भी तो वह तो मरघट की शांति होगी। आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट बनाया। उसमें आपने बन्दिश रख दी कि अगर कोई मामला ६ महीने के अन्दर न पेश हो तो न लिया जाय। जहां पर सेन्ट्रल ऐक्ट लागू हैं उनमें यह पाबन्दी नहीं है। चीनी मिल के मजदूरों के सम्बन्ध में भी आपकी सरकार की हार हुयी। मगर जब करारी हार हुयी तो माननीय डा० सम्पूर्णानन्द जी बाबा काशीनाथ को देखते ही उनके चरणों में गिर गये। माननीय रामायण जी जो इस समय हंस रहे हैं, वे भी मेरे साथ ही थे। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने कहा कि सरकार नहीं जीती पर मान्यता हम आई० एन० टी० यू० सी० को देंगे। ये आज औद्योगिक शांति की बात करते हैं। ८० दिन की कानपुर की कपड़ा मिल मजदूर यूनियन की हड़ताल आपने डंडे से तोड़ दी। अभी ८८ दिन की हड़ताल सेन्ट्रल वर्कशाप में हुयी। उनके वर्कर्स की मांग बहुत छोटी सी थी। उनका कहना था कि वे लोग १३-१३ या २२-२२ या २५-२५ साल से वर्कशाप में अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि एक करोड़ का नुकसान हुआ। दूसरी उनकी मांग थी कि वहां पर एक जेज बोर्ड बने जिसमें ३ मेम्बर हों। वास्तव में आपने औद्योगिक शांति की जगह पर अशांति कर दी है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने अपनी जीभ का आदर कहां तक किया। हमारे दार्शनिक और और लोग भी कहा करते थे कि जीभ का आदर किया जाता है। १९४७ में नीम्बकार कमेटी बैठायी गयी। उन दिनों जब उस समिति के अध्यक्ष फैसले लिखा करते थे मैं उस समय बम्बई में था। वे कहा करते थे कि इनसे सारे हिन्दुस्तान के मजदूरों में क्रांति मच जायगी। क्या आपने सारे मजदूरों पर उसको लागू किया है या छोटे छोटे कारखानों पर ही लागू किया है। कमेटी आपने बैठायी, लाखों रुपया आपने खर्च किया लेकिन नीम्बकार एवार्ड आपने लागू नहीं किया। इस समय महंगाई का इन्डेक्स ७२५ पहुंच चुका है। एक बार नन्दा जी ने कहा था कि हम एक माडल एम्प्लायर हैं और मजदूरों को पार्टनरशिप में हिस्सा दिलावेंगे पर यहां पर तो मजदूर मारा जाता है और वह बेचारा बिलबिलाता है। कानपुर के मजदूरों की संख्या ५ साल पहले क्या थी और आज क्या है? उद्योग धंधे तो बढ़ गये, लेकिन मजदूरों की संख्या घटी है। बिन्दबासिनीप्रसाद कमेटी दूसरी कमेटी बनी। कुछ शर्तें उसने लगाईं जिनके अनुसार अभिनवीकरण किया गया सूती वस्त्र उद्योग में। मजदूरों ने उन शर्तों को माना, लेकिन मालिकों ने नहीं माना। विक्टोरिया मिल में अभिनवीकरण चालू किया गया। ११०० मजदूर निकाल दिये गये और मजदूरों को छुट्टी में काम नहीं करना चाहिये था उनसे काम कराया गया और लाठी चार्ज कराया गया। तमाम बातें सदन में आईं। इस प्रकार आप देखें कि सम्पूर्णानन्द एवार्ड और बिन्दबासिनीप्रसाद कमेटी की रिपोर्ट में साफ दिया हुआ है कि शर्तें दोनों तरफ लागू होंगी, लेकिन श्रम विभाग क्या करता है? फारसी का एक मिसरा है :

"खताये बुजुर्गां गिरफ्तन खतास्त"

बड़े आदमियों की गलती नहीं पकड़ी जाती। तो मालिकों की गलती कौन पकड़े? मजदूर रोने जाता है, लेकिन रोने के पहले ही फैसला हो जाता है। फैसला कौन देता है? खेतान, जयपुरिया, सिंहानिया वगैरह। माननीय बनारसीदास जी दिल पर हाथ रख कर बतलायें कि सम्पूर्णानन्द एवार्ड को किसने तोड़ा? कानपुर के मालिकों ने तोड़ा जिन पर

११ करोड़ ७८ लाख रुपया बकाया है लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। दूसरी तरफ ५ रुपये तकावी के बकाया रह जाते हैं तो किसान का बैल कुर्क कर लिया जाता है। तो यह भुवनेश्वर तथा अवाडी का समाजवाद है ?

जूट में वेज बोर्ड कायम कर दिया गया। उसका एवार्ड क्या है उस पर श्री संतसिंह यूसुफ रोशनी डालेंगे। उसका एवार्ड यह है कि जो मजदूरी में अन्तर है वह अन्तर किसी भी वृद्धि होने पर बना रहेगा। जब इस पर कोई वादविवाद खड़ा होता है तो आपका श्रम विभाग क्या करता है ? श्रम विभाग इंटक को बुला लिया करता है समझौता कराने के लिये। चमड़े की मिलों में काम करने वाले मजदूरों का नेता सक्सेना था उसको मालिकों ने कत्ल करा दिया और इंटक को बुला कर समझौता कर लिया गया। वेज बोर्ड की सिफारिश के अनुसार मजदूरी में वृद्धि होने पर जो अन्तर है वह कम नहीं होना चाहिये, लेकिन उसको कमोबेश करके समझौता कराया जाता है। जब पूछा जाता है तो श्रम विभाग कहता है कि हम क्या करें ? यह तो टैक्सटाइल लेबर एसोसियेशन ने कर लिया, इंटक (I.N T.U.C) ने कर लिया। इस प्रकार औद्योगिक शान्ति कतई नहीं रह सकती है। इस सबकी कमजोरी है मंहगाई जो १०० से बढ़ कर ७२५ हो गयी। फिर जो सूचकांक तैयार किये जाते हैं इसको जो मशीन इकट्ठा करती है वह रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। मद्रास में इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गयी थी। उसने रिपोर्ट दी कि जो सूचकांक बनाये जाते हैं महंगाई के उसको तोलने वाली मशीन बिलकुल गड़बड़झाला है और यह लखनऊ की मशीन भी गड़बड़झाला से खरीदी गयी है। कमेटी आपने बनाई और उसका खुलासा निकाला कहते हैं कि हम कम घंटे चलाये गये। क्यों चलाये गये ? आपके विभाग ने क्या देखा ? आपने देखा कि आप के श्रम विभाग की निगाह किस तरफ है ? किस तरह से मजदूर आन्दोलन चलाना चाहते हैं ?

श्रीमन्, मैं कुछ बातें आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमारे देश के अन्य प्रदेशों में लोहे के कारखानों के मजदूरों के लिये वेज बोर्ड बन गये। लेकिन हमारे यहां नहीं बना। इसके बाद यह है कि लोहे के करखानों को जो लोहे का कोटा अब तक मिलता था उस को भी एक चौथाई कम कर दिया गया है। यह बात साफ है कि जब लोहे के कारखानों में लोहा ढालने के लिये नहीं रहेगा तो फिर लोहा ढालने वाले मजदूर वहां क्या करने के लिये रहेंगे ? इसके बाद श्रीमन्, मैं चमड़े की बात कहना चाहता हूं। अभी कहा गया कि चमड़े के मजदूरों के लिये एक वेतन कमेटी बना दी गई है। लेकिन आप देखिये कि उसका हश्र क्या हुआ ? इस कमेटी के एक सदस्य माननीय प्रभाकर त्रिपाठी हैं। इनके ऊपर इनटक ने मुकदमा चलाया। इन्होंने हिन्द मजदूर यूनियन की पंचायत की है। यह बात सब को अच्छी तरह से मालूम है। इस समिति के दूसरे सदस्य माननीय ज्ञानेन्द्र मिश्र हैं। इनका भी चमड़े के लोगों से वही संबंध है जो गधे का सींग से होता है। इस समिति के तीसरे सदस्य महेश निगम हैं, यह वामपंथी कम्यूनिस्ट हैं, जो इस समय जेल में हैं। यह तीनों मेम्बर तीन जगह चले गये हैं। अब यह मालूम नहीं कि इस समिति की बैठक कहां होगी ? इनके सहारे यदि मजदूर रहेंगे तो उन बिचारों का बंटाधार हो जायगा।

एलम्यूनियम के कारखाने के बारे में मुझे यह कहना है कि हमारे देश के अन्य प्रदेश के हिसाब से आप हमारे यहां के मजदूरों को नहीं देते हैं। इसी तरह से मुझे यह कहना है कि णुकोट की मिट्टी से बिड़ला सोना बना रहा है। इस कारखाने से बिड़ला का साढ़े पांच करोड़ का मुनाफा है। साढ़े चार करोड़ का मुनाफा तो बिड़ला भी मानता है। लेकिन उसने अपने यहां के मजदूरों को क्या बोनस दिया ? क्या मजदूरों की नौकरी को स्थायी किया ?

शुगर वेज बोर्ड की आप क्या बात करते हैं ? इस बोर्ड के बनने के बाद इसकी सिफारिशें लागू नहीं हुईं। इतनी अनियमितताएं हुईं कि मजदूरों के हजारों मामले इनके विभाग में पड़े हुये हैं और उनका निपटारा नहीं हुआ है और वे अभी पड़े हुये हैं। हमारे यहां खड्डा की

[श्री उग्रसेन]

यूनियन है। उसके बीच में माननीय मंत्री जी पड़े और उन्होंने उसका खुलासा किया। लेकिन वहां के संराधन अधिकारी कौन हैं? श्री कुलश्रेष्ठ संराधन अधिकारी हैं? वहां के मजदूरों को निकाल कर उनका ढेर किया जा रहा है। चीनी मिलों में काम करने वाले दो हजार से अधिक मजदूर निकाले गये हैं। चीनी मिल मालिकों के मुनाफे के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वे २० लाख टन गन्ना पेरते हैं और १० लाख रुपया कमाते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम गरीब हैं। बम्बई आप लोग चले जाइये तो आपको मालूम होगा कि मालाबार हिल्स में उनकी गगनचुम्बी अट्टालिकायें बनी हुई हैं। ६९ लाख रुपया उनको बोनस मिला है। पार-साल कुछ कम मिला। मैं कहता हूं कि आप बोनस कमीशन को दीजिये और उसके एवार्ड को मानिये। यहां क्या हुआ, बोनस बनाने का हर साल सरकार तिकड़म करती है। एक विवाद आई० एन० टी० यू० सी० का खड़ा कर दिया और एक झगड़ा करा दिया काशीनाथ पाण्डे सर्वेसर्वा बना दिये गये और उन्होंने अपना निर्णय दे दिया। यदि वहां पर नियम से बोनस दिया जाता तो १ करोड़ ४४ लाख बोनस इस साल होता, लेकिन काशीनाथ पाण्डे कमेटी के अध्यक्ष बन गये तो उसने कुल ६९ लाख कर दिया और बाकी रुपया कहां गया। बाकी रुपया मिल मालिकों की जेब में चला गया और काशीनाथ पांडे की जेब में चला गया। मैं इसलिये आपसे कहता हूं कि आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिये, कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिये। नहीं करेंगे यदि, अगर आप इन्हें आपने हाथ में नहीं लेंगे तो यह सूरजमल मगनमल आपके लिये इस जनता के लिये और मजदूरों के लिये कुछ करने वाले नहीं हैं और यह आपके हाथ भी आने वाले नहीं हैं। मेरे जिले में १४ चीनी मिलें हैं। वह आज बिलकुल बेकार पड़ी हैं वे किसी काम की नहीं हैं उनमें भी मजदूरों का शोषण हो रहा है।

माननीय मंत्री जी ने बोनस कमीशन की बात कही। उसने क्या निर्णय लिया उसने तो फारमूला बनाया कि चुकता पूंजी पर मालिकों को ६ परसेंट रिटर्न दिया और चालू पूंजी पर उसने ४ परसेन्ट रिटर्न दिया। मगर भारत सरकार ने कानून में क्या किया कि उसने ६ परसेन्ट के स्थान पर ८ कर दिया और ४ के स्थान पर ६ कर दिया। तो उसका तो निर्णय यह था कि मजदूरों के वेतन का ४ प्रतिशत जरूर बंटेगा और अधिकतम लाभ पर २० फीसदी तक जाएगा वेतन तक। किन्तु गवर्नमेंट आफ इंडिया का कानून बन जाने से मजदूरों का अहित हो गया और लाभ किसका हुआ बड़े-बड़े मिलमालिकों का। ६० प्रतिशत तक लाभ का बोनस बांटा जा सकता है, ८ प्रतिशत और ६ प्रतिशत निकालने पर बांटने के लिये बचेगा क्या जो मजदूरों को देने की बात कही जाती है। तो यह बांट तो बन्दर बांट हो गयी जो बन्दर ने २ बिल्लियों को बांट और स्वयं हजम कर गया और बिल्लियां रोती हुई चली गयी। तो उसी प्रकार से मजदूर आज बोनस के नाम पर रोता हुआ जा रहा है। आपने बोनस कमीशन को बिठाया क्यों? जब बोनस कमीशन की सिफारिश के बाद आप उसमें तब्दीली करना चाहते हैं। इसलिये कि मजदूरों को अपना हक न मिल सके। श्रम कानून में सब से बड़ी बात है—सामाजिक न्याय। हमारे गजेन्द्र गडकर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने हर फैसले में सामाजिक न्याय की बात कही है। यही नहीं इलाहाबाद में एक जज ने एक बलिया के थाने के दारोगा के मामले में निर्णय देते हुये कहा है कि उस दारोगा ने एक मरते हुए घायल आदमी की रिपोर्ट नहीं लिखी, उस सम्बन्ध में कहा है कि जब आदमी मछली जो मरी हुई है ले जाता है तो उनकी खूब परवाह करता है, उनकी देखरेख करता है, लेकिन जो मनुष्य था उसकी ४ घंटे तक लाश पड़ी रही और आपने रिपोर्ट नहीं लिखी। आज यह प्रक्रिया श्रम विभाग में चल रही है।

मैं अब निजी क्षेत्र की बात कहता हूं एन्टी बोयटिक और उर्वरक कारखानों में क्या हो रहा है? सब जगह यही हो रहा है, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों की परियोजनाओं में यही चीज है। चुर्क सीमेंट फैक्टरी में वह बड़े-बड़े अफसर हैं, जिनको सीमेंट की कोई जानकारी नहीं है। तो आपके सारे मजदूर कर्मचारी बिलकुल विक्षुब्ध हैं, उनकी आप देखभाल करें।

बम्बई में वेस्ट कंडक्टर को ९७ रुपया महंगाई भत्ता है, नगरमहापालिका के मेहतर को १०० से अधिक महंगाई भत्ता मिलता है और हमारे यहां के मास्टर जी को बाजारू कीमत है उसे कुल ८० रुपया मिलता है। हमारे यहां का जो चपरासी है आप यहीं के चपरासी को ले लीजिये उसे २७-१/२-३५ यही उसका ग्रेड है। यह उसी ग्रेड में पैदा होता है, उसमें पलता है और वहीं पाते पाते खत्म हो जाता है। उसका वेतन आप १०० रुपया क्यों नहीं कम से कम कर देते? इससे कम में कोई कैसे अपना जीवन बिता सकता है। आपने कहा कि आपने न्यूनतम वेतन कमेटी बनाई, लेकिन उसकी भी सिफारिशों को आपने क्यों नहीं लागू किया?

अब दूसरी बात में न्यायधिकरण के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें भी बड़ी गड़बड़ी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ए० जी० एम०, कर्मचारी को मुअत्तल करता है, बरखास्त करता है, जी० एम० अपील सुनता है और उस पर फिर अपील सेक्रेटरी बसन्तसिंह सेठ सुनते हैं, और फैसला हो जाता है। सारा काम अफसरों में ही हो जाता है। तो इस तरह से कर्मचारियों को कैसे उचित न्याय मिल सकता है? कर्मचारी जो छोटे-छोटे हैं उन्हें साधारण बातों पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है और जो अधिकारी हैं वह अछूते रहते हैं। पी० डब्लू० डी० पर, रोडवेज पर और दूसरे सरकारी विभागों में जहां लाखों मजदूर काम करते हैं वहां पर आपका कोई श्रम कानून नहीं लागू होता है। एक ए० जी० एम०, कानपुर मिस्टर स्याल थे उन्होंने वहां से ७ पंखे और अलमारी चुराई। थाने में रिपोर्ट दूसरे ए० जी० एम० ने लिखाई। मुकदमे में फाईनल रिपोर्ट पुलिस ने लगा दी। इतना होने पर भी माननीय परिवहन मंत्री ने उनके ९ साल के करेक्टर रोल की एन्ट्री जो खराब थी एक बार में काट दी और वह पदोन्नति पर गये और वह जनरल मैनेजर, गोरखपुर बना दिये गये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

करके देखे वह?

श्री उग्रसेन—

उसके लिये हम आपको प्रोत्साहित नहीं करते क्योंकि आप उसके काबिल नहीं, कम से कम इतना सर्टीफिकेट तो हम आप को दे ही सकते हैं।

अब जरा श्रम विभाग को देखिये जिसका काम है कि हमारी हस्ती को महफूज रखे, वह क्या करता है? २६ जनवरी को एक समारोह हुआ। मजदूरों ने "गांधी जी की जय" और "जयहिन्द" के नारे लगाये। ४ आदमियों को निकाल दिया गया। स्वयं श्रम विभाग के ८ आदमियों को निकाल दिया गया। मैं कहता हूं कि श्रम विभाग में स्वयं कोई कानून नहीं है, अगर लागू होगा तो २, २ हजार रुपया पाने वाले अफसरों के लिये हो सकता है लेकिन चपरासियों के लिये वह नहीं लागू है। उनका गुनाह क्या था यही कि उन्होंने "जयहिन्द" का नारा लगाया था। मैंने देखा कि सन् १९४७, १५ अगस्त, सन् १९४७ के पहले के श्रम विभाग को बम्बई में बी० पी० केनी साहब आयुक्त थे, जोशी साहब के द्वारा सन् १९२६ में इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट बनवाया गया जिसके कारण आज हम सब लोग अपना एजीटेशन करते हैं, अपनी मांगें मनवाते हैं, मगर उस समय का हौसला कहां है, आज वह दर्ददिल नहीं है, मर्जे मुहब्बत तो है मगर दर्दे दिल ही नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं माननीय बनारसीदास मजदूरों के लिये नये तरीके से सोचिये और अगर आप नहीं सोचते हैं तो मजदूर तो आज एक ज्वालामुखी पर खड़ा हुआ है मुझे तो ताज्जुब है कि वह आज उभड़ता क्यों नहीं है, उसे उभड़ना चाहिये और कम से कम सौ रुपये की अपनी मांग को मनवाने के लिये, बाकी योजनाओं को छोड़ भी दें तो भी उसे कम से कम उसके लिये तो उभड़ना चाहिये।

श्रम कल्याणकारी केन्द्रों में क्या क्या होता है, नाच होता है क्या क्या होता है, उसके लिये क्या कहूं क्योंकि भ्रष्टाचार तो गंगोत्री और यमुनोत्री से बह रहा है, हम जानते हैं कि जब मिनिस्टर और एम० एल० ए० और चीफ सेक्रेटरी, के० के० दास साहब से भ्रष्टाचार खत्म

[श्री उग्रसेन]

होगा तो चपरासी में से अपने आप खत्म हो जायगा। उसको न कह कर सिर्फ इतना पूछूंगा कि श्रम विभाग के कानून क्या नाफिज हुये? बड़े-बड़े फार्म्स हैं, सुरजीत सिंह मजोठिया का फार्म है, क्या वहां कानून लागू है? १ करोड़ ८४ लाख, २८ हजार ३७६ खेतिहर हैं इस प्रदेश में और ३२ लाख ६१ हजार १७८ खेतिहर मजदूर हैं उन खेतिहर श्रमिकों के लिये क्या आपने आवास की व्यवस्था की? कितने मकान उनके लिये बने? पहली योजना में ६,७६४ मकान बने और दूसरी योजना में २,६०६ और तीसरी योजना में सिर्फ ९६ मकान बनाये गये। मैं पूछता हूं कि औद्योगीकरण आपका बढ़ रहा है या घट रहा है? मैं पूछता हूं कि इन कुल ८ या ९ हजार मकानों में जो आप कहते हैं कि वह ४ हजार या ५ हजार से ज्यादे नहीं हैं, कहां १० लाख मजदूर रहेंगे? बड़े-बड़े लोगों के क्वार्टर्स बनते हैं तो बड़े लोग रहेंगे, लेकिन ये इतने मजदूर कहां रहेंगे? इसलिये जल्दी मजदूरों के लिये क्वार्टर्स बनाइये।

एक बात और कहना चाहता हूं। वृद्धावस्था पेंशन की बात आयी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई सर्वेक्षण कराया कि इस प्रदेश में कितने वृद्ध लोग हैं? आपने यह किया है कि जो दरख्वास्त दे दे उसको आप दे देते हैं, लेकिन कितना मिलता है २० रुपया, ३० रुपया महीना। मंत्री का कुत्ता तो ३ रुपया रोज खावे और एक वृद्धा को २० रुपया या ३० रुपया महीने? इसलिये पहले तो एक पूरा सर्वेक्षण करा लिया जाय। जो यह कह दे कि उनको जरूरत नहीं है उन को न दिया जाय जिसके लड़के आफिसर हैं और पेंशन लेना चाहते हैं उनको न दिया जाय, लेकिन जो वृद्ध हैं उसको जरूर इतना मिले कि जिससे उसका खर्च चल जाय।

एक बात यह कि आपके कानून तो निजी क्षेत्रों में लागू होते हैं लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में वह नहीं होता। हम चाहते हैं कि समाजवादी समाज में सार्वजनिक क्षेत्र बढ़े, और बिना उसके बढ़े समाजवादी समाज बनता भी नहीं, लेकिन उसी सार्वजनिक क्षेत्र के श्रम विभाग में आप कानून को लागू नहीं करेंगे। आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट को मजदूर के हित में बदलिये। आप सेन्ट्रल सरकार से शिक्षा लीजिये। यह कामरेड यूसूफ के द्वारा ट्रेड यूनियन के दफ्तर से छपी है। दिल्ली में रैशनलाइजेशन के विषय में मन्त्री जी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जुलाई, १९६७ में कि वह अभिनवीकरण किस तरह का होगा। वह ऐसा होगा कि जिसमें मजदूरों को फायदा होगा, आम जनता का फायदा होगा और मालिकों का फायदा होगा। लेकिन ये दोनों तो उड़ गये और केवल मालिक रह गया अब उसका ही फायदा केवल हो रहा है। कोड आफ कंडक्ट बनाया गया, लेकिन हमारे उस पर दस्तखत नहीं हैं। हम मजदूर पंचायत में जरूर काम करते हैं, लेकिन हमारी बात को कौन सुनता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अनुसार बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली में बोनस कमीशन बैठा। उसकी सारी रपट को पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि कितनी सामाजिक न्याय की हत्या की गई है। उसके बारे में मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा। आई० टी० आई० की बात कही गई। आई० टी० आई० के लिये मेरे जिले में भर्ती हुई और माननीय मंत्री जी ने मुझको भी उस कमेटी का सदस्य बना दिया। आये थे बहुत से लड़के, लेकिन केवल ९६ ही लिये गये। उनकी दो साल की पढ़ाई होगी। पढ़ने के बाद छोटे कंडेक्टर और बड़े कंडेक्टर की तरह से छोटा आई० टी० आई० और बड़ा आई० टी० आई० होगा। ६ महीने की ट्रेनिंग होगी। जब ट्रेनिंग लेकर आये तो उनको काम मिलना चाहिये। उद्योग विभाग को इसका ध्यान रखना चाहिये। आप ट्रेनिंग देते हैं और पढ़कर निकलते हैं तो उनके जीवन यापन का प्रबन्ध होना चाहिये। सरकार अगर उनकी ट्रेनिंग पर रुपया खर्च करती है तो उसके जीवन साधन का भी प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये। नौकरी की सुरक्षा की सरकार को गारन्टी करनी चाहिये। हमने तो सरकार से बहुत बार निवेदन किया कि लाखों करोड़ों की फौज बनाइये और ३० रुपया वेज दीजिये तो हम चीन से भी लड़ लेंगे, कल कारखानों को भी सम्भाल लेंगे, सीमा पर सड़क भी बना लेंगे मगर हमारा सुझाव कहां माना जाता

है ? वही २७ रुपये आप मजदूर को देते हैं। हम तो कहते हैं कि ६ आना सेर गेहूं कर दीजिये, ४ सेर दाल कर दीजिये, ६ आना चावल कर दीजिये और जितना हमने कहा उतना वेज दीजिये तो फिर यह काम सब ठीक हो जायगा, लेकिन कोई बात सरकार मानने को तैयार नहीं है। मजदूर अपने हक के लिये लड़ता है तो आप कहते हैं कि वह हड़ताल करता है। अगर उसके लाभ की बात सोचते हैं तो अभिनवीकरण की पालिसी बना देते हैं जिससे उसको लाभ नहीं होता है। मुकुर्जी साहब की एक कमेटी बनी है उसका भी वही हाल है कि "राम ते अधिक राम करि दासा" यह कमेटी बनी तो है, लेकिन यह कमेटी कुछ देने वाली नहीं है। कहीं पर अगर ठाकुरों से वोट लेना है तो ठाकुर मंत्री को भेज देते हैं। कहीं पर अगर मेहतरों से वोट लेना है तो हरिजन मन्त्री भेज देते हैं। गुप्ताओं से वोट लेना है तो गुप्ता जी को भेज दिया। तो इस तरह से यह समिति का भी हाल है।

किसान, मजदूरों के हित में जितनी भी मैंने यहां पर बातें कहीं हैं अगर इनमें कोई गलत बात हो तो बताइये कि यह गलत बात है। मैं यह समझता हूं कि आज मजदूर किसान समाज की रीढ़ है। दुनियां में समाजवाद का अगुवा मजदूर रहा है। उसको आप पीछे रख कर देश के अन्दर कोई नव निर्माण नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश करता हूं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय उग्रसेन जी की तकरीर सुनकर मैं कुछ बातों में उनसे इत्तफाक करता हूं और बाज बातों से इत्तफाक नहीं करता। उनका कहना है कि मजदूरों में समाजवाद की रचना का कोई आसार नहीं है। मुझे पता नहीं कि समाजवाद की उनकी क्या तारीफ है और समाजवाद क्या है। कम्युनिस्टों का भी समाजवाद हो है, हमारा तो है, सोशलिस्टों का भी है। इनको अपने समाजवाद के अलावा किसी और का समाजवाद नजर नहीं आता है। मैं कहता हूं कि समाजवाद है मजदूरों में जो कि इनको नजर नहीं आता है।

दूसरे यह है कि कानपुर के मजदूरों की ८० दिन की हड़ताल का जिक्र किया है। मुझे फिर वह अफसोस के दिन याद आते हैं जबकि मजदूर इस तरह से कुचला गया और उसको गलत तरीके से मुगालते में रख कर इन नेताओं ने कुचलवा दिया। यह यूसुफ साहब बैठे हैं, इनकी गलती से। साथ में राजाराम शास्त्री भी थे, जो नेतृत्व करते थे। मजदूर जिसकी अक्सरियत इस देश में है--और डेमाक्रेसी में अक्सरियत की हुकूमत होनी चाहिए---आज इन नेतागणों की वजह से डेमोक्रेसी में अक्सरियत की हुकूमत नहीं है, दूसरों की है। यह सब आपकी गलतियों से हुआ कि उनको सीधा रास्ता नहीं दिखलाया। आज मजदूर का दो तरीके से नुक्सान हो रहा है। एक तो सरमायेदार जो हमारे मुल्क में बैठा है वह मजदूर को तंग करता है और दूसरे ये हमारे नेता गण। मैं खासतौर से ए० आई० टी० यू० सी० और कम्युनिस्टों का नाम लेता हूं कि इन्होंने बहुत गलत तरीके से मजदूर को बहकाया। उसको सबक दिया कि हड़ताल करो, तोड़ो-फोड़ो, मारो, कत्ल करो। हमारे यूसुफ साहब मौजूद हैं। मुझे उनसे आज से वाक-फियत नहीं है, बल्कि मुद्दत से है। वह बतायें कि कितने कत्ल करवाये हैं, कितनी हड़तालें करवाई हैं और उनसे कितना लाभ हुआ है ? उन्होंने भी सही तरीके से सबक नहीं दिया। जैसा कि रूस का तरीका है उसको वह हमारे मुल्क में लाये और अब चायना के तरीके को ले आये हैं (व्यवधान) मैं आपको कह रहा हूं, सुन लीजिये जरा सबर से। हमारे यहां इस वास्ते ८० दिन की जो मजदूर की हड़ताल हुई, उस वक्त डा० सम्पूर्णानन्द मंत्री थे उन्होंने कहा कि बिना नोटिस हड़ताल की है, इसको विदड्रा करो तब हम बात करेंगे और आप ने फूलबाग में जा कर कहा कि मैंने सम्पूर्णानन्द से कह दिया है कि अगर यह नहीं करेंगे तो मजदूर कभी भी हड़ताल खत्म नहीं करेगा। इस तरह से मजदूर को एक भुलावे में रख कर उन्होंने ८० दिन की हड़ताल करवाई और यह भी खयाल था कि किसी तरीके से एक बला सर मोल ले ली है उससे कैसे निपटा जाय। तब यहां सम्पूर्णानन्द जी के हाथ जोड़ते थे यूसुफ साहब और राजाराम शास्त्री

[श्री एस० जी० दत्त]

कि महाराज हमें इस बला से नजात दिलवाइये, क्योंकि हमारे गले तक आ रही है। आखिर मैं भी जानता हूं। उन्होंने कहा कि हड़ताल को खत्म करो और सम्पूर्णानन्द जी से जाकर कहा कि हम हड़ताल खत्म करते हैं लेकिन उनकी छटनी नहीं होनी चाहिए। उधर मजदूर के प्लेटफार्म पर उन्होंने ऐसी गलत बातें उनसे कहीं कि गवर्नमेंट से समझौता हो गया है, आप फलां दिन काम पर जाइये, किसी की छटनी नहीं होगी, किसी को काटा नहीं जायगा और आप की मांगें पूरी होंगी। लेकिन कहीं समझौता नहीं हुआ था। हुआ यह कि मजदूर जैसे ही काम पर गये, मिल-मालिक ने उनको घुसने नहीं दिया और जिसको उन्हें लेना था उस को ले लिया। मजदूर नेता यह जानते थे। तो इस तरीके से मजदूर को इन लोगों ने कटवा दिया। सही तरीके से, कान्स्टीट्यूशनल तरीके से ये लोग काम नहीं करते। अभी जे० के० स्पिनिंग में इन्होंने हड़ताल करवायी, उसमें फिर युसूफ साहब को माफी मांगनी पड़ी। गलत तरीके से आप हड़ताल करवाते हैं। मैं कहता हूं कि सही तरीके से अगर हड़ताल करवायी जाय तो ट्रेड यूनियनिज्म सफल हो सकती है। किसी भी पोलीटिकल पार्टी को इसको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। हमारे यहां पार्लिटिकल पार्टीज इसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। यह लोग मजदूरों को एक्सप्लायट करते हैं। (व्यवधान) आज जयपुरिया की खुशामद में लगे हैं तो कल किसी और की। जहां डंडा पड़ने का भय इनको रहता है वहां ये नहीं जाते। लक्ष्मीरतन का दरवाजा यह लोग नहीं खटखटाते। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने ट्रेड यूनियनिज्म मूवमेंट को बिगाड़ा है। अपने फायदे के लिये यह लोग मजदूरों को एक्सप्लायट करते हैं। मजदूरों की तालीमी और माली हालत को सुधारने से इन्हें कोई मतलब नहीं रहता। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे दो तीन मिनट और दे दिये जायं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये इन बेचारे मजदूरों का पीछा छोड़ दें। सही तरीके से ट्रेड यूनियनिज्म मूवमेंट को चलने दें। अगर यह हो तो कोई वजह नहीं है कि मजदूरों की तालीमी और माली हालत में इजाफा न हो। यह लोग उनको सही तरीके से काम नहीं करने देते।

सरकार ने हर जगह आई० टी० आई० खोल रखे हैं। सरकार बहुत अच्छे तरीके से आई० टी० आई० चला रही है। हमारे यहां ३,०३९ लड़कों ने अर्जियां दीं। मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां उनकी तादाद कम कर दी गयी है। मैं सरकार से कहूंगा कि हर साल उनकी तादाद बढ़ाई जाय। उग्रसेन जी कहते हैं पास करने के बाद उनको नौकरी नहीं देते। नौकरी न मिले, मगर एक हुनर तो उनके पास आता है, वे अपने पैरों पर तो खड़े होते हैं।

एक बात मैं अपने यहां के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे यहां मशीनें बहुत कम हैं। सरकार को जल्दी से जल्दी मशीनों की पूर्ति करनी चाहिये। हमारे यहां आई० टी० आई० में इसकी बहुत सख्त जरूरत है कि वहां सीटें बढ़ाई जायं, मशीनरी और दी जाय। जो आई० टी० आई० का डाइरेक्टोरेट है, मैं जानता हूं कि वहां लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। बेशक कुछ कमियां भी हैं जिनकी इत्तिला देने पर वह उसे दूर करने की कोशिश करते हैं।

रहा सवाल विक्टोरिया मिल के बारे में। तो जनाबआली, हम कोई यह नहीं है कि मजदूरों के खैरख्वाह न हों। मैंने भी मजदूरों में काम किया है। अगर आप यह कहें कि इन्होंने मजदूरों में काम नहीं किया है तो वह बात गलत है। मेरी कम से कम इतनी इज्जत उनके अन्दर है कि युसूफ साहब मेरे मुकाबिले में खड़े हुए थे लेकिन उन्होंने इनको शिकस्त दिया और मुझे फतेह दी। यह मेरी पापुलेरिटी है। विक्टोरिया मिल का मामला यह है कि.... (व्यवधान) मंत्री महोदय भी इन्हीं की सुनते हैं, यह हुए, युसूफ साबह हुए और हम जो छोटे-छोटे वर्कर्स हैं हमारा मश्विरा वह कभी नहीं लेते, हमको नहीं पूछा जाता। लेकिन यह जरूर है कि जो वाकफियत यह रखते हैं उससे ज्यादा में रखता हूं और मंत्री महोदय को इत्तिला दे सकता हूं कि इसमें इस तरह से मजदूरों का फायदा है, इस तरह से मजदूरों का नुकसान है। तो

मैं यह कहूंगा कि अब का जो फैसला हुआ है उसमें कोई शक नहीं कि मजदूरों को वापस ले लिया गया है लेकिन कम्प्लीट फैसला मजदूरों के बारे में नहीं हो सका है। और इसकी जिम्मेदारी इनकी है। मैं यह उग्रसेन जी से कह रहा हूं। कानपुर का मजदूर इन लोगों की वजह से बहुत नुकसान उठा रहा है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय उग्रसेन जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, अगर देखा जाय तो अपने उत्तर प्रदेश की यह कांग्रेसी सरकार सबसे अधिक उपेक्षा अगर किसी की करती है तो वह मजदूर वर्ग की करती है। इस बजट से ही पता चलेगा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि अपने प्रदेश में २,८८,५०,१४१ मजदूर हैं और उनके लिए कुल रुपया रखा गया है २,८४,२४,८००। तो एक रुपये से भी कम सरकार श्रम-कल्याण के लिये खर्च करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार की श्रमिकों के प्रति नीति क्या है। श्रीमन् सन् १९५६ में सदन में इंडस्ट्रिअल रिलेशंस बिल एक लाने की बात चली थी जिससे अपने प्रदेश के औद्योगिक कानून और सेंटर के कानून में जो अन्तर है उसको दूर करने का प्रयास किया जा सके। लेकिन वह बिल तब से लेकर आज तक कहीं किसी कमेटी में, कहीं किसी अन्य स्थान पर, इस तरह से पड़ा हुआ है और सरकार आज भी उसको कानून के रूप में नहीं ला सकी है। इस वक्त भी जो नये बिलों की सारणी दी गई है उसमें भी इस कानून का उल्लेख नहीं है। श्रीमन्, अपने प्रदेश का जो कानून है उसको बम्बई वगैरह अन्य प्रदेशों के मुकाबले में लाने के लिये जो कानून बनना था उसको यह सरकार जानबूझ कर टाल रही है। जब सुचेता जी स्वयं श्रम मन्त्री थीं तो उन्होंने आश्वासन दिया था और कमेटी में भी यह आया था लकिन अब तक वह पड़ा हुआ है।

इसके बाद दूसरी बात आप देखें, सरकार स्वयं ही आदर्श सेवायोजक की भांति काम नहीं कर रही है। आज जब कि पब्लिक सेक्टर बढ़ने वाला है, उसमें सरकार स्वयं ही आदर्श सेवा-योजक की भांति काम नहीं करेगी तब तक कोई भी मिल मालिक श्रम कानूनों का पालन करेगा ही नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, कैसा सरकार की है। यह जब प्राइवेट कम्पनी थी तो श्रमिकों को ज्यादा पैसा मिलता था, लेकिन जबसे सरकार के अधीन आ गई, और लाभ भी अधिक होता है, मजदूरों को वेतन कम मिलता है। यही हाल चुर्क सीमेंट फैक्टरी का है। रोडवेज के बारे में जैसा माननीय उग्रसेन जी ने भी बताया कि सेन्ट्रल वर्कशाप के कर्मचारियों की जो उचित मांगें थीं, उनको भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। १६-१६ साल से जो मजदूर कार्य कर रहे हैं, उनको वर्कचार्ज में रखकर स्थाई नहीं किया जा रहा है, जबकि विभाग स्थाई है। उनकी बोनस और भत्ते की मांग को भी नहीं माना जा रहा है, अतः जब तक सरकार स्वयं अपने कर्मचारियों के लिये कुछ नहीं करेगी, तब तक दूसरे मिल मालिकों से आप कैसे आशा कर सकते है, कि वह एक आदर्श इम्प्लायर बने? इसी तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों पर भी कोई कानून उनके हित के लागू नहीं किये गये हैं, फिर आप मजदूरों से संबंधित कानूनों का पालन दूसरों से कैसे करवा सकते हैं?

इसी तरह सरकार ने समय समय पर जो एवार्ड दिये हैं, मसलन डाक्टर सम्पूर्णानन्द एवार्ड, उसको तो अभी तक पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं करा सकी। इसी तरह से चीनी मिल, जूट मिलों, के संबंध में जो वेजबोर्ड्स स्थापित किये गये, उसके संबंध में जो कार्यवाही सरकार की तरफ से हुई उसको अगर आप देखें तो पायेंगे कि सरकार उनका पूरी तरह से पालन कराने में असमर्थ रही है। जब तक सरकार की नीति नहीं बदलती है, तब तक मजदूरों का भला नहीं हो सकता। इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत जो दावे जाते हैं, उनमें किसी तरह मजदूरों का फायदा नहीं होता है। उसका प्रोसीजर बहुत लम्बा है। पहले तो कमिश्नर के पास ही महीनों कागज पड़ा रहता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि कब तक वह अपना निर्णय देंगे। बाद में जब उनको फुरसत हुई तो लिख कर भेज देते हैं कि तथ्यहीन पाया गया। इसके

[श्री रक्षपालसिंह]

विरुद्ध मजदूर को आगे जाने के लिये कोई गुंजायश नहीं है । मैं चाहूंगा कि इस प्रोसीजर में परिवर्तन होना चाहिये ताकि विवाद जल्दी से निपटाये जा सकें, चाहे उसके लिये एडज्युडिकेशन की व्यवस्था हो या संराधन की व्यवस्था हो ।

(इस समय २ बज कर १३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

सेवायोजन कार्यालय के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ७,९४,१४२ प्रार्थना पत्र आये और उनमें से केवल ९१,७८२ लोगों को काम दिया जा सका । मेरी राय में यह बहुत ही कम है । अगर आप देखें केवल ३ लाख प्रार्थना पत्र ऐसे रह गये, जो बाद में काम चाहते रहे शेष लोग निराश वापस गये । इस पर भी यह कार्यालय उचित ढंग से काम दिला पा रहा है कि नहीं यह कहना मुश्किल है । स्वर्णकारों की जो संख्या सरकार ने रजिस्टर की है, वह भी गलत है । २,१५२ स्वर्णकार रजिस्टर हुए, जिसमें से केवल २६८ को ही सरकार काम दिला पाई है । हमारी मांग है कि शेष सभी स्वर्णकारों को जो काम चाहते हैं उन्हें काम दिलाया जाय ।

इसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन का विभाग है जिसके द्वारा यूनियन्स रजिस्टर होती हैं, उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार और पक्षपात है । माननीय उग्रसेन जी ने जैसा संकेत किया, यह बिलकुल सत्य है कि जो इन्टक (I.N.T.U.C.) संबंधी यूनियन्स होती हैं, वह तो थोड़े समय में रजिस्टर कर ली जाती हैं, और इतना ही नहीं, जहां इन्टक यूनियन पहले से स्थापित हैं, वहां पर दूसरी तरह की यूनियन को किसी प्रकार से रजिस्टर न किया जाय, इसकी कोशिश की जाती है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । फैजाबाद जिले में मसौधा चीनी मिल है, जिसके अन्दर इन्टक एक यूनियन है और विचित्र बात यह है कि वहां जो पदाधिकारी हैं, वह लखनऊ के लोगों से डाइरेक्ट संबंधित हैं और मुझे तो सूचना मिली है कि यहां पर लखनऊ में जो हमारे ट्रेड यूनियन इन्स्पेक्टर, श्री अग्रवाल, और सहायक श्रमायुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि दूसरी प्रकार की यूनियन जिसका नाम मजदूर चीनी उद्योग कर्मचारी संघ, मोतीनगर, जिला फैजाबाद है, उसको हम किसी प्रकार भी रजिस्टर नहीं होने देते और ऐसी आपत्तियां करके कागज लौटा दिया जाता है, जिस का कोई तुक नहीं है । रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन का पत्र आया है जिसमें कहा गया है कि आप यूनियन में बैठ कर मतदान करायें और जो इन्टक की यूनियन पहले से वहां काम कर रही है, उसके २५ सदस्य हों, और २५ सदस्य इस यूनियन के हों, तो दोनों मिला कर मतदान करें और यदि आधे से ज्यादा लोग मतदान करते हैं, तभी हम इस यूनियन को रजिस्टर करने के बारे में विचार करेंगे । यह सोचने की बात है कि जो एक स्वतंत्र यूनियन है, उसमें दूसरी यूनियन के लोग बैठ कर कैसे वोट कर सकते हैं ? इस प्रकार ऐसे अड़ंगे डालना स्पष्ट करता है कि उस यूनियन को न्याय नहीं मिल सकता । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और उस यूनियन को रजिस्टर कराये ।

विश्वविद्यालय और विद्यालयों के जो कर्मचारी हैं, उन पर भी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट लागू किया जाना चाहिये । इसी प्रकार दूकानों और वाणिज्य संस्थानों के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिए प्राविडेंट फंड और बीमा योजना को लागू किया जाना चाहिये । मैं ऋषीकेश की ऐंटीबायोटिक फैक्टरी के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । वहां दो प्रकार के कर्मचारी हैं । तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को तो केन्द्र के हिसाब से वेतन मिलता है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को राज्य सरकार का वेतन दिया जाता है । मेरी राय में यह ठीक नहीं है । इसी तरह से खेतिहर मजदूरों के बारे में भी सरकार कुछ नहीं कर सकी । सरकार को उधर भी ध्यान देना चाहिये । आवास की व्यवस्था के बारे में मुझे यह कहना है कि जो क्वार्टर्स बने हैं, उनका किराया काफी ज्यादा है । ईदगाह कालोनी के अन्दर श्रम क्वार्टरों का २५ और ३० रुपया किराया मांगा जाता है । आप सोचें कि ६०–७० रुपया पाने वाला मजदूर कहां से दे सकता है ? इसलिये इस किराये को कम किया जाना चाहिये । कई जगह पानी भी नहीं पहुंचता है, इसलिये वहां लोग नहीं रहते हैं । सरकार को इसकी व्यवस्था करनी

चाहिये। एक बात और कही गई समाजवाद की। मैं कहता हूं कि मजदूरों के अन्दर वास्तव में राष्ट्रीयवाद चाहिये। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि विश्वकर्मा दिवस अपने प्रदेश में और देश में श्रमदिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको सरकार को मान्यता देनी चाहिये और एक दिन का अवकाश भी मजदूरों को मिलना चाहिये और इसी दिवस को राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाना चाहिये।

मैं कुछ वेतन के बारे में भी कहना चाहता हूं कि यह जो महंगाई भत्ते का तमाशा है, इसको पूर्णतः अब वेतन में मर्ज कर देना चाहिये। क्योंकि इसके अभाव में मजदूरों को बोनस तथा पेंशन आदि मिलने में बड़ा नुकसान रहता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि महंगाई तनख्वाह में मिला दी जाय, जिससे मजदूरों को बोनस तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं अधिक मिल सकें।

*श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि मैं उग्रसेन जी की बहुत सी बातों से सहमत हूं। जो बातें उन्होंने कही हैं वाकई उन पर ध्यान देना चाहिये। मैं सरकार को कुछ थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं और वह यह कि प्रदेश इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत पिछड़ा हुआ है और यह उभर नहीं सकता जब तक कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रदेश में ज्यादा न हो जायं और वहां से लड़के ज्यादा सीख कर निकलते हुए न चले जायं। यह एक बहुत भारी बात है कि जो लड़के आज स्कूलों में दाखिल होते हैं वे सब यह चाहते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट्स लें चाहे वह इल्म उनको आये या न आयें। मेरा सुझाव यह है कि आज जो लड़के आई० टी० आई० में दाखिल होते हैं उनका पहले एप्टीट्यूड देख लिया जाय। हमारे यहां हम देखते हैं कि जो लड़के आई० टी० आई० पास करके आते हैं उनका बिलकुल भी टेकनिकल एप्टीट्यूड नहीं होता। बेहतर होता कि वे दूसरी जगह चले जाते। लड़के पचासों जगह दरख्वास्त देते हैं और जहां पहले एप्रेन्टिसशिप मिल जाती है वहीं लोग चले जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाना चाहिये। इसके अलावा जो लड़के आई० टी० आई० पास करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिये जाते है, वहां दिलचस्पी नहीं ली जाती है। कोई उस लड़के को सिखाने की दिलचस्पी नहीं लेता है। इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक लड़का खुद दिलचस्पी नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

पोलीटिकल पार्टीज इन्डस्ट्रियल लेबर में बहुत दिक्कतें पैदा करती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि एम्प्लायर उसका १०० फीसनी फायदा उठाता है। पोलीटिकल पार्टीज आपस में लड़ती हैं और एम्प्लायर उसका एडवान्टेज उठाता है। मैं यह बात अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियेंस से कह रहा हूं। जो मैं जानता हूं और कर चुका हूं, वह कह रहा हूं। सम्पूर्णानन्द एवार्ड १० केटेगरीज का हुआ, ३ केटेगरीज में लागू किया गया और ७ केटेगरीज में नहीं किया गया। इसकी वजह से लेबर में बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। जब तक लेबर डिपार्टमेंट इसकी ओर ध्यान नहीं देगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। सोच सोच कर बोलना पड़ता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

आप अंग्रेजी में बोलिये।

श्री ए० सी० ग्राइस--

दि सम्पूर्णानन्द एवार्ड वाज टेकिन...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हिन्दी में अच्छे बोल सकते हैं, उसी में बोलिये ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, उनको अंग्रेजी में बोलने दीजिये ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

नहीं, आप हिन्दी में बोलिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जैसी हिन्दी में बोल सकते हैं, बोलें ।

श्री ए० सी० ग्राइस—

अगर मैं अपने कांस्टीट्यूशनल राइट की डिमांड करूं तो मुझे इंगलिश में बोलने से कोई नहीं रोक सकता है । लेकिन मैं हाउस की इज्जत रखते हुए हिन्दी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं । कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो अपनी मदर लैंग्वेज में बोलना चाहे उसे बोलने से कोई नहीं रोक सकता है । अंग्रेजी में . . . .

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, ये पहले यहां एक बार हिन्दी में भाषण दे चुके हैं । इसलिये ये हिन्दी में बोल सकते हैं । इनको अंग्रेजी में बोलने की इजाजत न होनी चाहिये ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, इनको आप इंगलिश में न बोलने दें । ये हिन्दी में ही बोलें ।

श्री ए० सी० ग्राइस—

अंग्रेजी में ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मैं कह रहा था कि १० कैटेगरीज के लिये सम्पूर्णानन्द एवार्ड हुआ था, लेकिन मेजर सेक्शन में सम्पूर्णानन्द एवार्ड लागू नहीं हुआ । इससे यह हुआ कि वहां सब अपसेट हो गया और लेबर में काफी अनरेस्ट हो गया । तो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इसके लिये कोई इलाज करे ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि कानपुर के एम० एल० एज० की एक कमेटी बना दी जाय, चाहे वह ऐडवाइजरी कमेटी हो या और कोई कमेटी हो ताकि वह इंडस्ट्रियल लेबर सेक्शन के लिए मिनिस्टर को या लेबर डिपार्टमेंट को कोई सुझाव दे सके कि फलां जगह फलां चीज है, जिसे देख लिया जाय । इससे यह होगा कि लेबर क्लास में सन्तोष बढ़ता जायगा ।

एक बात मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत शिकायत आती है कि जो लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं वे बहुत परेशान करते हैं। उनके ऊपर जो खर्चा होता है वह खाली लेबर डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। आपकी रिपोर्ट में है कि ५-६ सौ केस चलाये गये लेकिन उससे होता क्या है ? ३-४ सौ रुपये जुर्माना हो जाता है। लेकिन उनकी जेब से तो कुछ जाता नहीं है। मेरा सुझाव है कि जिस को दो आफेंस में सजा हो जाय उस के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। इस तरह से एम्प्लाईज की ज्यादती कम हो जायगी जो बढ़ती चली जा रही है और उन्होंने जो डिक्टेटरिज्म फैला रखा है वह खत्म हो सकता है। बढ़ते बढ़ते आज उन लोगों में इस तरह का अनरेस्ट मजदूरों में है कि वह परेशान हैं। मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने की इजाजत दी।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी ने प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं कुछ बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। वास्तव में श्रम और पूंजी का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है लेकिन श्रम ही सबसे पहली कड़ी है क्योंकि श्रम से ही पूंजी आती है और इसीलिये श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करना हमारे लिये बहुत आवश्यक है और अहम चीज हो जाती है। अपने प्रदेश में श्रमिकों की बहुत भारी तादाद है। जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार की नीति उनके प्रति फिर भी उपेक्षा की है, इसको सिद्ध किया जा चुका है। आज इस अनुदान के समय हमें इस पर विचार करना है और इधर से जो सुझाव दिये जा रहे हैं मैं समझता हूं कि मंत्री जी उन पर विचार करेंगे और श्रमिकों पर दया कर के उन की मांगों को स्वीकार करेंगे।

श्रमिकों में भी जो बड़े-बड़े उद्योगों आदि के श्रमिक हैं उनकी बात तो सब लोग कहे हैं और कहते हैं, उन के तमाम संगठन भी हैं और सारी चीजें हैं लेकिन कुछ ऐसे श्रमिक भी हैं जिन की कि प्रदेश में काफी संख्या हैं उन की कोई भी गणना नहीं है। सरकार को मालूम ही नहीं है कि कितने ऐसे श्रमिक हैं जैसे ठेले वाले हैं बीड़ी मजदूर हैं, किराना मजदूर हैं, पल्लेदार हैं जो लाखों की संख्या में हैं जिन को सरकार नहीं जानती। मेरा सरकार से सुझाव है कि ऐसे मजदूरों के लिये कोई ऐसे नियम बनाये और पता लगाये और तरीके निकाले जिस से उनके जीवन निर्वाह का बन्दोबस्त ठीक से हो सके। दूकान कर्मचारियों का तो आजतक सरकार ने कभी नाम तक नहीं लिया कि उन की क्या हालत है। आप जानते हैं कि एक दिन सप्ताह में दूकान बन्द रहती हैं, लेकिन उस दिन भी यह दूकानदार उन कर्मचारियों से अपने पैसे वसूल कराते हैं, तकादा वसूल कराते हैं और उन को एक दिन भी छुट्टी नहीं देते। अगर यह मजदूरों की सरकार हैं और वह समाजवाद लाना चाहती है, और ढिंढोरा पीटती है तो उस को उन के बारे में भी सोचना पड़ेगा और देखना होगा कि उन को भी ठीक से छुट्टी, पारिश्रमिक और वेतन मिले। उन के लिये भी नियम बनाना आवश्यक है, ताकि यह बड़े मालिक उन पर अत्याचार न कर सकें। उनकी शिकायत कोई नहीं सुनता, लेबर इंस्पेक्टर चाय नाश्ता कर के मालिकों के पास बैठकर चले आते हैं। वास्तव में घरों में जाकर चेक करना चाहिये कि छुट्टी के दिन कौन दूकानदार उन से काम लेता है और कौन मजदूर छुट्टी पर है और कौन लोग ऐसे हैं जो पैसे वसूल करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से यह सरकार की उपेक्षा की नीति है। उन मजदूरों के लिए या उन कर्मचारियों के लिए सरकार को देखना पड़ेगा।

खेतिहर मजदूरों की हालत को तो देखकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ता हूं, क्योंकि मैं भी एक खेतिहर मजदूर ही हूं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं किसी प्रकार से एसेम्बली में चुनकर आ गया हूं लेकिन उनकी हालत क्या है ? गांवों में उनको ७ रुपये और १०-१० रुपये प्रति माह मजदूरी का मिलता है। उसके साथ आप देखें कि जो अनाज उस बेचारे को मिलता है वह अगर एक सप्ताह के स्थान पर एक दिन में ही खा लिया जाता है तो फिर उनके बाल बच्चे कैसे खा सकते हैं ? इस पर सरकार को बहुत ध्यान देना जरूरी है। अगर हमारी सरकार प्रदेश

[श्री सुखदेवप्रसाद]

की उपज बढ़ाना चाहती है तो ऐसे मजदूरों को सबसे पहले भूमि दे। वह भूमि जंगलों के किनारे पर है और गांव समाज की है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी २-२ या ३-३ हजार एकड़ भूमि गांवों में है और वे कलकत्ते में रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं। हमारे जो कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं उनके भी बड़े-बड़े फार्म हैं पर खेतों में वे लोग स्वयं काम नहीं करते हैं। यही कारण है कि आज हमारे खेतों की पैदावार घटती जा रही है। हमारी सरकार हिसाब लगाती है पर हमारी उपज नहीं बढ़ रही है। इसकेलिए वे खेत, यदि आप उपज की तरक्की चाहते हैं, तो उन खेतिहर मजदूरों को दीजिये और इसके लिए कुछ नियम बना दीजिये। इन मजदूरों को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल पाती है। अगर वे किसी दिन काम पर नहीं जाते हैं तो उस ७ या १० रुपये में से ही उनका वेतन काट लिया जाता है। अगर हमारी सरकार वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है तो उसके लिये सबसे पहले मजदूरों की तरफ ध्यान देना होगा। अगर आप ऐसा कर दें तो न आपको जापानी ढंग से खेती करने की जरूरत पड़ेगी और न और किसी ढंग से, पर आपकी पैदावार ज्यादा बढ़ जायेगी।

विद्यालय के कर्मचारियों की दशा को आप देखिये। इस प्रकार के हमारे ३० हजार विद्यालय कर्मचारी है लेकिन उनकी दशा भी अत्यन्त शोचनीय है। उन्हें भी ३० रुपये तनख्वाह के मिलते है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उनके भी जीवन है। उनके भी परिवार हैं वे उनकी तरफ भी ध्यान दें। उनके साथ साथ मैं समझता हूं कि सारे अपने प्रदेश में जो ऐसे मजदूर हैं, जिनका हमारी सरकार को पता नहीं, उसके लिए एक वेज बोर्ड की स्थापना की जाय। भारतीय जन संघ की हमेशा यह मांग रही है और इस सदन में भी बहस हो चुकी है लेकिन होता क्या है? एक वेज बोर्ड बनाया जाता है लेकिन उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। तो ऐसे वेज बोर्ड से कार्य नहीं चलने वाला है। अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो एक स्थायी वेज बोर्ड बनाइये।

जो श्रम हितकारी केन्द्र आपने बना रखे हैं वे कुछ ऐसे ही लोगों के लिए बना रखे हैं। और जब चाहें उठा ले जायं चाहे सुविधा हो या न हो, चाहे खेल कूद की व्यवस्था हो सके या न हो सके, चाहे दवा-दारू की व्यवस्था हो सके या न हो सके। मुझे गोंडा, बलरामपुर के बारे में निवेदन करना है कि जहां पहले श्रम हितकारी केन्द्र था वहां काफी जगह न होने के कारण और बरसात में डेढ़, दो फुट पानी लग जाने के कारण उसे दूसरी जगह ले जाया गया जहां काफी जगह थी और कम पैसा लगता था। लेकिन उसे फिर शुगर फैक्टरी, बलरामपुर के एक कर्मचारी हैं उनके घर पर ले जाया गया। तो ये श्रम हितकारी केन्द्र बड़े बड़े मिल मालिकों के लिये हैं अथवा बड़े बड़े कर्मचारियों के लिये हैं। विकास क्षेत्र गन्ना दफ्तर आदि विभाग जितने भी हैं वे इस श्रम हितकारी केन्द्र से लाभ उठा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जांच की जाय और दोषी आदमियों को दंड दिया जाय।

सरकार कहती है कि वह हरिजनों की बड़ी हमदर्द है लेकिन रैदास जयंती और विश्वकर्मा जयंती मनाने के लिये सरकार छुट्टी नहीं देती है जबकि हर विभाग में महात्मा गांधी जयंती के लिये छुट्टी दी जाती है। मेरी मांग है कि ऐसे अवसरों पर छुट्टी दी जाया करे तथा जयंती मनायी जाया करें।

तुलसीपुर शुगर फैक्टरी के बारे में तीन, चार प्रश्न मैंने किये थे लेकिन सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि वह व्यक्तिगत है और सरकार का उससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है। वहां का मालिक श्रमिक चीनी मिल यूनियन के सदस्यों के साथ बेरहमी का वर्ताव करता है। उन पर अत्याचार करता है। दूसरे केन्द्रों से मजदरों को ला कर मिल के अन्दर बेगार लेता है। कोई शिफ्ट नहीं होती। रात्रि में ८ बजे से लेकर प्रातः ४ बजे तक लगातार काम लेता है। बहुत से कर्मचारी जो पहले काम करते थे उनको बढ़नी सेंटर टूट जाने पर काम नहीं दिया जा रहा है और टेकेदारों के जरिये वहां काम लिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इन अन्यायपूर्ण कार्यों को खत्म करायेंगे।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं। ज्यों-ज्यों अपने देश के अ दर दस्तकारियों में वृद्धि होती जा रही है त्यों-त्यों मजदूर भी अहमियत हासिल करता जा रहा है। देश की तरक्की के लिये और देश की गुरबत को दूर करने के लिये जरूरी बात है कि मजदरों को ज्यादा संतोष हो। मंत्री महोदय ने जिन बातों का जिक्र किया उनमें खास तौर से ट्रूस रिजोल्यूशन का जिक्र किया। जहां तक मजदरों का ताल्लुक है उन्होंने उसको ईमानदारी तथा समझदारी से पालन किया है और गवर्नर महोदय ने अपने एड्रेस में भी इस बात को तसलीम किया है। मजदूरों ने इस साल तमाम प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्रियल पीस को कायम रखा है। दूसरे इतनी सख्त महंगाई में जिसने मजदूरों की कमर तोड़ दी है, उसके बावजूद मजदरों ने औद्योगिक शांति को कायम रखा है। यही नहीं महंगाई की दिक्कत रहते हुए भी विक्टोरिया मिल में जैसे हालात हुए हैं वैसे हालात सब जगह हुए हैं और कहीं भी कोई कसर नहीं रखी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी मजदूरों ने औद्योगिक शान्ति को कायम रखा है। इन कारणों से मैं मजदरों को मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने देश में प्रोडक्टविटी को बढ़ाने में अपना पूरा-पूरा सहयोग और श्रम दिया है।

जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, इस बारे में मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे यहां ज्यादातर मजदूर चीनी और कपड़ा मिलों में हैं। इन दोनों के बारे में सरकार ने वेज बोर्ड बनाकर उनकी सरविस की टर्म्स और कंडीशंस को तय कर दिया है और १९६१ में उसकी रिपोर्ट लागू हुई है। जनवरी, १९६१ में महंगाई के फिगर्स ४८० थे जो दिसम्बर, १९६४ में ७२५ हो गये हैं। इसका मतलब यह है कि ५० फीसदी महंगाई बढ़ गई है। और सरकार के जरिये से जो सहायता मिलती है वह यह है कि टैक्सटाइल मजदरों को २१ रुपये मिलते है। इसी तरह से चीनी मिल के मजदरों को १०० रुपये तक ९ रुपये, और १०० रुपये से ऊपर वालों को ११ रुपये महंगाई मिलती है। क्या यह सही है कि यह राशि इस ड्योढ़ी महंगाई को कवर कर सकती है?

इसके सिलसिले में मैं जानता हूं कि वेज बोर्ड पांच साल से पहले नहीं बदला जा सकता है। मगर २१ लेबर स्टैंडिंग कमेटी के सामने आई० एन० टी० यू० सी० के जनरल सेक्रेटरी ने इसके डिफेक्ट्स पेश किये थे कि जो महंगाई के फिगर्स इकट्ठे किये जाते हैं वे सन् १९३९ के बेसिस पर किये जाते हैं और जो उसका तरीका ईजाद किया गया था वह बहुत पुराना हो गया है। इसलिये उसके ऊपर दुबारा गौर किया जाय। इसके लिये सब से पहले महाराष्ट्र सूबा ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और इस कमेटी ने तमाम मामले की जांच के बाद रिपोर्ट दी। इसका नतीजा यह हुआ कि महंगाई की फिगर्स ३० आगे बढ़ गई और वहां के मजदरों को १० रुपये महंगाई भत्ता मिला। इसी तरह से गुजरात में देसाई कमेटी बिठाई गई। वहां भी करीब करीब यही फिगर्स निकले। राजस्थान ने माथुर कमेटी बिठाई। मदरास सरकार ने महाराष्ट्र की रिपोर्ट की नकल करते हुए अपने यहां भी १० रुपये महंगाई दी। क्या वजह है कि हमारे सूबे में ऐसी कमेटी न बिठाई जाय और महंगाई के फिगर्स इकट्ठा करने के तरीके को अपटूडेट किया जाय। यहां तक कि जो महंगाई के फिगर्स होते हैं उनका न्यूट रेलाइजेशन ६३ परसेंट होता है। इसके लिये क्यों न कमेटी गौर करे और मजदूरों को सेंट परसेंट देने की कोशिश की जाय?

दूसरी बात यह है कि १९६० में जब गवर्नर महोदय ने इस हाउस को एड्रेस किया था तो यह वादा किया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशनस बिल जल्द पेश किया जायगा। लेकिन ५ साल के बाद आज तक नहीं हुआ। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट में तब्दीली कर दी है इससे हमारा डिपार्टमेंट फस गया और उसको भी अपने यहां तब्दीली करनी पड़ी। तो इस तरह से यह एक विशस सर्किल बन गया है। यह टूटना चाहिये, जल्दी ही यह बिल आ जाना चाहिये। जब तक यह बिल नहीं आयेगा तब तक रिकगनाइज्ड यूनियनें नहीं बनेंगी। और मल्टी-फरियस यूनियन्स जो बनी हुई हैं वे खत्म नहीं होंगी। जब तक मजदूरों की बारगेनिंग कैपेसिटी

[श्री जयगोपाल]

नहीं बढ़ेगी तब तक मजदूर अपने हक पूरे तौर पर नहीं ले सकते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि हमारे मजदूरों के आपसी झगड़े का पूरा फायदा मैनेजमेंट उठाता है, वह इस बात की कोशिश करता है कि वह उनको दबाये रखे और उनका हक उन्हें न दे।

ओल्ड एज पेंशन के अन्दर एक मसला आकर यह पैदा होता है कि उसे उम्र की तस्दीक करानी पड़ती है जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है। उसे इसके लिये बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है तथा काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि वह एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि इन छोटे-छोटे कर्मचारियों की इस प्रकार की दिक्कत दूर हो सके।

छोटी-छोटी मिलें जैसे क्रशर और सामिल आदि हैं, उनके अन्दर जब कोई हादसात हो जाते हैं तो मजदूरों को कोई मुआवजा मालिक की तरफ से नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर मजदूरों की कोई यूनियन नहीं होती है, न आपका श्रम कानून वहां पर लागू होता है तथा वह बेचारे भी कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। अपनी नासमझी के कारण बेचारे घायल होते और मरते हैं और फिर उन्हें कोई कम्पेंनसेशन भी नहीं मिलता है। तो सरकार को इस बात का प्रबंध करना चाहिये। और वह इनके लिये भी इंस्पेक्टर नियुक्त करे जो इन हादसों के सम्बन्ध में इनके मालिकों को सलाह दें कि वह इस प्रकार के मजदूर का मुआवजा दिया करें।

दूसरे हमारे यहां बहुत-सी छोटी-छोटी दस्तकारी हैं, जिसके अन्दर यदि हम श्रम कानून नहीं लगाते हैं तो मजदूरों का शोषण होता है और यदि कानून को वहां पर पूरी तरह से लगा दें तो दस्तकारी के उद्योग का अहित होने की काफी आशंका रहती है। इसलिये इसमें आवश्यकता इस बात की है कि आंशिक रूप से यहां पर श्रम कानून लागू किये जायें। सरकार यह तय करे कि कौन-कौन-सा वहां पर लगायें और कौन-सा वहां पर नहीं लगाया जाये। हमारे अपने प्रदेश में वर्कर्स एजूकेशन का काम काफी अच्छी तरह से चल रहा है। उसके अन्दर सूबे की सरकार को जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिये वह नहीं हुई है। अगर वह दिलचस्पी ले तो वह एक बहुत बड़े काम में मदद देंगे और उसका नतीजा यह होगा कि उनके अन्दर एक अन्दरूनी लीडरशिप पैदा होगी जिससे बाहर की लीडरशिप से जो उन्हें नुकसान पहुंचता है, वह उन्हें नहीं पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त जो उनके लिये एजूकेशन का प्रबंध है उसका फालोअप होना चाहिये, अभी तक किसी रिपोर्ट के जरिये हम यह पता नहीं लगा पाये हैं कि मजदूर जो तालीम पा कर निकलते हैं वह कितने काबिल होते हैं, उनमें से कितनों को नौकरी मिलती है या उससे अपने जीवन में कितना लाभ उठा पाते हैं। इससे हमारे आई० टी० आई० कामयाब होंगे और इनके कारण फोर्थयिर प्लान के अन्दर जो टेक्निकल आदमियों की कमी है, उसे हम पूरा कर सकेंगे।

अब यहां पर २-३ मसले उठाये गये जो बाबू उग्रसेन जी ने उठाये। एक मामला था चोनी यूनियन को रीआर्गेनाइज करने का। उसके बारे में अर्ज करूंगा कि उस को यहां पर सदन में जिक्र हो चुका है। इंडियन लेबर कान्फरेंस के फैसले के अनुसार जो एनुअल रिटर्न देते हैं उस पर तय किया जाता है कि मैजारिटी किसकी है और गवर्नमेंट तय करती है कि मैजारिटी आई० एन० टी० यू० सी० की है या अन्य की तो इसमें सारी चीज बिलकुल स्पष्ट है, इसमें किसी को शिकायत न होनी चाहिये।

दूसरी बात बोनस कमीशन के बारे में कही गयी। उस पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बोनस किस तरह से दिया जाये इस पर बोनस कमीशन ने इसका एक बेस पैदा कर दिया है और जो लेबर ट्रिब्युनल का फारमूला था उसके मुकाबिले में दिया था। उन्होंने डेप्रिसियेशन और रिहैबिलेटेशन ग्रान्ट दोनों को काफी ज्यादा रक्खा था, उसमें से सिर्फ अब डिप्रेसियेशन रखा है और दूसरे को नहीं रखा है। सेंट्रल मिनिस्टर ने हाउस के अन्दर जो आश्वासन दिया है बोनस के बारे में उससे मैं समझता हूं कि कोई नुकसान लेबर को पहुंचने वाला नहीं है और जिनको बोनस नहीं मिल रहा था उनको भी मिलता रहेगा और उनको आगे मिलते रहने से एक साइन्टिफिक आधार मिल जायगा। इस बात के साथ मैं, यह जो बजट पेश किया गया है, उसको सपोर्ट करता हूं।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा निजी मत यह है कि हमारी यू० पी० सरकार की लेबर पालिसी पूंजीपतियों के हक में उनकी रक्षा करने के लिये और मजदूरी के विरोध में उनको दबाने के लिये है। इसके लिये मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूं। पिछले बजट पर मैंने एक बात कही थी कि मंहगाई ७२५ प्वाइंट पर है, या तो चीजों के दाम कम करो और अगर उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो अहमदाबाद और बम्बई के मुताबिक यहां भी इसी प्वाइंट के मुताबिक मंहगाई दो। जितना न्यूट्रलाइजेशन बम्बई और अहमदाबाद में होता है उसी के हिसाब से यहां भी कानपुर और दूसरी जगहों पर न्यूट्रलाइजेशन को लागू करो। सरकार से प्राइवेटली बात करो तो कहती है कि ठीक कहते हो लेकिन अमल बिलकुल नहीं है। कानपुर में झगड़ा हुआ। टेक्सटाइल मिल में मंहगाई का सवाल था। मंत्री जी ने और लेबर कमिश्नर ने मजदूरों से तय किया कि इंटरिम रिलीफ इतनी मिलेगी। लेकिन जब देने का वक्त आया तो कम दिया। क्यों? इसलिये कि पद्मपत उससे ज्यादा देने के लिये तैयार नहीं थे। सरकार ने कहा कि एक आदमी की कमेटी एप्वाइंट करेगी जो अहमदाबाद और बम्बई वगैरह में जांच करके कानपुर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मंहगाई के बारे में ६ महीने के अन्दर अपना फैसला देगा। गवर्नमेंट का जी० ओ० मौजूद है लेकिन उसे जेब में रख लिया गया। क्यों? पद्मपत ने कहा कि नहीं देंगे। तो बहाना क्या किया? वेज बोर्ड मुकर्रर होगा। लेकिन जिस वक्त हमारी बातचीत चल रही थी उस वक्त भी तो वेज बोर्ड का एलान हो चुका था और वह वेज बोर्ड कानपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिये नहीं है, हिन्दुस्तान भर के लिये है। या तो चीजों के दाम कम करो या जिस प्रकार से महंगाई के आंकड़े बढ़ते हैं उनका सेंट परसेंट न्यूट्रलाइजेशन हो, यही सरकारी कर्मचारी कहता है, यही सूती मिल मजदूर कहता है और यही सरकारी कारखानों के कर्मचारी कहते हैं। लेकिन सरकार उस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है। प्राइवेटली तो सरकार मानती है लेकिन उस पर अमल करने के लिये तैयार नहीं है।

सम्पूर्णानन्द ऐवार्ड के बारे में जिक्र हुआ। मैं खासतौर पर माननीय बनारसीदास जी से प्रार्थना करूंगा कि सम्पूर्णानन्द एवार्ड में लिखा हुआ है कि जो मजदूर इस्तीफा दे उसको ९० दिन के अन्दर ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाना चाहिये। लेकिन दो मिलें ऐसी हैं जहां ऐसे मजदूर हैं जो ढाई साल से इस्तीफा देकर अलग हैं लेकिन अभी तक उनको ग्रेच्युटी नहीं मिली। म्योर मिल में ढाई-ढाई साल के इस्तीफा दिये हुये, मजदूरों का ढाई लाख रुपया पड़ा है ग्रेच्युटी का लेकिन अभी तक उनको ग्रेच्युटी नहीं मिली। बाईपार्टाइट कमेटी में यह मामला पेश हुआ, उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी मजदूरों को मिलना चाहिये, नहीं मिला। सुपरवाइजरी कमेटी में पेश हुआ, उसने भी तय किया कि जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिये, मिलें दे दें, नहीं दिया। तब लेबर कमिश्नर ने आदेश दिया कि पूरा एक साथ नहीं दे सकते तो २५ हजार रुपया महीना करके इसको बांट दो, लेकिन लेबर कमिश्नर का फैसला भी नहीं माना। तब मजदूरों ने परेशान होकर लेबर डिपार्टमेंट में दरख्वास्तें दीं और डेपुटेशन ले कर गये मालिकों के पास, तब भी कुछ नहीं हुआ। मजदूरों के नेताओं के पास गये और परेशान होकर जो ग्रेच्युटी वाले २।। और ३ साल वाले थे उन्होंने मिल कर फाटक पर हड़ताल शुरू कर दी। जब उनमें से एक आदमी मरने वाला हुआ तो मिल के अन्दर हड़ताल हो गई। फाटक पर मजदूर मर रहा है और ऐसा आदमी जिसने मिल में सारी उमर काम किया है तो उसके लिये हड़ताल हो गई। लेबर डिपार्टमेंट ने कहा कि यह कानूनी मामला तो जरूर है लेकिन यह हड़ताल जो हो रही है जायज है। नाजायज नहीं है। कानूनी नोटिस इसके लिये नहीं दी गई। मजदूरों की मांग जायज है, यह बात लेबर डिपार्टमेंट ने कही। १५ दिन तक हड़ताल हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

मालिकों ने २६ जनवरी का पैसा काट लिया और सरकार की तरफ से जो अफसर गये उन्होंने उनके ऊपर ५ हजार रुपये जुरमाना कर दिया। पद्मपत से समझौता हुआ और उसने कहा कि मैं फौरन कुछ लोगों को ग्रेचुइटी दूंगा लेकिन दो महीने हो गये, बल्कि दो महीने से ज्यादा हो गये, अभी तक उसका पेमेन्ट नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि आपके कायदे कानून गरीब आदमियों के लिये है मालिकों के लिये नहीं हैं? मजदूर ने टैक्नीकल गलती की लेकिन फिर भी उस म्योर मिल के मजदूरों की हड़ताल को जस्टिफाई कहा गया। उस पर ५ हजार रुपया जुरमाना किया गया। पद्मपत ने समझौता किया लेकिन वह उसको नहीं मान रहा है तो अब क्या कार्यवाही उसके खिलाफ आप करेंगे? क्या उससे रिश्तेदारी है या भाई चारा है या दोस्ती है? वह क्यों नहीं पे कर रहा है? वर्षगांठ के मौके पर "जुग जुग जिओ" का गाना हो गया और नाच हो गया और उसमें २ लाख रुपया खर्च कर दिया गया।

इसी तरह से दूसरा जे० के० काटन मिल है। इस मिल में भी २।। और ३ साल से लोगों को ग्रेचुइटी नहीं मिली है। बोनस का झगड़ा हुआ। हड़ताल हुई। उस झगड़े को खत्म करने के लिये लेबर कमिश्नर के पास रेफर किया गया। मजदूरों ने कहा कि हम बैठ नहीं सकते हैं। उनकी दो मांगें थीं। मजदूरों का इल्लीगल हड़ताल में ८ दिन का पैसा काट लिया गया और वह बढ़े हुये नेताओं को निकालना चाहते थे। लेबर डिपार्टमेंट के पास आरबिट्रेशन के लिये गये। लेबर डिपार्टमेंट ने अपना एवार्ड दिया कि कोई मजदूर निकाला न जाय और ८ दिन का पैसा काटा न जाय बल्कि १ दिन का काटा जाय। यह उसने कहा लेकिन जिन लोगों के लिये कहा गया था कि उनको निकाला न जाय उनको एक-एक करके निकाल दिया गया। अब लेबर कमिश्नर का फैसला था कि होली के पहले सन् १९६२ का बोनस बांट दिया जाय। लेकिन अब होली भी गुजर गई पर अभी तक वह नहीं बांटा गया। क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही होगी? मालिकों ने आपका एवार्ड नहीं माना और उसको रगड़ दिया तो मालिक अगर आपके खिलाफ काम करते हैं और आपकी बात नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही होती है? वह इसलिये कि वह प्रदेश का सब से बड़ा पूंजीपति है। उसके खिलाफ यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है और न करेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि हमारे बनारसीदास जी कभी-कभी कहते हैं, यहां असेम्बली में तो पोज करते हैं कि हम लोग समाजवाद लाना चाहते हैं लेकिन वहां जब हम लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि यह तो मिल मालिक और मजदूरों का झगड़ा है, हम तो बीच में सालिक हैं। एक मालिक और मजदूर का झगड़ा है और बीच में समझौता कराने वाला वह समाजवादी कैसे हो गया? जब पैदावार के जरिये से सब जनता का फायदा हो तब समाजवाद आयेगा। उसके लिये पहले आपको पूंजीवाद को नश करना और मजदूर को ऊंचा उठाना होगा। लेकिन आप तो बीच में फैसला करने वाले हैं। आप समाजवादी कैसे होंगे? मालिक को दबाना और मजदूर को ऊंचा उठाना अगर इसके विपरीत नीति है तो कभी भी समाजवाद आप ला नहीं सकते। आप तो यही करते हैं कि पूंजीपति की जो गलतियां हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही न करके मजदूर वर्ग को दबायेंगे।

मैं स्वीकार करूंगा कि आज यह आम खयाल है और हमारी पार्टी के बहुत से बन्धु समझते हैं कि यह जो पब्लिक सेक्टर है इसके मुखालिफ खाली स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ हैं। मैं यह नहीं मानता। सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर को तोड़ने वाली, उसका विरोध करने वाली यह सरकार की नीति है। पब्लिक सेक्टर के अन्दर कोई कायदा कानून सरकार का लागू नहीं होता, चाहे रोडवेज का मामला हो या पी० डब्लू० डी० की वर्कशाप का। मैं चैलेंज करता हूं। आप एक अफसर अप्वाइंट कर दो, मैं साबित करने के लिये तैयार हूं कि किसी सरकारी उद्योग में गवर्नमेंट के कायदे कानून लागू नहीं होते। मैंने परिवहन मंत्री से सवाल पूछे थे। एक मिल मालिक का मजदूर से झगड़ा हुआ, मजदूर विक्टिमाइज किया गया। हमने कहा कि उसका केस कंसीलियेशन में जाना चाहिये, लेकिन इस पर मंत्री जी तैयार नहीं होते। कंसीलियेशन में

नहीं जायेंगे, आर्बिट्रेशन में नहीं जायेंगे क्योंकि हम ने सरकार ने, फैसला किया है। बनारसीदास जी की सरकार ने फैसला किया है, गोया तानाशाही का मामला हो गया। ये मजदूर का समाजवाद लायेंगे ? तुम्हारे ही पंच हैं लेबर डिपार्टमेंट भी तुम्हारा, सारी मैशीनरी तुम्हारी और कंसीलियेशन में नहीं जायेंगे। आप कहते हैं कि जुर्म किया, मजदूर कहता है कि जुर्म नहीं किया गया तो उसका फैसला होना चाहिये। महंगाई वगैरह के बारे में तो फिर कहना ही क्या है। (लाल बत्ती होने पर) भला ४-५ मिनट में क्या हो सकता है ? मुझे पहले टाइम मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा ५ मिनट और बोल लीजिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

तो मैं बनारसीदास जी से इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि गुप्ता जी ने इस बात को माना, सुचेता जी ने माना कि मैं कोशिश कर रही हूं कि सरकारी विभागों में भी सरकारी कानून, ट्रेड यूनियन ऐक्ट या और जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट है, उनको लागू करें और इसके मुताबिक कंसीलियेशन, ऐडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन हो, मैं इसकी कोशिश कर रही हूं, लेकिन बनारसीदास जी अगर इतना भी मानें कि 'हम कोशिश करेंगे' तब भी मुझे संतोष हो जायेगा। मजदूर कहता है कि हम लेबर कमिश्नर को ही पंच मानने को तैयार हैं, हमारा मामला भेज दो, मगर नहीं भेजा जाता। इनके अन्दर ही चूंकि पार्टीबाजी है, इसलिये नुकसान उस मजदूर को उठाना पड़ता है। आपकी कोई पालिसी सफल नहीं हुई। आर्बिट्रेशन में जो भी मामले जाते हैं, २ व ३ साल तक फैसले नहीं होते। अगर कोई मजदूर कहता है कि उसके केस को आर्बिट्रेशन को रेफर किया जाय तो आपको उसे रेफर करना चाहिये। हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि जरा लेबर कमिश्नर से कह दीजिये हमारा केस रेफर हो जाय। मुझे यह देख कर बड़ी शर्म आती है। यह सरकार का काम है कि वह उनके केस को रेफर करवाये। माननीय मंत्री जी ने इमरजेन्सी का जिक्र किया। हमने कहा कि सब केसेज वापस करके आर्बिट्रेशन को भेज दो। क्यों नहीं भेजा गया ? लेबर-डिपार्टमेंट को मालूम है। अब तक वह नहीं किया गया। १० बार मैं कह चुका हूं, कोई सुनवाई नहीं हुई। न आर्बिट्रेशन में भेजते हैं न रिट वापस लेते हैं। मालिक किसी भी आर्बिट्रेशन के फैसले को मानता नहीं।

मान्यवर, दो एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले दिनों में राजाराम शास्त्री ने दूसरे हाउस में प्रश्न किया था। उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया था कि कानपुर में मिलें खाने की छुट्टी के घंटों में भी चलती हैं। विक्टोरिया मिल का झगड़ा भी वहां उठा मगर कुछ नहीं हुआ। इनके पूंजीपति इनके किसी कायदे-कानून को नहीं मानते वे समझते हैं 'कि सैयां भये कोतवाल तो अब डर काहे का'। सरकार भी उनका हर तरह से खयाल करती है। इस तरह से इस राज्य में न डेमोक्रेसी चल सकती है न मजदूरों का हित हो सकता है। इस तरह से तो यहां न डेमोक्रेसी की जरूरत है, न कायदे कानून की जरूरत है, न गरीब को वेतन देने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें।

एक बात और कहूंगा। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से लेबर प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहता हूं। वहां दो तरह से घूस चलती है। और दूसरे जो भर्ती का दफ्तर है उसमें भर्ती के लिये यह चीज चलती है। मुझको खुद परसनली मालूम है। इसका कोई इंतजाम कीजिये। मेरे एकाध बार मन में आया कि लेबर कमिश्नर से इसके लिये बात करूं लेकिन नहीं कर पाया। क्वार्टर्स देने में काफी घोटाला है। लोगों की बहुत सी शिकायतें हैं। मैं आपसे यह प्रस्ताव करूंगा और मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं आप उसको मानते। देखिये प्राइवेट क्वार्टर्स हैं, उनके एलाटमेंट के लिये एक ऐडवाइजरी कमेटी का कानून बना हुआ है और उसमें एम० एल० ए० वगैरह हैं। इसी तरह कारपोरेशन के क्वार्टर्स के एलाटमेंट के लिये उनकी एक कमेटी बनी हुई है। तो लेबर डिपार्टमेंट में भी

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

एक ऐडवाइजरी कमेटी इसके लिये बननी चाहिये जो कि एलाटमेंन्ट वगैरह के तमाम काम करे। नहीं तो जिनके हाथ में आपने चार्ज दे रखा है, वैसे मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूं लेकिन वह ऐसी औरत हैं कि पता नहीं वह समझती हैं कि सुचेता जी चीफ मिनिस्टर हो गई हैं तो औरतों का राज हो गया है। तो औरतों का राज वाज कुछ नहीं है, उनको बराबरी का अधिकार हमने दे रखा है, वह हम मानते हैं। इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बाकी तो बहुत सी चीजें रह गईं। फिर कभी मौका मिलेगा तो उनको रखूंगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि कानपुर की बात जैसा कि एक भाई ने कहा दुबारा उत्तर देने के लिये आपने मुझे समय दिया। हालांकि माननीय संतसिंह यूसुफ साहब कानपुर के ही नहीं, हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं और मैं तो इस सदन की, साधारण भी नहीं, बहुत ही साधारण सदस्या हूं, बहुत थोड़े दिनों से मैं यहां चुनकर आई हूं। तो मेरे उनकी बराबरी में बोलने का सवाल ही नहीं है। हां, बचपन में यह मैंने जरूर पढ़ा था कि जैसा किसी का नाम होता है वैसा ही उसका स्वभाव भी हो जाता है। तो संतसिंह नाम है, संत का अर्थ तो बहुत ही शान्त और गम्भीर व्यक्ति से होता है, उसको तो बहुत ही शान्ति के साथ और गम्भीरता से बात कहनी चाहिये लेकिन जो उत्तेजनात्मक भाषण उन्होंने दिया.....

एक सदस्य—

लेकिन उसमें "सिंह" भी तो है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

तो जहां पर संत और सिंह दोनों का समन्वय हो वहां कुछ तो दोनों प्रकार के गुणों का भी समन्वय होना चाहिये। लेकिन उनके भाषण में सिंह का ज्यादा था और संत का कम था। मैं यह कहना चाहती हूं कि आज का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है क्योंकि इससे हमारे हजारों और लाखों श्रमिकों का संबंध है, उनके जीवन और मरण, उनके पालन-पोषण, उनकी रोजी का संबंध है और साथ ही उनके बीच सन्तोष, असन्तोष और शान्ति तथा व्यवस्था का भी संबंध है और इसीलिये मैं आपसे कहूंगी कि हमारे नेतागण जब उनके बीच में जाकर तरह तरह की अपनी नीतियों द्वारा या अपने वाक्यों द्वारा प्रभाव डालते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि कानपुर जैसे शहर में ८३ हजार जहां श्रमिक हैं उनमें उत्तेजना फैले, श्रमिक गुमराह हों और ढाई लाख मैन आवर्स का लास आज के इस इमर्जेन्सी के समय में हो। अगर सरकार चाहती तो एसेंशियल सर्विसेज के कानून को लागू करके हर तरह की ज्यादती उनके साथ की जा सकती थी लेकिन जैसा कि उग्रसेन जी ने फरमाया कि समाजवादी सरकार है जिसमें कि उनको विश्वास नहीं है, मगर समाजवादी सरकार होने के कारण श्रमिकों को अपना बहुत ही प्रिय अंग समझ कर उसने जोर नहीं लगाया। यही कारण है कि हमारे विरोधीदल के नेता गणों को एक ऐसा मौका मिल गया कि ८३ हजार मजदूरों को गुमराह करके ढाई लाख मैन आवर्स (Man hours) का नुकसान करा दिया। अगर अच्छी सलाह उनको दी गई होती तो सम्भव था कि श्रमिक शान्तिपूर्ण वातावरण में अपना कार्य भी करते रहते, इमर्जेंसी के समय में उत्पादन भी करते रहते और उनके पेट की, उनकी गरीबी की, उनके बाल-बच्चों की उन के परिवार की, उनकी बेकारी की समस्या भी हल हो जाती। मैं भी एक परिवार की स्त्री होने के नाते जानती हूं कि जब मालिक कमाकर लाता है तो कितने शौक से स्त्री अपने बच्चों के लिये अच्छी-अच्छी चीजें पकाती है। लेकिन अस्सी अस्सी दिन की हड़ताल चले तो किस मुंह से वह अपने आदमी से उसकी मांग कर सकती है और किस मुंह से वह उन्हें कुछ जा कर दे सकता है? मैं इतना ही कहूंगी कि सरकार ने और श्रम विभाग के अधिकारियों ने चाहे वह जिस प्रकार हो, कंसीलियेशन, आर्बिट्रेशन, या एडजुडिकेशन द्वारा शांति स्थापित रखी है, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। माननीय उग्रसेन जी ने समाजवाद के बारे में कहा, तो सरकार अवश्य इसका नारा लगाती है,

और उस दिशा में उसके कदम भी उठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, और माननीय यूसुफ साहब से भी जानना चाहती हूं कि जो अभी मंत्री जी ने कहा कि बोनस बांटने के लिये २८ लाख रुपया दिया गया या वेतन बढ़ाने के लिये जो कदम उठे हैं, या वेलफेयर फंड बनाने के लिये जो कानूनी कार्यवाही करने का विश्वास मंत्री जी ने दिया है क्या यह समाजवाद की ओर संकेत नहीं करता है? क्या श्रमिकों को इससे फायदा नहीं होगा? २८ लाख रुपया मजदूरों के बीच में बांटा जायगा, इससे उनकी स्थिति जरूर अच्छी होगी, इसमें दो राय नहीं है। ये सब कदम समाजवाद की ओर ही हैं।

सरकार ने किस कठिनाई में तीसरी योजना का सामना किया था? तीसरी योजना के प्रारम्भ में साढ़े सत्तरह लाख लोग बेकार थे और यह ख्याल था कि जिस आधार पर हमारी आबादी बढ़ रही है, शायद ५ वर्षों के अन्दर साढ़े पचीस लाख आबादी और बढ़ जायगी। इसका मतलब यह हुआ, कि तृतीय योजना के अन्त तक ४० लाख लोग बेकार हो जायेंगे। और हमारी योजना के आधार पर ९ लाख आदमियों के लिये ही रोजी का इन्तजाम हो सकता है। परन्तु मुझे खुशी है कि सरकार ने अपने लक्ष्य को पूरा किया साथ ही जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी लक्ष्य से ज्यादा बढ़ाया है। ४४ से बढ़ाकर ४८ कर दिया है और इसके लिये ५० लाख पये का अग्रिम के रूप में प्राविधान कर दिया है। जब हम देखते हैं कि उपयुक्त श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, आज के तकनीकी युग में, जबकि टेक्निकल नो हाऊ की जरूरत है, ट्रेन्ड परसोनेल की जरूरत है। उस समय १६ हजार की जगह १७ हजार प्रशिक्षित विद्यार्थी निकलेंगे और सरकार इसको बढ़ा कर २५ हजार करना चाहती है, मैं पूछना चाहती हूं, क्या इससे श्रमिक के बच्चों को प्रशिक्षण नहीं मिलेगा? स्पष्ट है कि इससे उनके बच्चों को टेक्निकल एजूकेशन मिलेगी, और देश को इससे लाभ ही होगा।

मंत्री जी ने तथा अन्य वक्ताओं ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ प्रकाश डाला। मैं कानपुर से आती हूं, जहां सबसे ज्यादा चमड़े का काम होता है। मंत्री जी ने कहा है कि मिनिमम वेज बोर्ड स्थापित हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल तक आ जाने की आशा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब कानपुर में टेक्सिटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर को ८ रुपये का इंटेरिम रिलीफ दिया गया है, बिजली मजदूर को ६ रुपये का दिया गया है, तो क्या कारण है कि चमड़े के व्यवसाय में लगे हुये श्रमिक को क्यों नहीं सरकार इंटरिम रिलीफ देने की सोच रही है? मैं चाहूंगी कि मंत्री जी, उनके लिये भी जल्दी से जल्दी किसी इंटरिम रिलीफ की घोषणा करें। एक बात और है, कि टेक्सटाइल के अनस्किल्ड मजदूरों को १०६ रुपया मिलता है, जबकि उसी शहर में, चमड़े में लगे हुए अनस्किल्ड मजदूर को ७५ रुपया मिल रहा है। यह कहां का न्याय है? इसलिये मैं चाहूंगी कि चाहे उनकी महंगाई बढ़ाई जाय या वेतन बढ़ाया जाय, परन्तु दोनों उद्योगों के एक ही ग्रेड के श्रमिक को एक वेतन मिलना चाहिये।

सब से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हाउसिंग का है। तृतीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार को इस काम के लिये ६ करोड़ रुपये दिये थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लेबर हाउसिंग के लिये दिये गये ६ करोड़ रुपये में से आज तक केवल ४ करोड़ रुपये ही सरकार इस्तेमाल कर सकी है। बात यह है कि प्रान्तीय सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देती है, वह भूमि अर्जित करता है, जिसमें काफी समय लगता है, फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग को घर बनाने का काम दिया जाता है और उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जो श्रमिकों को मकान किराये पर देता है, और सारा किराया प्रान्तीय सरकार द्वारा एकत्रित होकर केन्द्र को जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि जब सारा खर्चा केन्द्र वहन करता है, और इसमें प्रान्तीय सरकार को कुछ नहीं लगाना पड़ता बल्कि उल्टे कलेक्शन के लिये ढाई परसेन्ट केन्द्र प्रान्तीय सरकार को देता है, तो क्या वजह है कि

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

सरकार इस सब्सीडी का पूरा फायदा नहीं उठा सकी है ? आज जो कानपुर में मजदूरों के क्वार्टर बने हैं, वह २५ रुपये पर उठाये जा रहे हैं, जिसमें १९ रुपया किराया, ३ रुपया एक्सेस वाटर टैक्स और ३ रुपया बिजली का शामिल है । क्या एक श्रमिक इतना किराया दे सकता है ? इसलिये मेरी राय में जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों से उनके वेतन का १० प्रतिशत किराया लिया जाता है, उसी प्रकार मजदूरों से भी लिया जाय और बाकी सब्सीडी सरकार मोट करती रहे । हाउसिंग बोर्ड के बारे में मुझे कहना है कि वर्षों से इसकी चर्चा हो रही है कि यह बोर्ड स्थापित होने वाला है । मेरा ख्याल है कि अगर इसको जल्दी स्थापित कर दिया जाता तो जो एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल चलती है, जिसमें काफी समय नष्ट होता है, वह बंद हो जायगा और काम भी जल्दी हो सकेगा ।

चीनी उद्योग हमारे प्रदेश में पहले बहुत बड़ा था ७०–७१ मिल्स हमारे प्रदेश में थीं, परन्तु हम देख रहे हैं कि सिंचाई के पूरे साधन न देने के कारण तथा अन्य कारणों से यह उद्योग कम होता जा रहा है । इसमें जो मजदूर लगे हुए हैं, वह भी कम होते जा रहे हैं । आज सवेरे मेरे पास एक टेलीफोन आया है कि कानपुर में ख्योरा कटरी एक गांव है वहां एक मिल को २५ तारीख से बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि २५–३० हजार मन गन्ना इस समय वहां खड़ा हुआ है । यदि मिल बंद कर दी जायगी तो उस गन्ने का क्या होगा, मजदूरों तथा किसानों का क्या होगा ? यह सोचने की बात है । मैं चाहती हूं कि सरकार यदि सोचती है कि ऐसी मिल चलने से किसी प्रकार का फायदा नहीं है तो अवश्य आप उसे बंद करें, परन्तु साथ ही यह भी देखें कि इससे संबंधित हजारों लोगों की रोटी रोजी का मामला है ।

अब मैं कुछ स्वर्णकारों के बारे में कहूंगी । यह सही है कि कानपुर के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने अच्छा काम किया है, पर साथ ही यह ऐसा केन्द्र है, जहां जनता को अक्सर असुविधा होती है और वहां करप्शन सेन्टर भी हो जाता है । कहां तक सही है, मैं नहीं जानती, परन्तु अक्सर मेरे पास केसेज आते हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं । इसलिये मैं चाहूंगी कि इन एक्सचेंजेज के द्वारा जो काम किया जाता है, उस पर सरकार नियंत्रण रखे और हो सके तो कोशिश की जाय, कि जो हजारों की तादाद में दरख्वास्तें हैं, उनपर जल्दी से काम किया जाय । पिछले दो साल से मैंने बार-बार कहा है कि कानपुर में अनेकों स्वर्णकारों के परिवार ऐसे हैं, जो गोल्ड कंट्रोल से बुरी तरह अफेक्टेड हुए हैं, और उन्हें खाने तक को भी नहीं है । मैं चाहूंगी कि ऐसे लोगों को सरकार अलग से कुछ फंड रखकर कुछ सहायता दे । अन्त में सरकार द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से जो कार्य किये गये है ; उसके लिये मैं बधाई देती हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि वह इस अनुदान का समर्थन करें ।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला अलवर)––

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो श्रम और सेवायोजन का अनुदान पेश किया है, उस पर जो माननीय उग्रसेन जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश किया हैं, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । हमारे प्रदेश में भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योग हैं और उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के मजदूर काम करते हैं । इनमें कुछ छोटे छोटे उद्योग देहात में हैं जिन पर सरकार का कोई काबू नहीं है । इसके अलावा बड़े-बड़े उद्योग नगरों में कायम किये गये हैं । इंडस्ट्रीज में सब से बड़ा हमारा सेंटर कानपुर है । जिसके बारे में माननीय संतसिंह जी यूसुफ और माननीया सुशीला रोहतगी जी ने अपने विचार प्रकट किये । जहां तक यह बात है कि मजदूरों को विरोधियों द्वारा भड़काया जाता है और उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तथा उनकी शिक्षा आदि के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, यह लांछन विरोधी दलों पर लगाना आसान तो है लेकिन माननीया सदस्या और माननीय मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और देखेंगे कि आज से २५-३० साल पहले सिंहानिया साहब और जयपुरिया और रामरतन गुप्ता की क्या हालत थी और आज क्या हालत है, और इसके विपरीत उस मजदूर की क्या हालत है जो अपना खून पसीना देकर उन मिलों में काम करता है। इन बातों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि १७ सालों के अन्दर मजदूरों की स्थिति क्या हुई है और उद्योगपतियों की क्या स्थिति हुई है। आप कहेंगे कि मजदूरों के लिये श्रम हितकारी केन्द्र खोल दिये गये हैं, बड़े-बड़े हाल बनवा दिये गये हैं जहां पर बहुत सी रिक्रियेशन की चीजें हैं। लाखों रुपया इन पर खर्च किया गया है। उनका बीमा शुरू करा दिया गया है। लेकिन क्या यह आपको मालूम नहीं है कि यह पूंजीपति, जिसके पास कुछ दिनों पहले केवल एक थ्रूक गाड़ी थी, आज उसके पास कई कई ५०-५० हजार की एम्बेसेडर गाड़ियां हैं, उन पर वह चलता है और हवाई जहाज में चलता है। जो जोधाबाई का महल है उस से १०० गुना अच्छा आज रानी जयपुरिया और महारानी सिंहानिया का महल है और माननीया सुशीला रोहतगी कहती हैं कि मजदूरों को भड़काया जाता है।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मजदूरों का हित आपके इन लंबे-चौड़े भाषणों से होने वाला है? उसके लिये तो हमें ठोस कार्यक्रम पेश करने होंगे जिनसे हम मजदूरों का हित कर सकें। मैं इस बात को नहीं कहता कि मजदूरों को यह कह कर कि एक दिन में तुमको ३०० रुपया दिला दिये जायेंगे, भड़काया जाय। इस तरह की बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। मेरे यहां एशिया में शीशे की सबसे बड़ी इन्डस्ट्री है। आज मैं हजरतगंज में एक शो रूम में कुछ चीजें देख रहा था। मालूम पड़ा कि यह चीज जापान की बनी हुई है और यह चीज स्विट्जरलेंड की बनी हुई है। इसकी कीमत ५० रुपया है और उसकी ४५ रुपया है। लेकिन हमारे यहां उन्हीं चीजों को अगर बनवाया जाय तो १५ रुपया में बन सकती हैं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जो स्किल्ड लेबरर हैं उनको कोई प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है। आप उनकी कोआपरटिव सोसाइटी बनाकर क्यों नहीं उनको पया देते हैं। उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उनकी स्थिति अच्छी न होने के कारण उनका हर प्रकार से शोषण किया जाता है। अभी पिछली बार जब वहां की स्किल्ड लेबर ने कहा कि १९५७ से बराबर महंगाई बढ़ती जा रही है और अब वह ५-६ गुनी हो गयी है, हमें कम से कम ५ प्रतिशत मजदूरी में बढ़ा दिया जाय। लेकिन वह भी उनको नहीं दिया। इसके बाद ९० दिनों तक फैक्ट्रीज बंद पड़ी रहीं और जिसकी वजह से १ लाख आदमियों का जीवन बड़ा भयभीत रहा, असंतुष्ट रहा, भुखमरी, अराजकता और अपराधों का जीवन उनका बन गया। माननीय मंत्री जी से जब इस सदन में स्पीकर महोदय के जरिये पूछा गया तो माननीय मंत्री जी ने एक महीने के बाद जवाब दिया कि मुझे मालूम ही नहीं है। एक तरफ डेढ़ लाख आदमियों की जिन्दगी बुरी होती जा रही है और माननीय मंत्री जी को पता ही नहीं है। तो मैं कहूंगा कि मंत्री जी यदि आप स्वयं मंत्री हैं और नियोजन के लिये कुछ करना चाहते हैं तो आपको इस सम्बन्ध में कुछ करना पड़ेगा। जहां भी इस तरह से झगड़े खड़े हों वहां आपको जरूर इस तरह के कोई कदम उठाने चाहिये जिससे दोनों पार्टीज को बुला कर उसे तय करा दें। मैंने जब इसके बारे में माननीय शिव प्रसाद गुप्त जी से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तो डिप्टी मिनिस्टर हूं, लेकिन उस डिपार्टमेन्ट का नहीं हूं, इसलिये इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद आपके कंसीलिएशन आफिसर और लेबर कमिश्नर के पास गया ताकि इस समस्या का कुछ समाधान हो सके लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला सका। इसका नतीजा यह हुआ कि इसका प्रोडक्शन पर असर पड़ा, सेल्स टैक्स का नुकसान हुआ, हमारी आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हुई और मजदूर भूखे मरे तथा अशान्ति हुई। इसलिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह सरकार पूंजीपतियों तथा जो टैक्स की चोरी करते हैं, इस तरह के लोगों की समर्थक है। अगर यही रवैया जारी रहा तो फिर जो कल्पना नेहरू जी ने की थी, जो कल्पना औरों ने की थी वह पूरी नहीं हो सकेगी। आप जाते हैं बंगाल और कहते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो इस तरह से आपका दिल्ली पहुंचना

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

नामुमकिन है । आप बात तो समाजवाद की करते हैं लेकन यहां गरीब १२–१२ घंट काम करने के बाद भी भूख रहते हैं । केवल यहां लम्बी-चौड़ी बहस करने से कोई समाजवाद आने वाला नहीं है । अगर आप सही माने में समाजवाद लाना चाहते हैं तो आपकों गरीबों, मजदूरों तथा खेतिहर मजदूरों के लिये कोई ऐसा साल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिससे उनकी समस्या सुलझ सके ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि इन्सान–इन्सान का खून लेने के लिये खड़ा हो जाय और आप अपने समाज को काबू में न कर सकें इसलिये मुझे आपसे यह अर्ज करनी है कि आप ग्लास इन्डस्ट्री के प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दें । आज पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में अपने यहां ग्लास इन्डस्ट्री खड़ी कर रखी है जहां ५ वर्ष से प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है । आपके जो स्किल्ड लेबर हैं उनको पाकिस्तान से कम पैसा मिलता है । पाकिस्तान उनको ज्यादा पैसा देता है जिससे इधर के बहुत से स्किल्ड लेबर उधर चले गये हैं । लिहाजा आपको चाहिये कि श्रमजीवियों को अच्छा से अच्छा पैसा दिलवायें । अंग्रेजी जमाने में जहां लेबर को ५० रुपया मिलता था वहां आज २०–२५ रुपया ही मिल पाता है, लिहाजा मेरी मांग है कि आप कोई ठोस कदम उठायें और कोई योजना बनावें जिससे मजदूरों का हित हो सके ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, दिसम्बर, १९६५ के महीने में हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने सारे हिन्दुस्तान के लिये एक नीति तय की थी और वह नीति यह थी कि जब हमने समाजवादी समाज की रचना की बात सोची, जब हमने आर्थिक विकास की बात सोची, तो केन्द्रीय सरकार ने भी यह मुनासिब समझा कि इसको आर्थिक जगत में कैसे उतारा जाय, इसको किस तरह से मजदूरों के फायदे के लिये, उनके हित के लिये, श्रम का ठीक तरीके से उपयोग करने के लिये, आर्थिक निर्माण के लिये इस्तेमाल किया जाय । इसी आधार पर एक श्रमनीति तय की गयी । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमें आज विचार करना चाहिये कि हम उस नीति पर कहां तक चल हैं और कहां तक हमने उसको प्रतिपादित किया है और क्या-क्या कमियां उससे आज हम महसूस करते हैं । इसके लिये समय-समय पर बहुत सी कमेटियां निर्मित हुई, हमने अपनी एक औद्योगिक नीति बनाई, समय समय पर मामलों को सुलझाने के लिये त्रिदलीय सम्मेलनों का संगठन किया गया जिसमें पूंजीपतियों, श्रमिकों और सरकार के प्रतिनिधियों तीनों ने भाग लिया और श्रमिक और औद्योगिक शांति के लिये प्रगतिशील कदम उठाये, लेकिन हमारी गति हमें कहां ले गई और हम कहां पर पहुंचे यह विचारणीय प्रश्न है । इस विषय में मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा चीनी उद्योग है जिसमें ५०,००० मजदूर काम करते हैं । उनकी कमियों के निरीक्षण के लिये, उनके विभिन्न तरीके के कामों को ठीक से सम्पादित करने के लिये सन् ६० में एक वेजबोर्ड की रपट आई उस वक्त की महंगाई को देखते हुये । लेकिन विन्दवासेनी प्रसाद वेज बोर्ड की सिफारिशों का क्या नतीजा हुआ, ९००० मजदूरों के पेटीशन्स पड़े हुये हैं उनके केटगराइजेशन सम्बन्धी, परन्तु अभी तक उनके मामले किसी प्रकार तय नहीं हुये । ९००० मजदूरों की जिन्दगी आज बीच में लटकी हुई है । क्या लाभ वेज बोर्ड के बनाने से हुआ ? क्या असर उसका हुआ ? यही नहीं, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपकी श्रम नीति आप को कहां ले गई । अगर आज श्रमिकों के वर्क लोड के बारे में हम समीक्षा करें तो चाहे चीनी मजदूर हो या सूती, चमड़े, लोहे या अल्यूमोनियम कारखाने या कहीं का भी मजदूर हो उनकी हालत क्या है, अगर हम निरीक्षण करें तो सब जगह यही है कि मजदूर एक तरफ निकाला जाता है और उसकी जगह कोई नहीं रखा जाता । मंत्री जी ने आंकड़े पेश किये हैं जिन से जाहिर है कि एक ओर मजदूरों की संख्या

घट रही है और दूसरे कामों की जगहें बढ़ रही हैं और वर्कलोड इस तरह बढ़ रहा है। इस वर्कलोड को दूर करने के लिये श्रम विभाग ने क्या काम किया ? इस तरफ मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये ।

यही नहीं वेज बोर्ड का फैसला लागू किया गया और कहा गया कि ५८ साल के मजदूर को अगर सिविल सर्जन सर्टिफाई कर देगा तो उसको नहीं हटाया जायगा और कहा गया कि उस को काम करने दिया जायगा। चीनी मिल मजदूरों ने वेज बोर्ड के फैसले के अनुसार सिविल सर्जन के सर्टिफिकेट दिये लेकिन उन को नहीं माना गया और कहा गया कि तुम काम के लायक नहीं हो जब कि वह काम के लायक है। यह स्थिति है कहा गया था कि हर ५ साल बाद जब प्वाइंट वस महगांई बढ़ जायगी और ५० तक इस प्रकार पहुंचेगी तो दूसरा वेज बोर्ड बनाया जायगा। सन् ६० में वेज बोर्ड बना था तो अब ६५ में दूसरे वेज बोर्ड की घोषणा होना चाहिये क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ।

केवल चीनी मिलों में ही यह स्थिति नहीं है। जैसा माननीया सुशीला जी ने कहा, चमड़ा मजदूरों की स्थिति भी दयनीय है। सूती मिलों में रेशनेलाइजेशन के नाम पर मजदूरों को रिट्रेन्च किया गया, फिर किस तरह से उत्पादन हमारे यहां बढ़ सकता है। श्रमिक नीति का समाजीकरण होना चाहिये। लेकिन राशनलाइजेशन का मतलब हमारी सोशलिस्ट स्टेट में क्या हो, उस पर आप को ग़ौर करना पड़ेगा और यह भी देखना होगा कि हमारी श्रम नीति क्या हो। आज बोनस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि शुगर वेज बोर्ड के फैसले को हमने लागू कर दिया। सन् १९६० की यह रिपोर्ट शुगर वेज बोर्ड की है। उसके अन्दर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, कि आपने बोनस कमीशन रिपोर्ट का जो हवाला दिया उस को देखें और आज मिल मालिक कैसे बोनस दे रहे हैं उस को भी देखें। हमारी सरकार उन को रास्ते पर नहीं ला रही है। यह जो बोनस कमीशन की रिपोर्ट है वह सन् १९६४ की है। इसमें आप देखेंगे कि जो ४० हजार, ६० या ६२ हजार मजदूरों को एडहाक बोनस दिया है वह लेबर अपिलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। उसके अनुसार १ करोड़ रुपये के नजदीक बोनस दिया जाना चाहिये था। मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस बोनस कमीशन की रपोर्ट में लिखा हुआ है कि :—

"We would never accept linking of bonus with profits. Linking of bonus with production in Sugar Industry was extensively justified by the L. A. T. of India....We totally accept and stand by this view."

श्रीमन्, आज जो स्थिति है उसके बारे में आप को सोचना पड़ेगा। मैं इसलिये कहता हूं कि आज शुगर फैक्टरीज, सूती मिलें, कपड़े की मिलों और चमड़े के कारखानों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यहां पर सेवा नियोजन के बारे में कहना चाहता हूं जिसकी चर्चा इस सदन में नहीं हुई है। श्रीमन्, आज हालत क्या है। सारे जिलों में इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज खुले हुए हैं। जब मैंने विरोधी दल की ओर से कटौती का प्रस्ताव पेश किया था उस समय कहा था कि आज सारे ब्लावस लेबिल पर आप असेसमेंट करावें कि आप के यहां अनएम्प्लायमेंट की क्या फीगर है। माननीय मंत्री जी देखेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में ७.१८ लाख आदमी अनएम्प्लायड हो जायेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक कोई लेजिस्लेशन इन्ट्रोड्यूस नहीं किया। सेकिन्ड वर्ल्ड वार के पश्चात् १९४८ में इंग्लैंड में एक लेजिस्लेशन बनाया गया लेकिन हमारे यहां पर कोई नियम या लेजिस्लेशन कि किस

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

प्रकार इस अभिशाप को दूर किया जाय सरकार ने नहीं बनाया। न तो इसके लिए कोई ऐक्ट बनाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप को इस पर सही तरीके से सोचना पड़ेगा और जिस तरह से इंग्लैंड में एम्प्लायमेंट और ट्रेनिंग ऐक्ट लागू (१९४८ में) किया गया उसी प्रकार का कानून आप को भी लागू करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस के बारे में प्रकाश डालेंगे कि आप की सेवा योजना की क्या नीति है। हम प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर की ओर जा रहे हैं तो उस समय हमारी क्या नीति होगी। अनएम्प्लायमेंट के बारे में एक साफ नीति होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में एक आदमी है, सूरज लाल। बरकन्दाज की जगह गंडक योजना में इम्प्लायमेंट से काम के लिये उसकी नियुक्ति हुई। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से उस को कार्ड मिला जिसमें उससे कहा गया कि वह गंडक योजना के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के आफिस में रिपोर्ट करे। १३ मार्च का कार्ड है। वह उस कार्ड को लेकर सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर मिस्टर शर्मा के पास गया लेकिन जब उसे जगह नहीं मिली तो वह कार्ड ले कर मेरे पास आया। मैंने सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को लिखा कि इसके पास कार्ड है और इसको एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने भेजा है, इसको नौकरी दीजिये। उन्होंने कहा कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज आफिसर के पास चले जाइये। इस तरह से उसे घूमते फिरते एक हफ्ता से ऊपर हो गया लेकिन उसे काम नहीं दिया गया। यह हालत है आपके एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की। इस सम्बन्ध में जो नीति है वह ठीक कीजिये, उसमें सुधार कीजिये और इसके लिये कायदा कानून बनाइये ताकि जो मकसद है वह हल हो सके।

*श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आप को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे समय दिया। साथ ही कुछ कहने के पहले मैं अपने साथी माननीय नरसिंह नारायण को भी मुबारकबाद दिये बिना नहीं रह सकता कि सीट बदलने के साथ-साथ उन्होंने नीयत नहीं बदली और उधर बैठ कर भी जो सत्य बोलने का उन्होंने व्रत लिया था वह अभी उनमें कायम है।

मान्यवर, माननीय मंत्री ने अपने भाषण में समाजवाद का नारा बहुत ज्यादा लगाया।

श्री बनारसीदास—

मैंने तो उसमें समाजवाद का नाम भी नहीं लिया।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

तब तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि समाजवाद आप चाहते नहीं हैं, केवल आप अपने संगठन में प्रस्ताव पास करते हैं। मेरे पास एक पुस्तिका है भारतवर्ष में खेतिहर मजदूरों की दशा के सम्बन्ध में। उसमें बताया गया है कि जो योजनायें हमारी चल रही हैं उनसे कितनी प्रगति हुई है। इस संबंध में प्रथम जो रिपोर्ट है केन्द्रीय सरकार को उसने दिया हुआ है कि सन् १९५०–५१ में पर कैपिटा इन्कम एक परिवार की जिसमें ४.२ व्यक्ति हों १३१ रुपये उत्तर प्रदेश में थी और १९५६–५७ में वह पर कैपिटा इन्कम घटकर ८०.५ रुपये रह गयी। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश के बंगाल, आसाम, मैसूर, पंजाब तथा राजस्थान में खेतिहर मजदूरों की आय कांग्रेस सरकार के पिछले २० वर्ष के शासन में कम हुई और इस पर अगर समाजवाद का नारा तेजी के साथ लगाया जाता है तो शर्म की बात है। आपको सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों से चिढ़ हो सकती है, हमारे महामना नेता डाक्टर लोहिया जो चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं उनकी नीतियों से चिढ़ हो सकती है, माननीय उग्रसेन अथवा राजनारायण जी की बातों से चिढ़ हो सकती है लेकिन वस्तु स्थिति आप बदल नहीं सकते हैं, आप वक्त के तकाजे को बदल नहीं सकते हैं। यह नितांत सत्य है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज आप देखेंगे कि हमारे नेता माननीय उग्रसेन जी ने कहा है कि अजीतिया, मजीठिया, बिड़ला, आदि जो बड़े बड़े सेठ हैं, उनकी ही तरक्की हुई है और मजदूरों की कोई तरक्की नहीं हुई है। आज देश के मजदूरों को क्या मिला है साधारण जनता को क्या मिला है, इस पर यदि आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि एक सेर शक्कर की लागत आठ नौ आने से ज्यादा नहीं आती है। आप की तरफ भी उधर बहुत से विशेषज्ञ बैठे होंगे वे भी देखेंगे तो मालूम होगा कि इससे ज्यादा एक सेर शक्कर की लागत नहीं आ सकती है जिसको कास्ट आफ प्रोडक्शन कहते हैं। अगर आप समाजवाद की बात करना चाहते हैं तो हमारा नारा है कि कोई भी वस्तु बाजार में ड्योढ़े से ज्यादा दाम पर नहीं बिकनी चाहिये। इसी प्रकार से मेरा निवेदन यह है कि आप कपड़े के दाम को लीजिये। मोटा कपड़ा जिसको गांव के झुम्मन और बकरीदी वगैरा इस्तेमाल करते हैं और जिनके वोटों पर आप बहुमत बनाये बैठे हैं, वह कपड़ा ६ आने ७ आने गज में तैयार होता है। लेकिन बाजार में उसके दाम बीस आने, बाईस आने और डेढ़ रुपये गज तक लिये जाते हैं। क्या यही आपका समाजवाद है? अगर आप अपने समाजवाद को डालमियां, मजीठिया, बिड़ला वगैरह के लिये लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन यदि आप मध्यम श्रेणी और छोटे छोटे लोगों के लिये लाना चाहते है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सोशलिस्ट पार्टी की नीति को अपनाना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि आप अपनाते हैं कुछ तो हमें जेल भेजने के बाद या कुछ झटके खाने के बाद या जनता के परेशान हो जाने के बाद। इसके बाद आप वही नीति अपनाते हैं जिसके लिये हम समाजवादी लोग ८/१० साल से बराबर चिल्ला रहे हैं।

मान्यवर, एक न्यूनतम वेतन अधिनियम है उसमें लिखा है कि होटलों में काम करने वालों का, चूने के भट्ठे में काम करने वालों का वेतन ३० रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो कहावत है कि "चिराग तले अंधेरा" वह यहां चरितार्थ होती है। सेक्रेटेरियट में ही चपरासियों को साढ़े सत्ताइस रुपये वेतन मिलता है।

श्री बनारसीदास--

यह तो आप की समझ का फर्क है।

श्री अवधेशकुमार सिनहा--

अगर समझ का फर्क न होता तो आप उधर क्यों बैठते, इधर आते।

मान्यवर, मैं रोडवेज कर्मचारियों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज कर्मचारियों की संख्या लगभग २३ हजार है जिनमें से १० हजार अब भी अस्थायी हैं और वे अब तक स्थायी नहीं हो सके हैं। रोडवेज के अन्दर सरकार को २ करोड़ ३० लाख रुपये का मुनाफा हुआ है। लेकिन अब तक बोनस नहीं मिल सका है। इतने कहने के बाद प्रांत और देश के संबंध में तो हमारे नेता माननीय उग्रसेन जी और अन्य बोलने वाले कहेंगे। अब जो समय बाकी रहा है उसमें मैं आप की आज्ञा से सीतापुर जिले में मेरे क्षेत्र में महोली शुगर फैक्टरी है उसके सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, अब तक मैं यह समझता था कि एक हमारे जो कांग्रेसी प्रतिद्वन्दी हैं वही सिर्फ गृहमंत्री की नाक के बाल हैं। किन्तु अब मुझे एक और आभास हो रहा है कि वह माननीय श्रम मंत्री के भी लाड़ले हैं....

एक सदस्य--

उनका नाम क्या है?

श्री अवधेशकुमार सिनहा--

उनका नाम है श्री रामरतन जी, शायद आप ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। माननीय मंत्री जी जानते हैं। मान्यवर, हमारी शक्कर मिल में सब से ज्यादा एक विशेषता है। जो

[श्री अवधेशकुमार सिनहा]

यहां के सेठ हैं, वह जिले के अन्दर जितनी शक्कर मिलें हैं, उनमें सब से बड़े बेईमान सेठ वह समझे जाते हैं, लोगों की नजर में, जनता की नजर में और वह सेठ जो सब से खराब चीनी बनाते हैं। सब से घाट गन्ना तौलने में वह मशहूर हैं। उनके यहां जो लेबर आफिसर हैं, उस को २–३ वर्षों से बराबर एक्सटेंशन मिल रहा है। सेठजी उस को रोके रहने के लिये उस को एक्सटेन्शन दिलाने के लिए बराबर कोशिश किया करते हैं। वह इसको इसलिये नहीं छोड़ रहे हैं कि अपनी मीठी बोली से, मजदूरों का मीठी छुरी से गला काटने वाला कोई दूसरा लेबर अफसर नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, खासकर आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कि आप जरूर देख लें कि मेरे उस क्षेत्र की मिल में २२–२२ साल से मजदूर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक वे परमानेंट नहीं हो सके हैं। जिस समय भी सेठ जी की मेहरबानी होती है, उनको निकालकर बाहर कर दिया जाता है, उनकी कहीं फरियाद भी नहीं हो सकती है।

अभी उधर के बैठने वाले कुछ महानुभाव सदस्य लोगों ने कहा कि रेस्टोरेंट खोले गये, श्रम कल्याण केन्द्र खोले गये उनके लिये। मैं आप के द्वारा आप के माननीय सदस्यों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, जिस पर एक शेर याद आ गयी मुझे—

"तड़पता देखकर मुझको रहम सैयाद को आया।
कफस की खोल दी तीली, मगर कस-कस के पर बांधे।।"

आप ने मजदूरों के लिये रेस्टोरेन्ट होटल भले ही खुलवा दिये हों, मान्यवर, लेकिन जब तक आप उन को मंहगाई भत्ता और जिन्दगी की जरूरी चीजें नियंत्रित दामों पर नहीं दिलवायेंगे तब तक आप का न तो समाजवाद चलेगा और न वह रेस्ट्रोरेन्ट काम देंगे।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, अभी थोड़ा और बोल लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलें, अभी आपका समय है।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

मान्यवर, मेरा समय बच जाये तो हमारे नेता जी को दे दीजिएगा। मैं माननीय मंत्री जी से, आप के द्वारा, एक विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि आप मंत्री जी हमारे उस महोली मिल के ऊपर ध्यान दें, उस मिल के ५२६ मजदूरों ने भूख हड़ताल की नोटिस दे दी है, वह आपको मिली है। १३ फरवरी को वे मजदूर आप से मिले थे, उसके बाद आप ने उन को ३ मार्च को बुलाया। उनकी एक मामूली बात है। उनकी मांग यह है कि बैलट पेपर से गुप्त मतदान द्वारा सेक्रेटरी का चुनाव हो जाये। मैं नहीं समझता इससे मासूम मांग और क्या हो सकती है, वह भी नहीं मानी जा रही है। यदि इस मांग को सरकार स्वीकार कर ले तो जो सीतापुर में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, वह हमारी पार्टी के मजदूर नहीं हैं, वह आप की आई० एन० टी० यू० सी० के मजदूर हैं, जो स्थिति बिगड़ने वाली है असन्तोष उभड़ने वाला है वह रुक जाएगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के विचार उस वर्ग के सम्बन्ध में सुने जिसको कि 'वी रिगार्ड दि वीकर सेक्शन आफ दि पीपुल आफ दिस कंट्री, और जिसके सम्बन्ध में हमारे देश के बुद्धिजीवी लोगों ने पार्लियामेंट में कांस्टी ट्यूशन बनाया था और उसके अन्दर उन बुनियादों को आधारित किया जिसके ऊपर वे समझते थे कि हम मुल्के हिन्दुस्तान के सब से कमजोर वर्ग को संभाल सकेंगे और उसकी कार्यशैली और क्षमता को आगे बढ़ा सकगे। हमारे

कांस्टीटयूशन के अन्दर डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं सोशल जस्टिस और सिक्योरिटी के, परन्तु मुझे खेद है कि इस अध्याय में जितना उत्थान इस शोषित वर्ग का होना चाहिये था उसमें हम ५ फी सैकड़ा भी कामयाब नहीं हुये, मुझे इस को कबूल करने में कोई तकलीफ नहीं है। मैं यहां पर सदन के सदस्य की हैसियत से ही नहीं बल्कि उस से आगे एक ऐडवोकेट होने के नाते उनकी वकालत करने इस सदन में खड़ा हुआ हूं। श्रम ही वह स्रोत है जिससे हर कौम में समृद्धि का दरिया बहा करता है। पढ़िये इतिहास को, डेवलप्ड एकानामी, अण्डर डेवलप्ड एकानामी और बैकवर्ड एकनामी के इतिहास को। वह वर्ग जो दुनिया में समृद्धि का निर्माण करता है और जो दुनिया के सारे लोगों को उनकी जरूरत की चीजों से लेस करता है और जो उन की प्यास की तृप्ति करता है, वही वर्ग आज भी इस मुल्क में गरीबी में मुब्तला हो यह बहुत दर्दनाक बात है। इसमें सरकार और गैरसरकार का प्रश्न नहीं है। हम समझते हैं कि इन्सानियत के नाते और मुल्क और कौम को तन्दुरुस्त और तगड़ा बनाने के नाते इस दृष्टिकोण से इस सदन में इस अनुदान पर हमें तर्क करना चाहिये। लेकिन मुझे बहुत दुख इस बात का है कि सदन में श्रमिकों के प्रति कितना प्रेम है उसका ज्वलन्त प्रमाण यही है कि सदन में जब यह अनुदान पेश है तब से अब तक कितनी उपस्थिति सदन में है। इस बात को यह जाहिर करता है कि हमें श्रमिकों के लिये कितना दर्द है।

एक आवाज—

इधर बिलकुल खाली है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

यह तो जिधर खाली है वे ही उस को समझने का प्रयास करें। परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है बहुत से कदम उनके उत्थान के लिये सरकार की तरफ से उठाये गये हैं जिनका जिक्र सदन में किया गया है और उनके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उनके अन्दर एक भारी खामी है। आपने कंसीलियेशन बोर्ड बनाया, आर्बिट्रेशन किये, दूसरी संस्थायें बनायीं उनके मसलों को हल करने के लिये, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि देयर इज नो सैंकटिटी बिहाइन्ड आल आफ दीज आर्गनाइजेशन्स आफ योर्स (There is no Sanctity behind all of these organisations of yours) उनके पीछे जो सेंक्शन आफ फोर्स होनी चाहिये वह नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत से कानून बनाये हैं और सरकार ने मुल्क के सारे कानूनदाओं को खरीदकर रखा है, उनको रुपया दिया है, लेकिन जो व्यवस्था मुल्क को संभालने के लिये होनी चाहिये थी वह नहीं है। मुझे बड़ा दुःख है कि हमारे कानूनदानों ने सरकारी खजाने से लाखों रुपये खाये हैं लेकिन उनकी बुद्धि के प्रकाश को रश्मियों ने इस मुल्क को संभालने में कोई सहयोग नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि कोई भी एवार्ड या कोई भी फैसला जो हमरी सरकार की तरफ से होता है या उस के प्रयास से होता है उसके पीछे सेंक्शन आफ फोर्स होनी चाहिये। जो पार्टी उस फैसले को नहीं मानती है तो उसको on pain of rigorous imprisonment मनवाया जाना चाहिये। यह कमी सरकार की तरफ से रही है। मैं बनारसी दास जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे भी ध्यान दें क्योंकि वह गरीबों के हमदर्द हैं। मैं समझता हूं वह कोई बहुत बड़े अमीर परिवार में पैदा नहीं हुये। वह गरीबों की तकलीफ को समझते हैं। अगर उनकी जिन्दगी से गरीबों को फायदा नहीं पहुंचा तो मैं समझता हूं कि उनकी जिन्दगी बेकार है। उनसे मुल्क को जो ताकत प्राप्त होगी उससे मुल्क सम्भलेगा। अगर उनकी ताकत मुल्क को सम्भालने म कामयाब नहीं हुई तो मैं समझता हूं उनको मिनिस्ट्री मिलना और पावर मिलना बिलकुल बेकार होगा और वह न मिलने के ही बराबर होगा। उससे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि यहां पर सुशीला जी रोहतगी ने जिक्र किया कि हमारी सरकार ने मकान बनाये और बनाने की कोशिश कर रही है तो उसके लिये मैं भी उन को बधाई देता हूं परन्तु समझ और दिमाग से काम नहीं लिया। आखिर मकान का किराया २५,३० रुपया वे गरीब कैसे दे सकते हैं जिनको ४०, ५० रुपया महीने की आमदनी है? मकान बने गरीबों के लिये और मजदूरों के लिये बने, लेकिन उन में रहते हैं बाबू लोग और बड़ी तनख्वाह वाले लोग। यह विडम्बना है हमारे इन्तजाम की कि हम गरीबों और मजदूरों के लिये इस तरह का इन्तजाम कर रहे हैं। इसके लिये मैं यह समझता हूं कि हमारे इस सदन के भीतर इसमें कोई पार्टीबाजी का मसला नहीं होना चाहिये। मैं जानता हूं और हर व्यक्ति इस देश का जानता है कि देश में, पार्लियामेंट में और हमारे सेन्टर में जितने भी ऊंचे वर्ग के लोग हैं या जितने भी पूंजीपति हैं, उनका हाथ और प्रेशर बहुत भारी है। हमारी इकानामी को डिटरमिन करने में, जो हम लोगों के ऊपर लागू करना चाहते हैं, उसका फैसला करने म, उसका निश्चय करने में अमीरों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अगर आप इस इकानामी से गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना चाहते हैं तो इकानामी के स्ट्रक्चर में जो ताकत अमीरों को दी है उसको अपने पास रखें और गरीबों का खयाल करें तो उनका उत्थान हो सकता है।

श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रदेश में और देश में जब मजदूरों की संख्या अधिक है, श्रमिक शक्ति यहां पर अधिक है तो हमारा यह कर्त्तव्य है कि देश की आर्थिक स्थिति को सामने रखकर देश को समृद्ध बनायें, श्रमिकों के श्रम का उपयोग करें; लेकिन मुझे दुख है कि यह सरकार अपने को समाजवादी तो अवश्य कहती है पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह समाजवादी विचारधारा की तरफ नहीं जा रही है। समाजवादी विचारधारा में नेशनलाइजेशन करने का एक मुख्य उद्देश्य होता है तथा मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारना मुख्य लक्ष्य होता है परन्तु न तो नेशनलाइजेशन करती है और न मजदूरों की दशा सुधारने पर ध्यान देती है। ऐसी स्थिति में अपने को समाजवादी कहना या अपने को समाजवादी विचारधारा की सरकार कहना, अपने को और इस सदन को एक बहुत बड़ा धोखा देना है।

मान्यवर, श्रम इस देश में दो अंगों में बटा हुआ है एक देहाती क्षेत्र में और एक शहरी क्षेत्र में। एक उद्योगों में लगा हुआ है दूसरा भूमि पर लगा हुआ है जिसको भूमि मजदूर कहते है। आज श्रम विभाग का खयाल जितना इंडस्ट्रियल लेबर की तरफ गया है उतना भूमिहीन मजदूरों की ओर नहीं गया है। इसलिये मैं कह सकता हूं कि अपने को समाजवादी कहना अपने को एवं जनता को धोखा देना है। जहां तक मिल मजदूर का प्रश्न है यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के सिलसिले में मजदूरों का उपयोग बहुत ही जरूरी है और जब तक सही उपयोग मजदूर का नहीं होगा इंडस्ट्रीज द्वारा देश की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। मिल-मालिक और मजदूरों में जो संघर्ष अक्सर हुआ करता है, जो हड़तालें हुआ करती हैं, लाखों करोड़ों की क्षति होती है यह देश की क्षति होती है। यह भी देखा गया है कि सरकार इन झगड़ों के निपटाने के संबंध में कोई उचित कदम नहीं उठाती है। इसमें दोनों तरफ से कुछ साहबान भी हस्तक्षेप करते हैं, वह मजदूरों को गलत तरीके से भड़काते हैं। डिपार्टमेंट का जो कंसीलिएशन आफिसर निर्णय के लिये दिया गया है वह और मजदूरों के लीडरान का एक गुट हो जाने के बाद कभी वह मिल मालिक की तरफ कुछ बात करते हैं और कभी मजदूरों की तरफ। तो इस प्रकार से ये ब्रोकर का काम करते हैं और इनका सिवाय दलाली के दूसरा पेशा नहीं है। मैं समझता हूं कि जहांतक मिल के मजदूरों और मालिकों के झगड़े का संबंध है उसके लिए एक ओपेन कोर्ट होना चाहिये। बीच में डिपार्टमेंट को उनके झगड़े को रोकने के लिये अधिकार न दिया जाय, यह मेरा आपसे निवेदन है।

वेल्फेयर सेंटर्स की बात भी कही गयी है, लेकिन में एक अजीब व गरीब बात देखता हूं कि सेकेंड सटरडे की छुट्टियां जब हर एक अधिकारी को मिलती हैं, तो यह एक ऐसा विभाग है कि सेकेंड सैटरडे की छुट्टी यहां के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं मिलती है और न उसके बदले में कोई दूसरा दिन उपयोग करने की अनुमति देते हैं । साधारणतया इनके लिये व्यवस्था हो जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त । माननीय उग्रसेन जी ।

कुछ सदस्य—

श्रीमन्, समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

या तो आप समय बढ़ा दें वरना मुझे उग्रसेन जी के समय में से ही दो एक मिनट देने की कृपा करें । मुझे एक बहुत जरूरी .. ..

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री उग्रसेन से) यदि आप अपने समय में से ५ मिनट दे दें और ५ मिनट आप ले लें तो मैं इनको मौका दे सकता हूं ।

श्री उग्रसेन—

आप मेरे समय में से काट लीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

शुक्रिया, भाई साहब । उपाध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से लेबर मिनिस्टर से कुछ बात कहना चाहता हूं । हम काफी दिनों से जो बीड़ी मजदूरों में काम करते हैं, इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज के दिन लेबर मिनिस्टर, यू० पी० कोई शानदार फैसला उनके मुताल्लिक करेंगे उनकी मजदूरी के बारे में । १९६३ में जब सब से पहले यहां असेम्बली में बीड़ी मजदूरों का सवाल उठा तो उस वक्त से आज तक प्रदेश के मजदूरों ने हड़ताल की और संघर्ष चलाया और हमने मिनिस्टरों के सामने इस बात को रखा कि बीड़ी के मजदूर भी यहां रहते हैं । सब से पहले असेम्बली में मैंने इस बात का जिक्र किया कि ढाई लाख बीड़ी मजदूरों का इसमें प्रश्न है जो बनारस, इलाहाबाद, मुरादाबाद आदि तक फैले हुये हैं । मगर इनके विभाग को उसकी जानकारी तक नहीं थी । उत्तर प्रदेश में ढाई लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में लगे हुये हैं । सन् ५४ में सवा रुपये मजदूरी मिलती थी, आज जब कि १३ छटांक का गेहूं बिक रहा है तब डेढ़ रुपये से कुछ ज्यादा मिल रही है । बीड़ी के मजदूरों ने मांग की कि उनको साढ़े ३ रुपये प्रति हजार के हिसाब से मजदूरी मिले । आंशिक रूप में जरूर उनकी मांग पूरी हुई, मगर शहरों में जो १ रुपये १४ आने तथा देहात में १ रुपये १२ आने दिये जा रहे हैं वे बहुत कम हैं । बनारस में २ रुपये ६ आने देते हैं । कहीं कम हैं कहीं ज्यादा, तो यह नीति मजदूरों का भला करने वाली नहीं है । उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीमारी और गरीबी अगर देखने को मिलेगी तो इन्हीं बीड़ी मजदूरों के अन्दर मिलेगी । मुरादाबाद का नम्बर टी०बी० में कानपुर के बाद दूसरा है । अमरोहा में बीड़ी के सबसे ज्यादा मजदूर हैं और वहां के टी०बी० के बीमारों में सबसे ज्यादा संख्या बीड़ी के मजदूरों की होगी । ढाई साल तक बीड़ी के मजदूरों

[श्री शराफत हुसैन रिजवी]

ने इन्तजार किया, हड़ताल भी की, जेल भी गये। प्रधान मंत्री जब इलाहाबाद में गये तो २० हजार बीड़ी मजदूरों ने यह बात कही कि हमारी मजदूरी बहुत कम है। देहात में मजदूरी कम दी जाती है, इसलिये शहर वाले देहात वालों से बीड़ी बनवा लिया करते हैं। अगर इनके वेजेज बढ़ाये नहीं गये तो यह सारा काम देहात में चला जायेगा। शहर के मजदूरों को नुकसान होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सही मानी में मिनिमम वेज मुकर्रर हो। इसके लिये एक कांफ्रेंस बुलाई जाय जिसमें आपके भी प्रतिनिधि हों, बीड़ी मजदूरों के भी प्रतिनिधि हों और मालिक भी हों। कई हजार तक का मुनाफा यह बीड़ी वाले कमा रहे हैं और इसके बाद भी उनकी साढ़े ३ रुपये की मांग को वे स्वीकार नहीं करते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि साढ़े ३ रुपये की जो उनकी मांग है उसको स्वीकार किया जाय और वह उनको दिलवायी जाये। इसके अलावा जहां एक हजार बीड़ी मजदूर हों वहां उनके लिये एक वेलफेयर सेंटर हो। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री उग्रसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उन सभी ने मेरी ही बातों का समर्थन किया है। हमारे ग्राइस साहब चले गये, उन्होंने भी एक बात बड़ी पते की कही। जयगोपाल साहब ने भी बोनस के बारे में प्रश्न उठाया। मैं तो कहता हूं कि इस सरकार ने जो कमीशन बिठाया, जो उसका निर्णय हुआ, उस निर्णय तक को नहीं माना गया। सरकार कैसे उस सहज न्याय के मातहत यह अधिकार प्राप्त कर सकती है कि वह उसका आधार ही बदल दे। आज लोगों में इसके कारण शंका उत्पन्न हो गयी है। जब यह पता चलेगा कि माननीय बनारसी दास की सरकार न्याय नहीं दे सकती तो क्या होगा, फासिज्म आ जायेगा, उसका विरोध आपको करना चाहिये। यह बात कही गयी कि कुकुरमुत्ते की तरह यूनियनें बढ़ रही हैं। उनको बढ़ना चाहिये। पहले जब आई०एन०टी०यू०सी० बनी तो पहले ८–७ नेताओं ने ही मिल कर उसे बना लिया। बाम्बे में जब यह ऐक्ट लागू हुआ तो मिल कमेटी का चुनाव हुआ उसमें सब हिन्द मजदूर सभा वालों ने कब्जा कर लिया। फिर सरकार ने दिल्ली से और और जगहों से उसमें दखल दिया और झगड़ा खड़ा कर दिया। तो मजदूर आन्दोलन में यह यूनियनबाजी और उसकी शाख न रहे, मजदूर का उसमें विश्वास न रहे, इसको घटाता कौन है जिसके हाथ में ताकत है। आखिर आपने यह श्रम विभाग काहे को रख छोड़ा है? इसलिए कि यह हमारे श्रम यूनियन की शाख को बढ़ाये। आज यूनियन में काम करने के मानी है वकालत करना। एक मजदूर मुझ से मिला। कहने लगा कि हम तो नेता को दो सौ रुपये देते हैं, ठाठ से होटल में आराम करते हैं। मगर जब हमने मजदूरों में काम करना शुरू किया था तो यह माहौल नहीं था। उस समय तो सामूहिक सौदेबाजी की ताकत उसमें थी। लेकिन सरकार ने, इस कांग्रेसी सरकार ने, उसको मार डाला। तो हम तो मानते हैं इस सिद्धांत को कि एक कारखाने में एक यूनियन होनी चाहिये और इसमें सरकार को कोई शुबहा हो तो जैसा माननीय डाक्टर ने कहा वहां सरकार मतदान कराये और मतदान से जो यूनियन आये उसको सरकार माने। मगर उसमें तिकड़मबाजी और साजिश नहीं चलनी चाहिये जो कि मिल मालिकान चलाया करते हैं।

एक बात में और बहुत बड़ी परेशानी है। यह जो श्रम कानून है उसमें मालिक की तरह-तरह की परिभाषायें हैं। जैसे शाप्स ऐंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट में जहां २० आदमी काम करते होंगे वहां वह लागू हो जायगा। लेकिन आप देखें गीता प्रेस में क्या होता है। जो लोग सामान पैक करते हैं, बोरे बनाते हैं, वह सब बोनस वगैरह पाते हैं। मगर गीता प्रेस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के मजदूर तो राधा की छटा छापते हैं, भगवान की तस्वीर छापते हैं। वहां के मालिक गोयन्दका जी हैं, वह बिलकुल धृतराष्ट्र हैं। खाली पत्थर पूजते हैं और जो भगवान को पूजने वाले मजदूर थे उन सब का उन्होंने सफाया कर दिया। वह कहते हैं कि यह तो ठेके के मजदूर हैं। इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट में मालिक की परिभाषा के भाष्य हेतु लोग कोर्ट में गये, वहां उसका भाष्य हुआ कि एम्प्लायर कौन है, मालिक कौन है ? एम्प्लायर इंडस्ट्री है, मालिक उद्योग है। लेकिन उसमें वह कहते हैं कि यह तो ठेके पर काम करते हैं। यह ठेकेदारी की प्रथा बहुत ही बुरी चीज है। बम्बई के मालिक पहले ठेकेदारी की प्रथा पर काम कराया करते थे और उसमें मजदूर का बुरा हाल होता था। आखिर, आज यह सिनेमा जितने हैं उन पर शाप्स ऐक्ट कैसे लागू हो ? वह कहते हैं कि जितने बाजा बजाने वाले हैं, वह तो ठेके पर बाजा बजाते हैं, लाइट देने वाले ठेके पर लाइट दे रहे हैं, इससे उन पर यह नहीं लागू हो पाता। मैं आपसे कहता हूं कि अगर यह मानकर के आप चलें कि कारखाने के मालिक का मतलब है उद्योग, तो इससे बहुत से झगड़े हमारे तय हो जायेंगे।

जहां तक एवार्ड्स की बात है, बहुत से एवार्ड्स हैं, आपके इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने एवार्ड कर दिया है, मजदूर ने उसे मान लिया लेकिन मालिक नहीं मानते। वैसे नहीं मानते जैसे १३ लाख रुपया थापर पर बाकी है चीनी मिलों का। सरकार ने रिकवरी दे दिया। हमारे तो बैल खुलवा ले जाते हैं। हम तहसीलदार के यहां गये और उनसे कहा कि क्यों नहीं थापर के ऊपर इसको लागू करते ? केन कमिश्नर उस पर कहते हैं कि उत्पादन के साधनों को हम नहीं गिरफ्त कर सकते। चीनी बनेगी भले ही किसानों का रुपया बकाया पड़ा रहे। तो बैल भी तो हमारे उत्पादन के साधन हैं, उनको क्यों बांधकर ले जाते हैं ? हमारे लिये तो बहुत से कानून हैं, उनके लिये क्यों कानून नहीं है ? क्योंकि आज इस सरकार में उनके लोग हैं। और यह तो नन्दा जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि एक पूंजीपति ने उनसे कहा कि पार्लिपामेंट में ४५ आदमी हमारे हैं। बीजू पटनायक ने कहा कि ५० लाख रुपया खर्च किया तो मैं वजीरे-आजम उड़ीसा हो गया, अगर ५ करोड़ रुपया खर्च कर देता तो हिन्दुस्तान का वजीरेआजम बन जाता। आखिर आज सारा रुपया कहां गया ? सन् ४७ में बिरला की पूंजी ५० करोड़ की थी, आज वह ५०० करोड़ की है। आप जरा महालनवीस कमेटी की रिपोर्ट उठाकर पढ़ जायं। यह योजनाओं का सारा धन गया कहां। हमसे भी हमारे मतदाता पूछते हैं कि आखिर सीमेंट गयी कहां? वह बेचारे क्या जानते हैं कि दिल्ली में जहां पहले उल्लू बोला करते थे वहां आज गगन-चुम्बी अट्टालिकायें बनती जा रही हैं। अशोका होटल में ढाई ढाई सौ रुपये रोज के कमरे बन गये। तो यह योजनाओं में पैदा किया हुआ धन गया कहां ? उनके पास चला गया।

काम के घंटों के बारे में दुनियां का कोई भी सभ्य देश ऐसा नहीं है जो आठ घंटे से ज्यादा का दिन मानता हो। आई० एल० ओ० का भी यही विचार है। जब रूस अगली योजना में ६ घंटे का दिन बनाने जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप ८ घंटे का दिन क्यों नहीं बनाते ? रोडवेज का ड्राइवर १४ घंटे गाड़ी चलाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि वह स्प्रेड आवर ड्यूटी है। इसी तरह से फिरोजाबाद में चूड़ी के मजदूर १० और १२ घंटे का दिन करते हैं। सरकारी कर्मचारी जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं। वह रात भर काम करते हैं, हम जब पूछते हैं कि ओवरटाइम तुम क्यों नहीं मांगते हो, तो वह कहते हैं कि श्रम कानून हम पर लागू नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि प्रदेश में सख्ती के साथ आठ घंटे का दिन लागू किया जाय। आज देश में मंहगाई, भूख और परेशानी है। प्राइस इंडेक्स ७३० तक चला गया है। महाराष्ट्र कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आप कोई कमेटी बनाइये ताकि इस मंहगाई को कम किया जाय, वरना एक दिन यह सारे हिन्दुस्तान को खा जायगी।

हमने आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यू० पी० सी०, हिन्द मजदूर सभा की मीटिंग बुलाकर एक संग्राम समिति बनाई है और यह तय किया है कि यदि सरकार मंहगाई कम न कर सके तो उस बारे में भारतबन्द का नारा देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि मजदूरों को उनके जीवन निर्वाह

[श्री उग्रसेन]

के लिये मजदूरी मिले। बोनस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिये मजदूरों को बोनस पाने का अधिकार है। रोडवेज में माननीय मंत्री जी ने इनाम दिया है जो कभी १८५७ में दिया जाता था। अन्त में मैं चाहूंगा कि मजदूरों के संबंध में जो सरकारी नीति में गड़बड़ी है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए सदन हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

*श्री बनारसीदास--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के मूल्यवान सुझावों के लिये अनुग्रहीत हूं। जब मैं माननीय उग्रसेन जी का भाषण सुन रहा था, तो ऐसा मालूम होता था कि मानो हारून अल रशीद के खयालात को पढ़ रहे हैं और जब कविता कह रहे थे, तो ऐसा मालूम पड़ता था, मानो कोई रुबाई कह रहे हों। जिस तरह से हिन्दुओं में अन्त्येष्टि क्रिया के समय और विवाह के समय एक ही प्रकार के मंत्र पढ़ने की प्रथा हो गयी है, उसी तरह से माननीय उग्रसेन हर समय एक ही बात दोहराया करते हैं। हर वक्त समाजवाद की बात करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि समाजवाद क्या होता है, कैसे आयेगा ?

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री विश्वनाथप्रसाद—

हिन्दू धर्म में ऐसा कहीं नहीं है कि जो मंत्र स्मशान पर पढ़ा जाये, वही विवाह में पढ़ा जाय।

श्री बनारसीदास—

मैं कह रहा था कि माननीय उग्रसेन और यूसुफ साहब ने शुरुआत की कि हमारी जो श्रम नीति है, वह पूंजीवाद पर आधारित है, वह प्रगतिशील नहीं है और जहां तक माननीय नरसिंह नारायण जी का सवाल है, मैं जानता हूं कि उन्होंने पहले से अपने में थोड़ी बहुत तब्दीली की है। इसलिये यकीनन उन्हें हमारी श्रम नीति में विश्वास था और इसीलिये वह इधर आये भी हैं। १९५४ में देश ने पार्लियामेंट में मिक्स्ड एकोनामी की नीति अपनाई गयी और हमने अपनी श्रमनीति घोषित की, और इसी आधार पर हमने देश की प्रगति की योजना बनाई तथा उसके अनुसार काम किया। मैं जानता हूं कि रूस में १९१७ में जब क्रांति हुई तब से ४७ साल के बाद आज वह अपने को एक सोशलिस्ट स्टेट कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कुछ प्रयत्नों की जरूरत होती है। १९२९ में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, जिसके लिये काफी कष्टों से देश को गुजरना पड़ा तब जाकर ४७ में स्वराज्य मिला। समाजवाद भाषणों से नहीं आयेगा, विवेचना से नहीं आयेगा, उसके लिये हमको निरन्तर प्रयत्न करते रहना है। मैं जानता हूं कि सूबे की औसत आय २४० रुपया है। हमारा अन्दाज है कि तीसरी योजना के अन्त तक वह २५५ रुपया होगी। माननीय चन्द्रसिंह रावत एडवोकेट हैं और मैं नहीं हूं इसलिये मैं उनका उत्तर नहीं दे सकता। जैसा लास्की ने लिखा है कि हमारा जीवन जैसे जाता है हम नहीं जानते कि कौन सी शक्तियां हमको प्रभावित करती हैं। कभी-कभी यह होता है कि हमारे इमोशन्स चलते हैं जो हमारी शक्ति का ह्रास करते हैं। हम नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी मंशा क्या है। शुगर इण्डस्ट्री का जिक्र किया गया। १९४६ में जब शुगर-वेज बोर्ड ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजदूरी तय की तो उसने ३६ रुपया तय की आज वह ८५ रुपये हो गई। यह क्या इस बात को दिखाता है कि हमारी नीति पूंजीवादी है ? इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मजदूरों की मजदूरी निरन्तर बढ़ी है। हमने खेतिहर मजदूरों की भी न्यूनतम मजदूरी पश्चिमी जिलों में ३४ रुपये और पूर्वी जिलों में साढे ३२ रुपये तय की है। तो क्या किसी व्यक्ति का यह साहस है कि चूंकि न्यूनतम मजदूरी है इसलिये खेती का राष्ट्रीयकरण करो। मैंने किसी के भाषण में यह नहीं सुना कि खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाय क्योंकि वह जानते हैं कि इसका असर उन किसान मालिकों पर पड़ेगा, जिनके वोट पर चुनकर यहां सब आये हैं। सीतापुर में भी हमने साढ़े ३२ रुपया मजदूरी तय की है और माननीय डाक्टर अवधेश सिन्हा समाजवादी व्यवस्था के अन्दर यकीन रखते हैं। मैं जान सकता हूं कि वह अपने मजदूरों को क्या मजदूरी देते हैं ? क्या शुगर इन्डस्ट्री के बराबर वेतन देते हैं ? क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सफाई करने वाले मजदूर के बराबर वेतन देते हैं ?

मैं मानता हूं कि वेतन बढ़ना चाहिये, लेकिन जैसा माननीय शराफत हुसैन ने कहा कि बीड़ी उद्योग के मजदूरों को ३ रुपया प्रति हजार मजदूरी दिलाई जाय। मैं तो चार रुपये की घोषणा करने को तैयार हूं, लेकिन वह सोचें कि क्या केवल कह देने मात्र से ही उन मजदूरों का फायदा होगा ? क्या सारा उद्योग मध्य प्रदेश में नहीं चला जायगा ? अगर मध्य प्रदेश ३ रुपया मिनिमम वेज तय करता है, तो मैं कल ही ३ रुपये का एलान कर दूंगा। मध्य प्रदेश से पत्ती हमारे यहां आती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वह बहुत कम पैदा होती है। अगर हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को काम मिले तो हमें दूसरे प्रदेशों के समकक्ष खड़ा होना पड़ेगा। मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में दो रेट्स हैं और हम से कम है। सागर में १ रुपया ८ आना और १ रुपया ६ आना है और हमारे यहां १-१२ आना और १-१४ आना है। अगर इसको और बढ़ा दिया जायगा तो हमारे यहां का उद्योग समाप्त हो जायगा। मुझे खुशी होगी कि माननीय शराफत हुसैन जी उन मजदूरों को २ रुपया, ढाई पया दिला सकें। जहां तक बनारस का सवाल है वहां पर पैकिंग नहीं होती। वहां की बीड़ी वहीं बिक जाती है। इसलिये रेट बढ़ा देने से मजदूरों का लाभ होने वाला नहीं है। खाली भाषणों के जरिये से किसी का पेट नहीं भरा जा सकता। कहा गया कि महालानाविस की रिपोर्ट को पढ़िये। उसमें साफ दिया हुआ है कि समाजवाद क्रियेट होता है प्लैन्टी के ऊपर, स्केअरसिटी में नहीं। उसके लिये हमें उत्पादन को बढ़ाना होगा। हमने अपने यहां पर मिक्स्ड एकोनामी को स्वीकार किया है। तो चाहे पब्लिक सेक्टर बढ़े या प्राइवेट सेक्टर में टाटा या बिड़ला बढ़ें, लेकिन देश में उद्योग अवश्य बढ़ेंगे। माननीय अवधेश कुमार जी ने बताया कि गांवों में मजदूरों को कितनी कम मजदूरी मिलती है। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आयी थी जिसमें देश के ५८ जिलों में से २२ जिले उत्तर प्रदेश में पिछड़े हुये हैं जिनकी आमदनी १५० रुपया प्रति व्यक्ति है। यह मैं मानता हूं कि यह हमारी बदकिस्मती है जो शहरों में मजदूर भाग कर आते हैं। टैक्स्टाइल में मजदूरों को १३० रुपया मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ और ज्यादा मिलता है। दूसरे उद्योगों में भी इतना ही कुछ मिलता है, लेकिन उन बदकिस्मतों के मुकाबले में तो वे अच्छे ही हैं। इसके लिये हमें एकोनामिक डेवलपमेंट करना होगा।

समाजवाद को कहीं से इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता और न मैन्युफेक्चर ही किया जा सकता है और न गरीबी को किसी आर्डिनेंस के जरिये से ७ समुद्र पार ही भेजा जा सकता है। गरीबी तो केवल उत्पादन के उत्तरोत्तर बढ़ाने से दूर हो सकती है। समाजवाद का इतिहास यह बताता है कि समाजवाद अगर आगे बढ़ा है तो केपीटल इंडस्ट्रीज को बढ़ा कर और लोगों के बलिदान से आगे बढ़ा है। हमने अपने यहां जनतांत्रिक तरीका अपनाया है और उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। आजकल तो फैशन हो गया है पूंजीपति को कोसने का। माननीय

[श्री बनारसीदास]

उग्रसेन जी मेरे बड़े मित्र हैं और अलग से जब वे मुझ से बातें करते हैं तो बड़ी कृपा करते हैं। लेकिन इस मुल्क के अन्दर यह मैं जानता हूं कि कोई ऐसा नहीं है जो चुनाव लड़ने के लिये पूंजीपति के पास न जाता हो ।

श्री उग्रसेन---

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने पार्लियामेंट में पढ़ दिया कि कांग्रेस को १५ लाख रुपया दिया गया।

(व्यवधान)

श्री बनारसीदास---

बहरहाल उग्रसेन जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि आज एक ईमानदार वर्कर के लिये चुनाव लड़ना कठिन है । समाजवादी हो या कोई हो, एक चुनाव के अन्दर आज हजारों रुपये खर्च होते हैं । इसके माने यह है कि अगर कोई आदमी असेम्बली के चुनाव में ३० हजार रुपया खर्च करता है तो आप समझ सकते हैं कि वह किसके पैसे से चुन कर आता है ? बहरहाल, इस बहस के अन्दर मैं नहीं जाना चाहता लेकिन यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जो विशेषण दे दिया गया है कि हमारी श्रमनीति पूंजीवादी है, यह सही नहीं है । मैं अपने थोड़े से अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जब कभी कहीं आरबिट्रेशन का सवाल उठा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे माननीय संत सिंह ने हमारे आरबिट्रेटर या लेबर कमिश्नर का नाम न लिया हो । उन्होंने मुझ पर भी यकीन किया । यह एक सर्टिफिकेट है जो हमारे लेबर विभाग को और हमारी श्रम नीति को मिला है । मुझे कोई ऐसा अवसर याद नहीं है जब कि विक्टोरिया मिल का मामला हुआ या और कोई मामला हुआ तो वे मुझे पंच मानने के लिये तैयार न हुए हों।

एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर जूट मिल का मामला था, जो चतुर वकील होता है वह मजदूरों के हित की बात कहता तो है लेकिन मौके पर उससे पीछे हट जाता है । मैंने कोशिश की कि मजदूरों को इसमें कुछ मिल जाय लेकिन कहा यह गया कि कि हम आपस में पूछ कर इसे बतलायेंगे लेकिन बाद में उसका नतीजा यह हुआ कि जो मजदूरों को मिलता वह भी नहीं मिला । पहले मजदूरों ने इन्कार किया और बाद में मिल मालिकों ने भी इन्कार कर दिया । तो आज जरूरत इस बात की है कि हम थोड़ा सा मजदूरों के हित में काम करें । ऐसा न हो कि हम अपने को दिखायें तो यह कि हम मजदूरों के सब से बड़े शुभ-चिन्तक हैं और काम उसके विरुद्ध करें ।

माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि निम्बकर कमेटी ने बड़ी क्रान्तिकारी रिपोर्ट दी । निम्बकर कमेटी ने सन् ४८ की स्थिति के अनुसार ३ आना फ्लैट रेट के हिसाब से डी० ए० रखने के लिये सिफारिश की । ५३४ सूचकांक के बाद हमने माननीय यूसुफ जी और मेहरोत्रा जी तथा और सब के सुझाव से यह तय किया कि ३ आने के हिसाब से कर दें । ५३४ के बाद कोई प्राइस इन्डेक्स बढ़ा नहीं और ७०० तक बढ़ने की बात निम्बकर कमेटी ने सोची भी नहीं थी लेकिन हमने ७०० की बात भी मान ली । यह इंटरिम रिपोर्ट थी लेकिन इसके लिये कोई कमेटी की बात हम सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि यह कंकरेंट सब्जेक्ट है । तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत बगैर हम कोई कमेटी बना ही नहीं सकते थे । वेज स्ट्रक्चर तथा बोनस का सारा मामला सरकार के विचाराधीन है। एक तरफ तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा जाता है कि यू० पी० में उसका रेट बहुत तेज है और दूसरी तरफ उसमें लगे मजदूरों के वेज के बढ़ाने की बात भी की जाती है। जो भी यहां काम किया जाय वह सर्वांगीण दृष्टि से प्रदेश के हित में किया जाय । और सूबों के मुकाबले में हमारे यहां जो रेट तेज हैं उसके लिये आवश्यक है कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाय ताकि हम

प्रवेश को थोड़ा और आगे ले जा सकें। हमने श्रमिक के हितों का कोई हनन तो किया नहीं है। लेबर इंडस्ट्रीज की जो कमेटी बनी है उसमें हमने मिश्रा को रखा है, निगम को रखा है और एक आई० एन० टी० यू० सी० के आदमी को रखा है। मिश्रा तो आपकी पार्टी के ही आदमी हैं, निगम कम्युनिस्ट है और एक आई० एन० टी० यू० सी० के हैं। हमने तो उसके सिद्धान्त को माना है। शिकायत यह है कि आई० एन० टी० यू० सी० के साथ पक्षपात करते हैं। हमने उस में मिश्रा को रखा, उनके प्रतिनिधि को रखा, एक कम्युनिस्ट को रखा और वह पक्षपात की बात करते हैं और कहते है कि जेबी कमेटी बनाते हैं जो वह चाहते हैं उससे कराते हैं। आप से हम सलाह लेना चाहते है और वह रिपोर्ट आगे आयेगी। माननीया सुशीला जी कहती हैं कि इन्टेरिम रिलीफ दें। अब अप्रैल आरम्भ होने वाला है, रिपोर्ट आयेगी तो वह कार्यान्वित होगी।

माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि उस आई० एल० ओ० फार्मूले पर अमल नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि उस पर कभी भी अमल नहीं हुआ। उसके बाद तो वेज बोर्ड मुकर्रर हुआ और उस में आप के दल के प्रतिनिधि मौजूद थे और सर्वसम्मति से रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक बोनस दिया गया। अब काशीनाथ बाबा की वजह से हमने बोनस दिया, कैसे ही सही हमने दिया। आपकी ४ फैक्टरीज का बोनस हमने केलकुलेट किया। अगर हम उनको वह वेज बोर्ड के फार्मूले से दिलाते तो ३८ लाख ७५ हजार ही होता था लेकिन हम ने उनको ४४ लाख रुपया दिलाया। जो बोनस का फार्मूला दिया गया उसमें मिनिमम ४ प्रतिशत है। इस फार्मूले से यह ६९ लाख का बोनस मिला है वह उसके मुकाबले में २८ लाख अधिक मजदूरों को मिला है। ४ प्रतिशत अगर मिनिमम रखते तो ज्यादा से ज्यादा ४ फेक्टरीज दौराला आदि की है जहां बोनस नहीं दिया गया है। लेकिन वह ५९ लाख से ज्यादा नहीं हो सकता था लेकिन मजदूरों के हित को देख कर ६९ लाख की रकम उन को दिलाई गई।

कहा गया कि प्राइस इन्डेक्स बड़ा खराब है। उसके लिये फेमिली इन्क्वायरी कमेटी बैठी उस ने जरूरतों को देख कर तय किया। उसमें हमारा प्वाइंट अलग है, मजदूरों के जो मीनू होते हैं अनाज और दूसरी चीजों के, शिमले के इन्डेक्स के मुताबिक हमारा और उन का अन्तर दस प्रतिशत का है। जब तक फिर से परिवार इन्क्वायरी कमेटी न बने तब तक हम प्राइस इन्डेक्स कैसे बढ़ा सकते हैं? महाराष्ट्र के फार्मूले और दूसरी जगह के फार्मूले से कानपुर का फार्मूला फिर भी लेबर के हित में अधिक है। यहां तक कि आज मिल मालिक हमें मजबूर करते हैं और कहते हैं कि आप अपना फार्मूला बदलें और कहते है कि शिमले का और दूसरी जगह का आप मानें लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि वह मजदूरों के हित में नहीं है।

माननीय यूसुफ साहब ने बड़ी शिकायत की कि सम्पूर्णानन्द एवार्ड के मुताबिक तमाम ग्रेच्युटी केसेज पड़े हुए हैं। ४,६२४ केसेज में से कुल ३२८ केस ऐसे ह और १४३ हैं जो ३ मास के हैं और कुल २९,७२,२७७ रुपया अदा हो चुका है। यह सही है कि जे० के० काटन मिल के कुछ केसेज हैं। म्योर मिल के केसेज की तादाद सब से ज्यादा है जो २३३ है। फिर भी हमारा इस दिशा में प्रयत्न जारी है, उसमें कोई कमी नहीं है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

सुपरवाइजरी कमेटी के फैसले को नहीं माना गया, लेबर कमिश्नर के फैसले को नहीं माना गया, यह क्यों?

श्री बनारसीदास--

आप ने फिगर दिये कि ३२८ केसेज हैं लेकिन अगर हम इस दिशा में प्रयत्नशील न होते तो हजारों केसेज में से ३२९ ही कैसेज़ रह जाते। हम कार्यवाही जो हो सकती थी वह पूरे

[श्री बनारसीदास]

तरीके से कर रहे हैं। यह कहा गया कि इन्टरवेल में काम लिया जाता है। सिवा आटोमेटिक मशीनरी के कहीं पर इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। न्यू विक्टोरिया मिल का केस आया, मुकदमा चलाया गया और चालान कराया गया। न्यू विक्टोरिया मिल का फैसला हमने किया, मजदूरों को नहीं हटने दिया, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होने दिया, सारे मामले आर्बिट्रेशन के सुपुर्द किये। हालांकि वे जानते हैं कि मिलमालिक को यह अधिकार है कि वह किसी पर चार्ज-शीट करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

जो केसेज आर्बिट्रेशन में दिये है वे किस को दिये हैं ?

श्री बनारसीदास—

आर्बिट्रेशन में जो भी उनके वेतन आदि के सम्बन्ध में है जैसे मिड डे में काम करने का सवाल है या जिन मजदूरों के खिलाफ चार्ज शीट लगायी जाती है वे भी आर्बिट्रेशन में जाते है। ये खुद भी ज नते है कि विक्टोरिया मिल्स में कितने मजदूर काम करते है। ऐसी स्थिति थी कि फैक्ट्री बन्द होने वाली थी। हमारे माननीय यूसुफ साहब चिन्तित थे कि वह फैक्टरी चले। हम भी यह चाहते है कि ये फैक्ट्रियां चलें। अगर केवल हम पूंजीपति का नारा लगावें तो इससे तो काम होने वाला नहीं है। पूंजीपति के मायने क्या होते है। मैंने एक किताब पढ़ी थी उसमें था कि कैपिटल माइन्डेडनेस ही होते है। आज हम राष्ट्रीयकरण की बात कह रहे है। लैण्ड का नेशनलाइजेशन हो कोई विरोधी दल के अन्दर नहीं कहता है। वे साहस नहीं करते है ऐसा कहने का। पोलिटिकल एक्सपीडिएन्सी डिमान्ड नहीं करती।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, गिला यह है कि आपने जमीन छीन ली, कारखाने नहीं छीने।

श्री बनारसीदास—

मैंने अर्ज किया, पहले कारखाने खड़े होने दीजिये।

श्री उग्रसेन—

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण तो करें।

श्री बनारसीदास—

दो चीजें परस्पर विरोधी है। अगर हम फैक्टरियां लगावें, चुर्क की फैक्ट्री लगावें तो कहा जाता है कि वहां पब्लिक सेक्टर में वह ठीक बर्ताव नहीं करती। अभी आपने ट्रान्सपोर्ट की शिकायत की। दूसरी तरफ तो राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। राष्ट्रीयकरण हमारे लिये कोई मूर्ति पूजा नहीं है। हम तो चाहते है कि फैक्ट्रियां खड़ी हों और जब माननीय उग्रसेन जी यहां पर आ जायें तो वे नेशनलाइज करें। उनके लिये काम आसान हो जायगा। तो श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय उग्रसेन जी ने, जो बड़े चतुर है, मकानों का जिक्र कर दिया कि 'थर्ड फाइव ईयर प्लान में ९६ मकान बने'। ७,५०० से ज्यादा मकान बने हैं। ४,००० से ज्यादा एलाट हुये हैं। इमरजेन्सी की वजह से प्रगति कम रही है। पर बराबर योजना चल रही है। कमी है, इस बात से मैं इत्तिफाक करता हूं। इनका किराया १९ रु० तक जरूर है। ये मकान सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हैं। हमने स्वयं भी इस प्रश्न पर आवाज उठायी है। अब २७ और २८ को लेबर मिनिस्टरों की कान्फ्रेंस होने वाली है। ये मकान जो है उनको एक निश्चित किराये पर दिया जाय और वह १० प्रतिशत से अधिक न हो। लेकिन यह पूंजी सेन्टर की है। हिन्दुस्थान भर में इस नीति पर अमल किया जाय। इसी तरह से आप जानते है कि शुगर वर्कर्स के लिये १,३०० से ज्यादा मकान बने है दूसरे फंड से। दो जगह और फैक्ट्रीज को कर्जा

दिया गया है और वहां पर भी मकान सस्ते किराये पर मिलेंगे। तो यह बात नहीं है कि में प्रयत्नशील नहीं हूं। यह रुपया सेंटर का दिया हुआ है। बिसौली मिल के बारे में शिकायत की गयी। वह विचाराधीन है। किसी डिस्ट्रिक्ट जज ने उसे खारिज कर दिया और अब वह हाईकोर्ट के अन्दर है। बाहर के लोगों ने दरख्वास्त दे दी।

श्री उपाध्यक्ष—

कितना समय और लेंगे ?

श्री बनारसीदास—

कुछ समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

१० मिनट का समय बढ़ाया जाता है।

श्री बनारसीदास—

उग्रसेन जी ने शिकायत की कि हम इंटक (I. N. T. U. C.) के साथ पक्षपात करते हैं। वह स्वयं मानते हैं कि प्रतिनिधि संस्था को ही मान्यता दी जाती है। कानपुर के अन्दर ९ मिलों में से ८ मिलों के अन्दर इंटक का बहुमत है। अगर हमने उसे रिकग्नाइज किया तो कौन-सी ज्यादती की ? कुछ दिन के लिये कम्युनिस्ट पार्टी ने तथा माननीय उग्रसेन जी ने मुताह किया था लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं चल सका और रिट फाइल हो गया है। इल्जाम हम पर लगाया जाता है कि हम लड़ाते हैं।

बलरामपुर के लेंबर सेंटर का जिक्र किया गया तो सेंटर फिर उसी स्थान पर भेज दिया गया है क्योंकि १२५ रूपये से ज्यादा हम किराया नहीं दे सकते थे।

श्री सुखदेवप्रसाद —

जहां वह सेंटर गया है वहां ज्यादा किराये पर गया है और हर चीज की सुविधा वहां नहीं है। पानी लगता है और मिल का ही कर्मचारी है जिसके घर वह सेंटर गया है।

श्री बनारसीदास—

उसे देखूंगा। माननीय यूसुफ साहब ने एलाटमेंट के लिये शिकायत की थी। तो मैं सहर्ष उनके सुझाव को स्वीकार करता हूं। एलाटमेंट के बारे में सलाहकार समिति बने और कोई दोष हो तो उसे दूर किया जाय।

एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के बारे में शिकायत की गयी। हो सकता है कि किसी प्रकार की शिकायत उस सम्बन्ध में हो लेकिन आप देखेंगे कि सन् ६४ में ७,९४,११२ आदमी बेरोजगार थे। १ लाख २४ हजार रजिस्टर हुये और उसमें से १ लाख के ऊपर आदमियों को काम दिलाया गया। बेरोजगारी तो है। लेकिन अगर कानून बनाने से बेरोजगारी दूर हो सकती तो केबिनेट एक दिन के अन्दर चार कानून बना सकती थी। बेरोजगारी है लेकिन अगर पापुलेशन हमारे सूबे की बढ़ेगी, १ साल के अन्दर करीब १७ लाख आबादी बढ़ती है तो वर्किंग फोर्स बढ़ता है, उसके साथ फिर बेरोजगारी बढ़ेगी ही।

(इस समय ५ बजे अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुए।)

माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि ६ घंटे का दिन हो, ८ घंटे का दिन हो लेकिन आज हमारे अन्दर यह कहने का साहस नहीं है कि हमारे अन्दर काम करने की क्षमता भी बढ़नी चाहिये, प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिये। मैं भी मानता हूं कि किसी मजदूर को, किसी क्लर्क को, किसी भी

[श्री बनारसीदास]

आफिसर को सात घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिये अगर कोई पूरे तौर से काम करे। एक तरफ तो कहा जाता है कि हमारा स्तर ऊंचा हो, गरीबी से हम समृद्धिशाली इकोनामी की तरफ आयें और दूसरी तरफ छुट्टी की मांग करना, आराम की मांग करना, मैं समझता हूं कि यह इस मुल्क के हित में नहीं है। एक तरफ तो कहा जाय कि हमारी नेशनल इनकम कम है, हमारी एवरेज इनकम कम है और दूसरी तरफ कहा जाय कि आराम चाहिये, छुट्टियां चाहिये, यह हमारे देश के हित में नहीं है। मैं तो कहता हूं कि एक प्रोडक्शन बोनस होना चाहिये।

श्रीमन्, मेरा खुद का तजुर्बा है और मैं समझता हूं कि वर्क का एक इंडेक्स होना चाहिये, काम का कोई पैमाना होना चाहिये। अगर कोई आदमी काम कम करता है तो क्या वजह है कि वह ज्यादा देर तक काम न करे। हमारी आदत बन गई है कि हम अपना समय नष्ट करना चाहते हैं तो श्रीमन्, यह दलगत राजनीति से ऊपर का प्रश्न है। हमें इस चीज पर बल देना चाहिये कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति के काम करने का औसत बढ़े। जब तक हम इस बात पर बल नहीं देते हैं उस समय तक हमारी गरीबी दूर नहीं होगी और न हमारी बेरोजगारी दूर होगी। यह बजट कोई जादू की पुड़िया नहीं है। एक साहब ने चतुर वकील की तरह से यह कहा कि हमारे चपरासियों को साढ़े सत्ताइस रुपये मिलते हैं और खेतिहर मजदूर को ३१ रुपये मिलते हैं। लेकिन हमारे यहां के चपरासियों को इसके अलावा मंहगाई भी मिलती है। कोई आदमी ७० रुपये से कम नहीं पाता है। हमें इससे ज्यादा प्रसन्नता की और कोई बात नहीं होगी अगर हमारे मुख्य मंत्री यह कर सकें कि कोई व्यक्ति १०० रुपये से कम नहीं पायेगा। लेकिन यह रुपया कहां से आयेगा?

श्रीमन्, रेशनलाइजेशन का जिक्र करते हुये यह कहा गया कि मजदूरों का रिट्रेंचमेंट हुआ। शुगर में एक भी आदमी का रिट्रेंचमेंट नहीं हुआ और न टैक्सटाइल में ही हुआ।

श्री उग्रसेन—

आप यह कहते हैं और हमारी रिपोर्ट यह है कि रिट्रेंचमेंट हुआ है। इसलिये इसके लिये एक कमेटी बना दी जाय और वह यह देखे कि हमारी बात सही है या उनकी बात सही है। हमको तो लेबर कमिश्नर से मालूम नहीं होता है बल्कि हम स्वयं वहां जाकर मालूम करते हैं। आपकी यह सूचना है कि कोई मजदूर नहीं निकाला गया है।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, यह कहा गया है कि इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट में यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि ६ महीने के बाद मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। इसके माने यह है कि अगर कोई प्रतिबन्ध न लगायें तो मुकदमा बढ़ाते चले जायं। लेकिन इसमें भी कंसिलियेशन आफिसर अपवाद कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने है और हम अपने सूबे की जरूरत के लिहाज से देखेंगे। अगर कोई बात रह गयी हो तो हम शीघ्रातिशीघ्र इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट को सेन्ट्रल ऐक्ट के बाद में लायेंगे, जिससे कि हमारे यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

श्री अधिष्ठाता—

समय बहुत कम है जल्दी करें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

मेरी परेशानी यह है कि म्योर और काटन मिलवाले, न मेरे कहने से, न आपके कहने से, न लेबर कमिश्नर और न किसी कमेटी के कहने से, उनके फैसले के अनुसार, काम करते हैं।

वह तो केवल यह कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिये एरियर, बोनस, ओवरटाईम, ग्रेचुइटी आदि का पैसा हम मजदूरों को नहीं देंगे। तो वहां पर आपको क्या दिक्कत है, आप वहां पर अपना आर्बिट्रेटर क्यों नहीं बैठाते हैं ?

श्री बनारसीदास—

इस सम्बन्ध में जैसे आप प्राविडेंट फण्ड के बारे में देखें तो डेढ़ महीने से ज्यादा का किसी का बाकी नहीं है, ग्रेचुइटी का पैसा दिलाने के लिये हम हर प्रयत्न करेंगे। लेकिन अगर यूसुफ साहब कहेंगे कि मजदूर के हित वगैरह में रियायत कर दी जाये तो इसमें हमारी मजबूरी होगी। तो श्रीमन्, हमारी जो श्रमनीति है, जैसा कि मैंने अर्ज किया हमारे पंच निर्णयों को लेबर कोर्ट्स के अन्दर जितना यकीन मजदूरों का है, उतना मिल मालिकों का नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि हमारी नीति प्रो-लेबर है, हमारी नीति लेबर्स की मदद करने की है। इन शब्दों के साथ मैंने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय उग्रसेन जी अपना कटमोशन वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सरकार की पूंजीपरस्त श्रम नीति की आलोचना करना तथा सूती वस्त्र उद्योग में डा० सम्पूर्णानन्द एवार्ड लागू कर मजदूर हित विरोधी कार्य-कलाप की चर्चा करना, चीनी उद्योग एवं राजकीय कर्मचारियों के लिये बोनस कमीशन के निर्णय पर चर्चा करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजन के अन्तर्गत २,८४,२४,८०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२३ मार्च, १९६५ ई०

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०० पर]

मांगों की सूची

१—यूनियन के कर्मठ कार्यकर्ता, श्री वहाजुद्दीन, को पुनः काम पर लिया जाय।

२—यहां के कर्मचारियों को महंगाई का भत्ता नगर के वस्त्र उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की तरह वैज्ञानिक प्रणाली का आधार पर मान कर दिया जाय तथा जब तक ४० प्रतिशत की अन्तरिम सहायता अविलम्ब दिया जाय।

३—रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप के एकमात्र प्रतिनिधि यूनियन सेन्ट्रल वर्कशाप कर्मचारी संघ को उद्योग अनुशासन संहिता के अनुसार अविलम्ब मान्यता प्रदान किया जाये।

४—कर्मचारियों के रहने के लिये उद्योग की ओर से कालोनी बनाई जाय तथा अन्तरिम समय में आवास की सुविधा नगर के औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में दिलाई जाय अथवा १० प्रतिशत गृह भत्ता के रूप में कर्मचारियों को दिया जाय।

५—उत्तर प्रदेश सरकार के मिलकियत में चलनेवाला चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में निर्धारित न्यूनतम वेतन का लाभ यहां के सभी कर्मचारियों को दिया जाय।

६—दिनांक १-४-१९६१ से टेम्प्रेरी रेगुलर में परिवर्तित किये गये कर्मचारियों की पिछली सेवाओं को मुआवजा अविलम्ब दिया जाय तथा प्रान्तीय सरकार के दूसरे कर्मचारियों की भांति अन्य सुविधायें भी दिलाई जायं।

७—धार्मिक त्योहारों की छुट्टियां जातीयता के आधार पर न देकर सार्वजनिक रूप से दी जायें।

८—रोडवेज रीजन कानपुर में काम करने वाले वर्क चार्ज्ड के सभी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता, वार्षिक सवैतनिक अवकाश, धार्मिक त्योहारों की छुट्टियां दी जायं।

९—केन्द्रीय सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को यातायात की सुविधा दी है तथापि प्रान्तीय सरकार ने बिजली कर्मचारियों को बिजली की सुविधा दे कर परम्परा को निबाहा है, उसी भांति सेन्ट्रल वर्कशाप के समस्त कर्मचारियों को यातायात की सुविधा दी जाये।

१०—सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान अविलम्ब खुलवाने का प्रबन्ध किया जाय।

११—जलपान गृह, साइकिल स्टैंड का समुचित प्रबन्ध कराया जाय।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२१ पर)

सूची

तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर

१—भन्सल बुजुर्ग
२—गोपालपुर
३—कुनेल
४—राजगढ़
५—सहगौरा
६—टीकर
७—बेलोन खुर्द
८—भवजया
९—देव
१०—धकधा बाजार
११—धजूरी
१२—कुवांरी
१३—लालपुर
१४—बेडौली
१५—बगहां
१६—बरवन
१७—गाजपुर
१८—हरीहरपुर
१९—हाता बुजुर्ग

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२२ पर)

सूची

ग्राम अथवा कस्बे का नाम	तहसील का नाम	ग्राम अथवा कस्बे का नाम	तहसील का नाम
१—चंदौली	चंदौली	१४—रामगढ़	चंदौली
२—सैयदराजा	,,	१५—नादी	,,
३—सकलडिहा	,,	१६—निधौरा	..
४—बबूरी	,,	१७—धनापुर	,,
५—अलीनगर	,,	१८—टांडा	,,
६—नियामताबाद	,,	१९—शाहिदगांव	,,
७—डिगवट	,,	२०—हिंगोतर	,,
८—सिकन्दरपुर	,,	२१—धरौरा	,,
९—निगुरा	,,	२२—कल्यानपुर	,,
१०—कांता	,,	२३—नौबतपुर	,,
११—डिधौट	,,	२४—चकिया	चकिया
१२—प्रभूपुर	,,	२५—इलिया	,,
१३—कमलपुर	,,	२६—खरौजां	,,

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२६ पर)

विधान सभा क्षेत्र सयाना, जिला बुलन्दशहर में निम्नलिखित नालों के निर्माण की योजना विचाराधीन है :—

१—भगवन्तपुर नाला
२—अमरपुर नाला
.. इन का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हुआ है। विस्तृत सर्वेक्षण होने पर यदि योजना प्राविधिक दृष्टिकोण से उपयुक्त पाई गई तो धन उपलब्ध होने पर ली जायगी।

३—नीम नदी की रिमार्डलिंग — इस योजना का प्राविधान tentative चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में कर लिया गया है। राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्वीकृति मिल जाने तथा धन उपलब्ध होने पर यह योजना कार्यान्वित हो सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जिला गाजीपुर में निम्नलिखित नालों के निर्माण की योजना विचाराधीन है :—

१—खालिसपुर नाला
२—नसरूल्लापुर नाला
३—खरारी ड्रेन की रिमोर्डलिंग
.. इनका निर्माण कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पटेल आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रारंभ किया जायगा।

उपरोक्त ३ नालों के अतिरिक्त एक चकिया ड्रेन नामक नाले की रिमार्डलिंग का कार्य सैदपुर तहसील में चालू है और आशा है कि यह कार्य मार्च, १९६५ के अन्त तक समाप्त हो जायगा।

प्रश्न संख्या ३८ में उल्लिखित सूची

निम्नलिखित स्थानों पर ११ नलकूप १९६५ तक बन चुके हैं:—

१—सोनहरा
२—सिकरी
३—बारीसाल सुलतानपुर
४—छपरी
५—कठघरा
६—देवा
७—बरहट
८—रामपुरजीवन
९—मोहनपुर
१०—सौरी
११—छपौली सुलतान सिंह

इनके अतिरिक्त आशा है कि एक नलकूप भुइकुढा मार्च, १९६५ के अंत तक बना दिया जायगा।

उपरोक्त नलकूपों के अलावा निम्नलिखित १६ स्थानों पर भी नलकूप लगाने की स्वीकृति दी जा चुकी है :—

१—दाढ़ी बाढ़ी
२—तोहजरा
३—पहाड़पुर हलधर
४—पहाड़पुर
५—खजुरा (धुर्वाजन)
६—बासुचक
७—दुबेंथा
८—देवकली
९—भिखारपुर
१०—इन्दरपुरछिरी
११—बरईपारा
१२—पारा
१३—मुझई
१४—उपधी
१५—खुजरहट
१६—कैथोलिया

नत्थी 'ङ'

तालिक १

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२७ पर)

	नाम ग्राम	रकबा खरीफ		रकबा रबी		विवरण नुकसान
		बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	
१	चक अहाता ..	०		१९	१४	खरीफ की फसल को रुपये
२	भडरांव ..	१५	१४	११२	७	में चार व छ आने का
३	अमेना ..	०	०	११	०	नुकसान हुआ । रबी
४	कोरवां ..	०	७	९७	९	की फसल में बीज का
५	जोनिहा ..	०	०	१४	१२	नुकसान हुआ । दोबारा
६	विलौना ..	०	०	४	६	खेतों को जोतकर नया बीज
७	जाफराबाद ..	०	०	१	१७	डालना पड़ा ।
		१६	१	२६१	५	

तालिका २

सन् १९६४ में फतेहपुर ब्रांच में खांदी होने का विवरण

	दिनांक	स्थान			पटरी	कारण
		मील	फ०	फीट		
१	१९ मई, १९६४ ..	३२	२	३३०	बांई	चूहों के सूराख करने से खांदी हुई ।
२	१८ जुलाई, १९६४	७१	७	६५०	दांई	चूहों व लोमड़ी द्वारा सूराख करने से खांदी हो गई ।
३	११ नवम्बर, १९६४	४४	७	०	बाईं	चलती नहर में काश्तकारों द्वारा नाजायज तरीके से कुलावा लगाने के कारण खांदी हुई ।
४	१९ दिसम्बर, १९६४	९२	४	०	बाईं	चूहों के सूराख करने के कारण खांदी हुई ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृठ ७२७ पर)

श्री राम किशोर त्रिपाठी, एम० एल० ए०, दारुलशफा, लखनऊ द्वारा मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेशीय सरकार, लखनऊ को लिखे गये पत्र दिनांक ३०-१०-१९६४ की प्रतिलिपि

विषय--गोमती नदी पर सुबेहा व नैपुरा स्थान पर एक नहर पम्प द्वारा इस नदी के पानी के सदुपयोग की योजना पर विचार ।

इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान शारदा सागर में पानी के अभाव तथा जौनपुर ब्रांच के निर्माण से हैदरगढ़ शाखा में लगातार पानी के अभाव तथा इससे हो रहे कृषि उत्पादन के क्षति के निवारणार्थ एक अल्प सिंचाई योजना की ओर दिलाना चाहता हूं।

गोमती नदी का पानी बाराबर बेकार बह कर पूर्व की ओर डाला जाता है । इस पानी का उपयोग नैपुराघाट या सुबेहा अथवा अन्य सुविधापूर्ण स्थान से एक पम्प नहर निकाल कर हैदरगढ़ शाखा को पानी आसानी से पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इस योजना में केवल पम्प द्वारा नदी से पानी उठाने को केवल मशीन लगानी पड़ेंगी। अनेक नहरें इस नदी की तह तक जाती हैं उनसे इस नदी के पानी को पम्प नहर द्वारा मिलाया जा सकता है। इससे बाराबंकी सुल्तानपुर, रायबरेली आदि जिले की हजारों बीघा भूमि को सूखने से बचाया जा सकता है और कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि की जा सकती है। आशा है हैदरगढ़ शाखा के पानी के अभाव को दूर करने की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण योजना को मूर्तरूप देने की व्यवस्था की जायगी।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२८ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित बांधों का निर्माण-कार्य अभी बुन्देलखंड में चल रहा है जिनकी अनुमानित व्यय तथा कार्य प्रारम्भ होने की तिथि इस प्रकार है :—

क्रम-संख्या	बांध का नाम	अनुमानित व्यय (लाख रु० में)	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	लाभान्वित जिले
१—चन्द्रावल बांध	..	५८.४६	१९६१-६२	हमीरपुर
२—बरवा बांध	..	६७.७२	१९६१-६२	बांदा
३—जामिनी बांध	..	२४१.५१	१९६१-६२	उत्तर प्रदेश में झांसी तथा मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र ।
		(उ० प्र० अंश)		
४—क्योलारी बांध	..	१५.६६	१९६१-६२	हमीरपुर
५—पंचमपुर बांध	..	७.७६	१९६१-६२	बांदा

उपरोक्त बांधों के अतिरिक्त लघु सिंचन योजना में बननेवाली छोटी बंधियों का निर्माण-कार्य भी तृतीय योजना में हो रहा है ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२६ पर)

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर

डिमांड चार्ज :—

प्रथम ५०० के० वी० ए० तक बिल की जाने वाली मांग दर ८ रु० प्रति के० वी० ए० प्रति माह।

दूसरे १,५०० के० वी० ए० बिल की जाने वाली मांग दर ७.५० रु० प्रति के० वी० ए० प्रति माह।

अतिरिक्त के० वी० ए० बिल की जाने वाली मांग दर ७ रु० प्रति के० वी० ए० प्रति माह।

एनर्जी, चार्ज :—

प्रथम १७० यूनिट प्रति के० वी० ए० बिल की जानेवाली मांग प्रति माह दर ३.५ पैसे (शुद्ध)

दूसरे १७० यूनिट प्रति के० वी० ए० बिल की जाने वाली मांग प्रति माह दर ३.० पैसे (शुद्ध)

अतिरिक्त यूनिट प्रति के० वी० ए० बिल की जाने वाली मांग प्रति माह दर २·५ पैसे (शुद्ध)

अल्मुनियम फैक्ट्री, पिपरी, मिर्जापुर

१.६६ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से त्रैमासिक ११ करोड़ यूनिट तथा एक साल में ४३,३६, २०,००० यूनिट तक। एक त्रिमास में इससे अधिक ली गई बिजली की दर १० पैसे प्रति यूनिट होगी।

५५,००० किलोवाट से अधिक मांग के लिए एनर्जी चार्ज के अतिरिक्त ४० रु० प्रति-किलोवाट दर से बिजली दी जायगी।

कनोडिया केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिपरी, मिर्जापुर

२.५ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से त्रैमासिक १.३ करोड़ यूनिट तथा एक साल में अधिक तम ५,१२,४६,००० यूनिट बिजली दी जायगी। इसके अतिरिक्त यूनिट उपयोग में लाने पर १० पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली दी जायगी।

साधारण जनता

१—बत्ती व पंखे दर ३५ पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध)

२—घरेलू उद्योग धंधे दर १६ पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध)

३—लघु उद्योग (२० किलोवाट तक)

प्रथम १५० यूनिट प्रति बी० एच० पी० प्रति माह दर १२.५ पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध)
अतिरिक्त ,, ,, ,, दर ११.० पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध)

४—मध्यम उद्योग (२० किलोवाट से १०० किलोवाट तक)

प्रथम २०० यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह दर ११.५ पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध)
अतिरिक्त ,, ,, ,, ,, दर १०.० पैसे प्रति यूनिट (शुद्ध)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३० पर)

जिला झांसी के उन स्थानों के नाम जिनके विद्युतीकरण की व्यवस्था माताटीला पार्ट २ प्रोजेक्ट में है ।

१—मऊरानीपुर .. .. .. विद्युतीकरण हो गया है।
२—चिरगांव .. .. .. ,, ,,
३—तालबेहट .. .. .. ,, ,,
४—बड़ा गांव .. .. .. ,, ,,
५—हंसारी .. .. .. ,, ,,
६—बबीना .. .. ..
७—तोरी फतेहपुर
८—समथर
९—बरवा सागर
१०—मोथ
११—रानीपुर
१२—बंसी
१३—गुर सराय
१४—सिजोरी
१५—कटेंरा
१६—झरकौरा
१७—बिजरौठा

नत्थो 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२० पर)

तिथि	रूटों पर जाने वाली बसों की संख्या	तिथि	रूटों पर जाने वाली बसों की संख्या
१	२	१	२
१५-११-६४	.. ८१	१३-१२-६४	.. ८२
१६-११-६४	.. ८३	१४-१२-६४	.. ८०
१७-११-६४	.. ८४	१५-१२-६४	.. ८०
१८-११-६४	.. ८२	१६-१२-६४	.. ८१
१९-११-६४	.. ८१	१७-१२-६४	.. ७६
२०-११-६४	.. ८०	१८-१२-६४	.. ७८
२१-११-६४	.. ८४	१९-१२-६४	.. ७४
२२-११-६४	.. ८०	२०-१२-६४	.. ७८
२३-११-६४	.. ८१	२१-१२-६४	.. ७८
२४-११-६४	.. ८३	२२-१२-६४	.. ७७
२५-११-६४	.. ८३	२३-१२-६४	.. ७८
२६-११-६४	.. ८३	२४-१२-६४	.. ७६
२७-११-६४	.. ८३	२५-१२-६४	.. ७७
२८-११-६४	.. ८४	२६-१२-६४	.. ७६
२९-११-६४	.. ८३	२७-१२-६४	.. ७८
३०-११-६४	.. ८५	२८-१२-६४	.. ७८
१-१२-६४	.. ८६	२९-१२-६४	.. ७७
२-१२-६४	.. ८४	३०-१२-६४	.. ७६
३-१२-६४	.. ८३	३१-१२-६४	.. ७८
४-१२-६४	.. ८२	१- १-६५	.. ७७
५-१२-६४	.. ८३	२- १-६५	.. ७६
६-१२-६४	.. ८४	३- १-६५	.. ७८
७-१२-६४	.. ८३	४- १-६५	.. ७८
८-१२-६४	.. ८३	५- १-६५	.. ७८
९-१२-६४	.. ८१	६- १-६५	.. ७८
१०-१२-६४	.. ८२	७- १-६५	.. ७७
११-१२-६४	.. ८२		
१२-१२-६४	.. ८२		

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३१ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

(१) खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "स्थिति" के स्थान पर "स्थित" कर दिया गया है।

(२) खंड ५ के अन्त में चिह्न '"' रख दिया गया है।

(३) खंड ७ की उपांतीय टिप्पणी में "२०-क" के स्थान पर "१०-क" कर दिया गया है।

(४) खंड ९ के उपखंड (२) की पंक्ति ७ में शब्द "की" के स्थान पर शब्द "को" रख दिया गया है।

(५) खंड ९ के उपखंड (२) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "की" के स्थान पर शब्द "के" रख दिया गया है और इसी पंक्ति में "कार्यान्वित" के स्थान पर शब्द "कार्यान्वित करने" रख दिये गये हैं।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० यो०—ए० पी०—१४ एल० ए०—१९६५—८६२।